लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Date 12-8-92
Parliament Library

[खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—43, बुद्धवार, 21 जुलाई, 1971/30 आषाढ़, 1893 (शक)

No —43, Wednesday, July 21, 1971/Asadha 30, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
1261. नए समाचार पत्रों और साप्ताहिक पत्रों की घोषणा के बारे में भारत के प्रेस पंजीयक के पास पड़े विचाराधीन आवेदन	Pending Applications with Press Registrar of India for Declaration of New Newspapers and Weeklies	1
1262. काजू उद्योग के सम्बंध में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Team on Cashew Industry	1—4
1263. ट्रांजिस्टर-टेलीविजन सेट	Transistorized T.V. Sets	4—6
1264. बिना लाइसेंस के चलाये जा रहे रेडियो ट्रांजिस्टर सेटों के कारण राजस्व में हानि	Loss of Revenue due to Radio/Transistor Receiving Sets Operating without Broadcasting Licences	6—7
1265. "उत्तर बंगाल विकास बोर्ड" का गठन	Constitution of North Bengal Development Board	7—9
1266. पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation in West Bengal	9—14
1267. शांति निकेतन में टैगोर के घर को आग लगाया जाना	Tagore's House at Shantiniketan set on Fire	14—15
1268. मोतीहारी (बिहार) में नया आकाशवाणी केन्द्र	New A.I.R. Station at Motihari (Bihar)	15—16

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1269.	धागे के मूल्य में वृद्धि के कारण हथकरघा और विद्युत चालित करघा उद्योगों का बन्द हो जाना	Closure of Handloom and Powerloom Industry due to Rise in Price of Yarn	16—18
1270.	राष्ट्रीय भावना और एकता के आधार प पूर्वी सीमाओं को मजबूत बनाना	Strengthening of Eastern Borders on the Basis of National Consciousness and Integrity	18—20
1271.	भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं की परीक्षा पद्धति तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन	Change in System and Syllabus of I.A.S. and other Allied Examinations	20
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
1272.	राज्यों द्वारा संसाधनों का जुटाया जाना	Mobilisation of Resources by States	21
1373.	वैज्ञानिक उपकरण सप्लाई करने के लिए भारत और पूर्व जर्मनी के बीच करार	Agreement between India and East Germany for Supply of Scientific Equipment	21
1274.	पटसन के निर्यात में भारत का पाकिस्तान की तुलना में पिछड़ जाना	India lagging behind Pakistan in Jute Exports	21—22
1275.	नेपाल द्वारा अपने सिंथैटिक कपड़े के भंडार को बिना अतिरिक्त शुल्क दिये भारत को निर्यात करने का अनुरोध	Request by Nepal to Export its Accumulated Synthetic Textiles to India without Payment of Additional Duty	22
1276.	अरारिया, किशनगंज, कटिहार और सदर सब-डिवीजन (बिहार) में विमान द्वारा चीनी साहित्य गिराये जाने की जांच	Inquiry into Air Dropping of Chinese Literature at Araria, Kishanganj, Katihar and Sadar Sub-Division (Bihar)	22—23
1277.	नेपाल के सिंथैटिक कपड़ा उद्योग में संकट	Crisis in Nepal's Synthetic Textile Industry	23
1278.	अहमदाबाद के दंगों के लिये उत्तरदायी अधिकारियों को सजा दिया जाना	Punishment for Officers held responsible for Ahmedabad Riots	23

तां० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1279.	विभागेतर कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने के सम्बंध में वेतन आयोग की सिफारिश का कार्यान्वित न किया जाना	Non-implementation of Pay Commission's Recommendation re. Interim Relief for Extra-Departmental Employees	24
1280.	सरकारी क्षेत्र में निर्यातोन्मुख कपड़ा मिल स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Export-oriented Textile Mill in Public Sector	24
1281.	लोकपाल और लोकायुक्तों के पद	Institution of Lokpal and Lokayuktas	24—25
1282.	पंजाब सरकार को विरासत में मिले विभिन्न धार्मिक उत्तरदायित्वों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया आयोग	Commission Appointed to Examine the various Religious Responsibilities inherited by the Punjab Government	25
1283.	रूस द्वारा जूते बनाने वाले संयंत्र की पेशकश	Footwear Manufacturing Plant Offered by Soviet Union	25
1284.	नादिया जिले में सीमा सुरक्षा दल के जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी की मृत्यु की जांच	Inquiry into Death of a Junior Commissioned Officer of B.S.F. in Nanda District	26
1285.	सुन्दर गढ़ जिला (उड़ीसा) में विमान द्वारा चीनी साहित्य का गिराये जाने का समाचार	Reported Air Dropping of Chinese Literature in Sundergarh District (Orissa)	26
1286.	पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल के लिए आयात लाईसेंस देने हेतु क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को अधिक शक्तियों का दिया जाना	Grant of more Powers to Regional Licensing Authorities to Issue import Licences for Capital Goods and Raw Materials	26—27
1287.	भारत और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के बीच 'आइनोस्फैरिक वेव एबजोर्प्सन' की खोज करने के लिए संयुक्त अनुसंधान करने का करार	Agreement between India and G.D.R. for Joint Research to Explore Ionospheric Wave Absorption	27—28

ता० प्र० सख्या S, Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1288.	पोस्ट कार्ड आदि की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव	Proposal to Raise Rates of Postal Stationery	28
1289.	त्रिपुरा में संचार व्यवस्था खराब हो जाने के विरुद्ध व्यापक आन्दोलन	Mass Agitation against Failure of Tele-Communication System in Tripura	28
1290.	पत्तन नगर में रसायन उद्योग समूह की स्थापना	Setting up of Chemical Complex at a Port Town	28—29

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. No.

5429.	सचिवालय सेवाओं में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees in Secretariat Services	29
5430.	एसोसियेटिड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गौहाटी (आसाम) के स्पिनिंग यूनिट का बन्द होना	Closure of Spinning Unit of Associated Industries Limited, Gauhati (Assam)	29
5431.	आसाम में टेलीफोन तथा तार की सुविधाओं वाले डाकघर	Post Offices in Assam with Telephone and Telegraph Facilities	29—30
5432.	डाकूग्रस्त क्षेत्रों के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh, Rajasthan and U.P Governments for Dacoit Infested Areas	30—31
5433.	विदिशा (मध्य प्रदेश) जिले में लगाये गये टेलीफोन	Telephone Installed in Vidisha District (Madhya Pradesh)	31
5434.	राज्य व्यापार निगम के पास अखबारी कागज का भण्डार	Newsprint Stock with S.T.C,	31—32
5435.	चाबुआ टेलीफोन एक्सचेंज को डिब्रूगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज के साथ मिलाने के लिए अभ्यावेदन	Representations for Linking Chabua Telephone Exchange with Dibrugarh Telephone Exchange	32
5436.	सांख्यिकी विभाग में सलेक्शनपदों का नान-सलेक्शन पदों में परिवर्तन	Conversion of Selection Posts into Non-Selection Posts in Department of Statics	32—33

ग्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5437.	डनलप इण्डिया के टायरों का उत्पादन तथा निर्यात	Production and Export of Tyres of Dunlop India	33
5438.	सूती धागे का निर्यात	Export of Cotton Yarn	33—34
5439.	बने बनाये सूती कपड़ों का निर्यात	Export of Cotton Garments	34
5440.	कपड़ा बनाने वाली मशीनों का ग्रायात/निर्यात	Import/Export of Textile Machinery	34—35
5441.	ग्राकाशवाणी के नये केन्द्रों में फार्म तथा होम यूनिटों की स्थापना	Farm and Home Units in New A.I.R. Centres	36
5442.	आकाशवाणी के कुडापा केंद्र की प्रगति	Progress of A.I.R. Cuddapah	36
5443.	हल्दी के निर्यात में कमी	Decline in Export of Turmeric	36—37
5444.	मद्रास ग्रौर बम्बई के बीच संचार तंत्र का उचित रख-रखाव	Proper maintenance of Communication Net-work between Madras and Bombay	37
5445.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की योजना के ग्रन्तर्गत भारतीयों को प्रशिक्षण	Training of Indians under U.N.D.P. Scheme	37—38
5446.	सहायकों की वरिष्ठता का पुनरीक्षण	Revision of Seniority of Assistants	38
5447.	गंगाघाटी में परमाणु भट्टी की स्थापना	Establishment of Nuclear Reactors in Ganga Valley	38—39
5448.	सीमा सुरक्षा बल तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस को मुकदमा चलाने की शक्तियां	Prosecution Powers for Border Security Force and Central Reserve Police	39
5449.	पश्चिमी बंगाल में सेना की टुकड़ी द्वारा भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ताग्रों को पीटा जाना	Beating up of C.P.I. (M) Workers by Military Contingent in West Bengal	39—40
5450.	श्री तारिक ग्रली द्वारा विध्वंसक कार्यवाहियों में भाग लेने का कथित आरोप	Alleged Indulgence of Shri Tariq Ali in Subversive Activities	40
5451.	विधान मण्डलों में दल बदल को रोकना	Prevention of Defections in Legislatures	40—41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5452	दिल्ली नगर निगम की सांविधिक समितियों में गैर-सरकारी प्रतिनिधित्वों को बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal for Increasing Non-Official Representation on Statutory Committees of D.M.C.	41
5453.	देश में बंगला देश के शरणार्थियों के निरन्तर आगमन के कारण सीमा बन्द करना	Sealing of Border due to Continuing Influx of Bangla Desh Refugees in the Country	41
5454.	जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ व्यापार	Trade with G.D.R.	41—42
5455.	भारत में पाकिस्तान की अचल सम्पत्ति का निपटान	Disposal of Immovable Property of Pakistan in India	42
5456.	ट्रावनकौर—कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड, उद्योग मण्डल, केरल में 'रेक्टीफायर' का आयात	Import of Rectifier for Travancore-Cochin Chemicals Ltd. Udyogamandal, Kerala	42—43
5457.	सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Official Work	43—44
5458.	विशेष पुलिस स्थापना के सब-इन्सपेक्टर सिडनी चार्ल्स के गुम होने के बारे में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Investigation into Disappearance of Sub-Inspector Sydney Charles of S.P.E.	45
5459.	जम्मू तथा काश्मीर की विशेष वित्तीय सहायता	Special Financial Assistance to Jammu and Cashmir	45
5460.	मध्य प्रदेश और गुजरात में कपास के मूल्य में कमी	Fall in Price of Cotton in Madhya Pradesh and Gujarat	45
5461.	सर्प और सर्प की खालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of Snakes and Skins	45—46
5462.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित एल्यूमिनियम का विक्रय मूल्य	Sale Price of Aluminium Imported by M.M.T.C.	46
5464.	शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बनाने के लिए योजना	Plan for Creation of Employment Opportunities for Educated Unemployed Persons	47
5465.	केरल और मध्य प्रदेश में बेरोजगार इन्जीनियर	Jobless Engineers in Kerala and Madhya Pradesh	47—48

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5466.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों का पुनः खोला जाना	Reopening of Industrial Units in West Bengal	48—49
6467.	कामनवैल्थ (राष्ट्रमंडलीय) बैंक की स्थापना	Commonwealth Bank	49
5468.	दिल्ली तथा अन्य राज्यों में स्थल पत्तन की स्थापना	Setting up Dry Port in Delhi and in other States	49
5469.	शेक्सपीयर की कृतियों के आयात पर रोक	Ban on Import of Works of Shakespeare	49—50
5470.	विदेश गये वैज्ञानिक और इन्जीनियर	Scientists and Engineers gone Abroad	50—54
5471.	तामिलनाडु आईसक्रीम निर्माता संघ का दुग्धचूर्ण के लिए अनुरोध	Request for Milk Powder from Tamil Nadu Ice Cream Manufacturers' Association	54
5473	विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना	Grant of Citizenship to Foreigners	54—56
5474.	'फ्लाई ऐश' का भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान, संस्थान धनबाद, द्वारा किया गया अनुसंधान	Research made by Central Fuel Research Institute in Dhanbad for using Fly ash as Building Material	56
5475.	केंद्रीय सरकार के विचाराधीन केरल सरकार के विधेयक	Pending Bills of Kerala Government with the Centre	56
5476.	पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending Applications for Import of Capital Goods	56—57
5477.	नागाओं और सीमा सुरक्षा दल के बीच संघर्ष	Clash between Nagas and Border Security Force	57
5478.	रूस, अमरीका, फ्रांस, कनाडा और इंगलैंड को "टैक्सी डरमिस्ट" द्वारा तैयार किये गये "माडलों" की सप्लाई	Supply of Models Prepared by Taxidermists to U.S.S.R., U.S.A., France, Canada and England	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5479.	लोअर डिवीजन कलर्कों को संघ लोक सेवा आयोग की लोअर परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया जाना	Permission to LDCs to appear in LD Grade Examination of U.P.S.C.	57—58
5480.	मोटरवाहनों के लिए रबड़ युक्त जटा के "फ्लोर मेट" की बिक्री के लिए बाजार	Market for Rubberised Coir Floormat for Automobiles	58
5481.	रबड़ का उत्पादन तथा गाड़ियों के टायरें एवं ट्यूबों के उत्पादन पर इसका प्रभाव	Production of Rubber and its effect on Production of Auto Tyres and Tubes	59
5482.	देश में जासूसों की गतिविधियां	Espionage Activities in the Country	59
5483.	गोरखपुर जिले में आकाशवाणी केंद्र	A.I.R. Station in Gorakhpur District	59—60
5484.	अहमदाबाद स्थित जहांगीर मिल को पुन: चालू करना	Reopening of Jahangir Mill, Ahmedabad	60
5485.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अल्यूमीनियम का आयात और उसका वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचा जाना	Import of Aluminium by M.M.T.C. and Scale to Actual Users	60—61
5486.	पश्चिम बंगाल को कूच बिहार जिले की आम जनता के साथ स्थानीय पुलिस का दुर्व्यवहार	Maltreatment by Local Police against General Public in the District of Cooch-Bihar (West Bengal)	61—62
5487.	दिल्ली में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि के भुगतान के लिए टेलीफोन उपभोक्ताओं को नोटिस	Demand Notice for Payment of Arrears of Telephone Bills Issued to Subscribers in Delhi	62
5488.	कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल की विशेषज्ञ समिति के सुझावों की क्रियान्विति	Implementation of Suggestions of Expert Committee of West Bengal Re. Textile Mills	62—63
5489.	गुजरात के लिए पुनरीक्षित चौथी योजना	Revised Fourth Plan for Gujarat	63

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5490.	जामनगर जिले के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन घर	Public Call Offices in Jamnagar Villages	63—64
5491.	इंजीनियरों की बेरोजगारी दूर करने हेतु गुजरात को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Gujarat to Solve Problem of Unemployment among Engineers	64
5492.	पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर	New Post Offices in Rural Areas of West Bengal	64—65
5493.	पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Branch Post Offices in Birbhum Distric (West Bengal)	65
5494.	पश्चिम बंगाल के ग्राम्य क्षेत्रों में परीक्षणात्मक डाक-घर	Experimental Post Offices in Rural Areas of West Bengal	65—66
5495.	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य	Economically Backward States	66
5496.	उत्तर बिहार में असन्तोष-जनक टेलीफोन सेवा	Poor Telephone Service in North-Bihar	66—67
5497.	मद्रास में उपग्रह केन्द्र की स्थापना	Setting up of Satellite Station at Madras	67
5498.	मोटे कपड़े का उत्पादन	Production of Coarse Cloth	67
5499.	इम्फाल से की जाने वाली ट्रंक कालों का स्पष्ट न सुना जाना	Law Audibility of Outgoing Trunk Calls from Imphal	67
5500.	यू०एन०आई टेलीप्रिंटर सेवा के माध्यम से मनीपुर के समाचार पत्रों को सहायता देना	Assistance to Manipur Newspapers through U.N.I. Teleprinter Service	68
5501.	आकाशवाणी से देश के भोगोलिक ज्ञान के प्रसार के विशेष कार्यक्रम	Special Programmes for Dissemination of knowledge of Country's Geography over A.I.R.	68
5502.	दिल्ली स्थित कमला मार्केट में भ्रष्टाचार तथा आपरा-धिक गतिविधियां	Corruption and Criminal Activity Prevailing in Kamla Market, Delhi	68—69
5503.	पहाड़गंज, दिल्ली से एक लड़के का अपहरण	Kidnapping of a Boy from Pahar Ganj, Delhi	69

अता० प्र० संख्या U.-S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5504.	आयात नीति सम्बन्धी पुस्तक को निर्धारित समय से पूर्व प्रकाशित करने पर प्रैस रिपोर्टरों का विरोध	Press Reporter's Protest against Ahead-of Schedule Release of Import Policy Book	69
5505.	निर्यात नीतियां तथा सहायता योजनायें चलाने में राज्यों का सक्रिय सहयोग	States Active Association in Formulation of Export Policies and Assistance Schemes	69—70
5506.	देश में लाटरी के टिकटों की बिक्री से लाभ	Profit on Sale of Lottery Tickets the Country	70—71
5507	योरोपीय कैमरामैन द्वारा छायांकित इण्डियन न्यूज रिव्यु (भारतीय समाचार समीक्षा)	Indian News Review Shot by European Cameramen	71
5508.	मंत्रियों के निवास स्थानों पर लगे टेलीफोनों से केंद्रीय मंत्रियों द्वारा की गई ट्रंक कालें	Trunk Calls put through by Union Ministers from their Residential Telephones	72—73
5509.	रूरकेला स्थित डाकघरों के डाक-कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधायें	Residential Accommodation for Postal Employees of Rourkela Post Offices	73—74
5510.	लेह में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station at Leh	74
5511.	कालकाजी, नई दिल्ली स्थित एक गोदाम से लाखों रुपयों के मूल्य की वस्तुओं का जब्त किया जाना	Seizure of Articles Worth Lakhs of Rupees from a Godown at Kalkaji, New Delhi	74—75
5512.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट में चाय के अवशेष से कैफीन बनाने सम्बन्धी प्रक्रिया का विकास	Process Developed by Regional Research Laboratory, Jorhat for Producing Caffeine from Tea Waste	76
5513.	कैफीन का आयात	Import of Caffeine	76—77
5514.	जोरहाट स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में कृषि औद्योगिक अवशिष्ट से बोर्ड बनाने की प्रक्रिया का विकास	Process Developed by Regional Research Laboratory, Jorhat for making Board from Agro-Industrial Waste	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5515.	विकसित तथा विकासशील देशों की तुलना में भारत में अपराधों की संख्या	Crime Rate in India in Comparison to Developed and the Developing Countries	77
5516.	आयातित कच्चे काजुओं का वितरण	Distribution of Imported Raw Cashew Nuts	78
5517.	विभिन्न मंत्रालयों में श्रेणी तीन के लिपिकों का हिन्दी और अंग्रेजी टाइप का ज्ञान	Knowledge of Hindi and English Typing by Class III Clerks in Various Ministries	78
5518.	गढ़वाल जिला, उत्तर प्रदेश में उप-डाकघर और शाखा डाकघर	Sub Post Offices and Branch Post, Post Offices in Garhwal District (Uttar Pradesh)	78—80
5519.	तार विभाग के नैमित्तिक श्रमिक	Telegraph Casual Labourers	80
5520.	उर्दू समाचार-पत्रों पर नई दिल्ली में हुई गोष्ठी	Seminar on Urdu Press held in New Delhi	80—82
5521.	सरकार द्वारा दिल्ली के गुरुद्वारों का नियंत्रण छोड़ देने के सम्बन्ध में सन्त फतह सिंह की चेतावनी	Sant Fateh Singh's Alleged Ultimatum re: giving up of Control of Delhi Gurdwaras by Government	82—83
5522.	अनुश्रवण संगठन की आवश्यकतायें	Requirements of Monitoring Organisation	83
5523.	आकाशवाणी के कर्मचारी पुनर्गठन एकक की सिफारिशें	Recommendations of Staff Reorganisation Unit of A.I.R.	83—84
5524.	संगीत तथा नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artists of Songs and Drama Division	84
5525.	नागरिक रक्षा और होम-गार्ड संगठनों में शामिल होने के लिए युवकों को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यवाही	Steps to Encourage Youngmen to join Civil Defence and Home Guards Organisations	84
5526.	अभ्रक का निर्यात	Export of Mica	85
5527.	रूस को दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात	Export of Handicrafts to Russia	85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5528.	पुस्तकों का आयात और निर्यात	Import and Export of Books	85—86
529.	बिहार में नये डाकखाने	New Post Offices in Bihar	87
5530.	झुमरी तलैया में टेलीफोन केन्द्र की स्थापना	Setting up of Telephone Exchange at Jhumri Talaiya	87
5531.	भारत में भारी जल की कुल आवश्यकता	Requirement of Heavy Water in India	87—88
5532.	आमों के निर्यात से आय	Earning from Export of Mangoes	88
5533.	लघु उद्योग क्षेत्र में टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T.V. Sets in Small Scale Sector	88—89
5534.	1970-71 की हड़ताल में भाग लेने वाले पंजाब सरकार के कर्मचारियों के विचाराधीन मामले	Pending Cases against Punjab Employees for Taking Part in 1970-71 Strike	89
5535.	पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज फैडरेशन द्वारा पंजाब के राज्यपाल को दिया गया ज्ञापन	Memorandum given by Punjab Subordinate Services Federation to Governor of Punjab	89
5536.	कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में पंजाब के संसद् सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum Submitted by Members of Parliament from Punjab re: Demands of Employees	90—92
5537.	रोजगार सम्बन्धी अध्ययनों के लिये अर्थशास्त्रियों को परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति	Appointment of Advisory Committee of Economists in Employment Studies	92
5538.	ऊन के निर्यात में कमी	Decline in Export of Wool	92—93
5540.	आमों का निर्यात	Export of Mangoes	93—94
5541.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चाय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मकानों की पेशकश	Offer of Tenements by D.D.A. to Tea Board	94

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5542.	अविलम्ब एक्सप्रैस टेलीफोन ट्रंक सेवा आरम्भ करना और राज्यों की राजधानियों से दिल्ली के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ करना	Introduction of Urgent/Express Telephone Trunk Service and Linking of State Capitals with Delhi by Direct Dialling System	94—95
5543.	कार्यालयों में प्रयोग में लाये जाने वाले करारों आदि का अनुवाद	Translation of various Forms of Agreements etc. used in Offices	95
5544.	यूरोपीय साजा बाजार के साथ सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में यूरोपीय आर्थिक सहयोग के ब्रिटिश प्रधान वार्ताकार का राष्ट्रमंडलीय विकासशील देशों से अनुरोध	Chief British Negotiator's Proporations to Commonwealth Developing Countries to seek Association with E.C.M.	95—96
5545.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा पालिस्टर संयंत्र की स्थापना	Setting up of Polyester Plant by N.T.C.	96
5546.	केरल सीरेमिक्स लिमिटेड कुंदड़ा के लिए प्लाई क्राफ्ट पेपर बैग का आयात लाइसेंस जारी करना	Issue of Import License re: Ply Kraft Paper : Bags for Kerala Ceremics Ltd. Kundara	96
5547.	केरल नारियल भूसी (नियंत्रण, वितरण और मूल्यों का विनियमन), आदेश 1971	Kerala Coconut Husk (Control, Distribution and Regulation of Prices) Order, 1971	97
5548.	जनमत संग्रह मोर्चे पर प्रतिबंध	Ban on Plebiscite Front	97
5549.	मध्य प्रदेश में तार तथा टेलीफोन सम्बन्धी सुविधायें	Telegraph and Telephone Facilities in Madhya Pradesh	97—98
5550.	हिन्दी रूपक फिल्म "मैं सुन्दर हूँ" के प्रदर्शन के विरुद्ध प्रदर्शन	Demonstration against Exhibition of Hindi Feature Film "Main Sunder Hoon"	98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5551.	लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, फरीदाबाद के शाखा कार्यालय का दिल्ली में लाया जाना	Shifting of Branch Office of Iron and Steel Controller, Faridabad to Delhi	98
5552.	केलों का निर्यात	Export of Bananas	99
5553.	मध्य प्रदेश में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Outstanding Telephone Bills in Madhya Pradesh	99
5554.	मध्य प्रदेश के समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements to Madhya Pradesh Newspapers	99—100
5555.	सरकार के विभिन्न प्रकाशनों के हिन्दी संस्करण	Hindi Version of various Publications of Government	100
5556.	विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को अतिरिक्त शक्तियां	Additional Powers to State for Implementation of various Projects	100
5557.	सरकारी विज्ञापनों के लिये दी गई राशि	Amount Paid for Government Advertisements	101
5558.	रेलवे डाक सेवा की छंटाई की सूचियों का छापा जाना	Printing of Sorting Lists for R.M.S.	101—102
5559.	वाल्टैक्स रोड, मद्रास स्थित छंटनी कार्यालय की इमारत पर रेलवे का दावा	Railway Claim on Sorting Office Building at Waltax Road, Madras	102
5560.	मद्रास छंटाई डिविजन	Madras Sorting Division	102—103
5561.	आकाशवाणी के लिये पूर्णकालिक जिला संवाददाता	Full Time District Correspondents for A.I.R.	103
5562.	केरल में पहाड़ी क्षेत्र का विकास	Development of Hill Areas in Kerala	103
5563.	केरल में काजू के कारखानों का सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना	Take Over of Cashew Factories in Kerala	104
5564.	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि प्राप्त टेलीविजन सेट	T.V. Sets Received from UNICEF	104—105

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5565.	दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, में संशोधन	Amendments of Delhi Municipal Corporation Act, 1957	105
5566.	भर्ती करने वाली संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का प्रथक साक्षात्कार किया जाना	Separate Interviews for Scheduled Castes and Scheduled Tribe Candidates by Recruiting Bodies	105—106
5567.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में देशी शराब और आयातित शराब की बिक्री के लिये नये लाइसेंस जारी करना	Issue of New Licenses for Sale of Country Liquor and Imported Wine in Union Territory of Delhi	106
5568.	अचारों का निर्यात	Export of Pickles	106—107
55.9.	फूलों का निर्यात	Export of Flowers	107
5570.	हथकरघों और विद्युत-चालित करघे से बने वस्त्रों का निर्यात	Export of Handloom and Powerloom Textiles	107—109
5571.	सरकारी विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि	Value of Government Advertisements	109—110
5572.	कलकत्ता टेलीफोन विभाग द्वारा एक टेलीफोन लाइन का काटा जाना	Disconnection of a Telephone Line by Calcutta Telephone Department	110
5573.	देवनागरी लिपि में तार	Telegrams in Devnagri Script	110—111
5574.	फिल्म इन्स्टीट्यूट पूना में वृत्त चित्रों और लघु रूपक चित्रों का निर्माण	Production of Documentaries and Short Feature Films at Film Institute, Poona	111
5575.	प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार एक ही पद पर नियुक्त किये जाने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C.'s Recommendations re: Posting of Administrative Officers Continuously on one Post	112
5576.	कलना रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म (पूर्वी रेलवे) पर भारतीय साम्यवाद (मार्क्सवादी) दल के नेता की हत्या	Murder of a CPI(M) Leader of Kalna Railway Station Platform (Eastern Railway)	112

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
5577. काश्मीर में "मुक्ति मोर्चे" की गतिविधियां	Activities of Liberation Front in Kashmir	112—113
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	113—116
प्रस्तावित कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिए रूसी मदद और सहायता उपलब्ध न होने के समाचार	Reported Non-availability of Soviet Aid and Assistance for the Proposed Calcutta Tube Railway	113
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri P. R. Das Munshi	113
श्री हनुमन्तैय्या	Shri Hanumanthayya	113
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	116—118
अनुदानों की मांगें, 1971-72	Demands for Grants, 1971-72	118—183
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय	Ministry of Health and Family Planning	118—143
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy	119—132
डा० कैलास	Dr. Kailas	132—133
श्री चन्द्रशेखर सिंह	Shri Chandra Shekhar Singh	133
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	133
श्री सामिनाथन्	Shri Saminathan	133—134
श्री गोटखिंडे	Shri Gotkhinde	134—135
श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय	Shri D. P. Chattopadhyaya	135—136
श्री लालजी भाई	Shri Lalji Bhai	136
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri Somchand Solanki	136—137
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	137—138
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	138
श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahodra Bai Rai	138
श्री बक्शी नायक	Shri Bakshi Nayak	139
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	139
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee	139—140
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	140—143
निर्माण और आवास मन्त्रालय	Ministry of Works and Housing	143—172
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy	144—162

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री दलीप सिंह	Shri Dalip Singh	162
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	163
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	163—164
श्री सामिनाथन	Shri Saminathan	164—165
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	165
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	165—166
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri Somchand Solanki	166
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	166
श्री वी० तुलसीराम	Shri V. Tulsiram	166
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	166—167
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	167
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	167
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	167
श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा	Shrimati Lakshmikanthamma	167—168
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral	168—171
श्री उमा शंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	171
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय	Ministry of Shipping and Transport	172—178
श्री राजबहादुर	Shri Raj Bahadur	174—178
वित्त, विधि और न्याय तथा योजना मन्त्रालय और परमाणु ऊर्जा, कम्पनी-कार्य आदि विभाग	Ministries of Finance, Law and Justice and Planning and Departments of Atomic Energy, Company Affairs etc.	178—183
विनियोग (संख्या दो) विधेयक, 1971 पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation (No. 2) Bill, 1971 Introduced and Passed	183—184

लोक-सभा
LOK SABHA

बुद्धवार, 21 जुलाई, 1971/30 आषाढ़, 1893 (शक)
Wednesday, July 21, 1971/Asadha 30, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker ***in the Chair***]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नये समाचार पत्रों और साप्ताहिक पत्रों की घोषणा के बारे में भारत के प्रेस पंजीयक के पास पड़े विचाराधीन आवेदन

*1261. **श्री हरी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रेस पंजीयक के कार्यालय में नए समाचार पत्रों और साप्ताहिक पत्रों को निकालने के बारे में घोषणा हेतु सैंकड़ों आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके निपटाने में देरी के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं । मजिस्ट्रेटों से 15 जुलाई, 1971 तक प्राप्त सभी पत्र निपटाए जा चुके हैं और प्रेस रजिस्ट्रार के कार्यालय में निपटान हेतु कोई पत्र बकाया नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरी सिंह : प्रेस पंजीयक के कार्यालय में साप्ताहिक समाचार-पत्र को घोषणा के लिए कितने समय में निबटा दिया जाता है ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी । वास्तव में प्रेस पंजीयक को समाचार पत्रों को निकालने के बारे में घोषणा के सम्बन्ध में कुछ नहीं करना होता है । उसे समाचार-पत्र के नाम की स्वीकृति देनी होती है और इस काम में सात से दस दिन तक लग जाते हैं । घोषणा करने से सम्बन्धित कार्य मजिस्ट्रेट को करना होता है ।

काजू उद्योग के सम्बन्ध में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

*1262. **श्री सी० जनार्दनन्** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू उद्योग के सम्मुख आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए

हाल ही में केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल भेजे गए विशेषज्ञ दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) दल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) आयातित कच्चे काजू का वितरण पंजीबद्ध एककों की साधित करने की वास्तविक क्षमता पर आधारित होना चाहिये।

(2) भारतीय काजू निगम को निर्यात के प्रयोजनों के लिए आयातित काजू के आवंटन को स्वदेशी काजू के प्रयोग के साथ समान रूप में सम्बद्ध कर देना चाहिए।

(3) साधित करने की वर्तमान क्षमता का पता लगाने के लिये विदेश व्यापार मंत्रालय को एक विशेष दल प्रायोजित करना चाहिये जिसमें इस मन्त्रालय, भारतीय काजू निगम और तकनीकी विकास के महानिदेशक के प्रतिनिधि हों।

(4) राज्य सरकार को फैक्टरी के उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत फैक्टरियों के पंजीयन पर पुनर्विचार करना चाहिये।

(5) उद्योग अधिनियम के उपबन्ध काजू उद्योग पर कारगर रूप में लागू किये जाने चाहिएं।

(6) काजू उद्योग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें देखते हुए ऋण देते समय बैंकों को इस उद्योग के साथ विशेष व्यवहार करना चाहिए।

(7) काजू उद्योग में सरकारी क्षेत्र का विस्तार इस समय उद्योग के लगभग 20 प्रतिशत तक कर देना चाहिए।

(8) काजू उद्योग के विभिन्न पहलुओं यथा उत्पादन, आयात तथा निर्यात में समन्वय के लिये काजू आयुक्त नियुक्त किया जाये।

(9) निर्यातों का तत्काल मार्गीकरण न किया जाये।

(10) काजू उद्योग में राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी लागू करना न तो व्यवहार्य है और न वांछनीय ही।

(11) राज्य सरकार काजू बागानों को भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून से मुक्त करे।

(12) काजू निगम के कार्य को बढ़ाया जाये, स्वदेशी काजू की पूर्ति भी उनके कार्यक्षेत्र में शामिल कर ली जानी चाहिए।

श्री सी० जनार्दनन् : केरल में काजू उद्योग में संकट को देखते हुये प्रधान मंत्री ने केरल

के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को वचन दिया था कि केरल में दस काजू के कारखानों को नियन्त्रण में लेने के लिये 40 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी। इस बारे में अब तक कुछ नहीं किया गया है। उस वचन का क्या हुआ ?

श्री ए० सी० जार्ज : जब संकट के समय केरल का प्रतिनिधि मंडल प्रधान मन्त्री से मिला तो प्रधान मन्त्री ने काजू के दस कारखाने चलाने के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया। बाद में आंकड़ों और रोकड़ विवरणों से यह पता लगाया गया कि कार्यकारी पूंजी के लिये संस्थागत वित्त के अतिरिक्त 20 लाख रुपये काफी होंगे और उसकी पेशकश की गई है।

श्री सी० जनार्दनन् : मंत्री महोदय ने इसमें आधी कटौती कर दी है।

श्री ए० सी० जार्ज : रोकड़ विवरणों से पता लगाया गया है कि संस्थागत वित्त से मिलने वाली कार्यकारी पूंजी के अतिरिक्त 20 लाख रुपये काफी होंगे।

श्री सी० जनार्दनन् : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केरल में कच्चे काजू की कमी के कारण काजू के बहुत से कारखाने बन्द पड़े हैं, विदेशों से अधिक मात्रा में कच्चा काजू मंगाने और केरल में भी कच्चे काजू के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : पहले प्रश्न के बारे में मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे सकता हूं कि वर्ष 196 -70 में 1,63 000 मीट्रिक टन और वर्ष 1970-71 में 1,68,000 मीट्रिक टन कच्चे काजू के आयात की तुलना में इस वर्ष हम गत दो वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक आयात कर सकेंगे। हम पहले ही अप्रैल, मई और जून में 48, 00 मीट्रिक टन कच्चे काजू का आयात कर चुके हैं और लगभग 67,000 मीट्रिक टन काजू आ रहा है जो प्रति मास दो जहाजों के हिसाब से आ रहा है और वह हमारे पास सितम्बर तक पहुंच जाएगा। तब तक नई फसल आरम्भ हो जायेगी। हम चालू मौसम में काजू उपलब्ध कराने के बारे में पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम साधारण परिस्थितियों में कच्चे काजू की कमी नहीं रहने देंगे।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में, केन्द्रीय क्षेत्र में काजू के अतिरिक्त पौधे लगाने की एक करोड़ रुपये की एक परियोजना है। इसके अतिरिक्त, हमने राज्य सरकारों को काजू निगम बनाने की सलाह दी है ताकि वे संस्थागत वित्त के माध्यम से वन्य भूमि को काजू लगाने के काम में ला सकें।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए गत दो-तीन वर्षों में केरल में काजू के अधिकांश कारखाने बन्द कर दिये गये हैं और कि गैर-सरकारी क्षेत्र में जो कारखाने आरम्भ से अच्छी हालत में चल रहे हैं कच्चे काजू की कमी के कारण वे बन्द किये जाने हैं और कि उच्च स्तरीय आयोग की एक सिफारिश के अनुसार विभिन्न कारखानों की क्षमता के आधार पर कोटा निर्धारित किया जाना था, क्या सरकार अपनी उस नीति पर पुनर्विचार करेगी जो उसने इस आधार पर वितरित की थी कि गत वर्ष के उपभोग के आधार पर कोटा दिया जाए

ग्रौर जो कारखाने गत वर्ष बंद कर दिए गए थे उन्हें प्राथमिकता दी जाए जिन्हें इस वर्ष ग्रतिरिक्त कोटे की ग्रावश्यकता है ?

श्री ए० सी० जार्ज : सभा-पटल पर रखे गए विवरण में स्पष्ट कर दिया गया है कि कच्चे काजू के आयात के कोटे का वितरण पंजीकृत कारखानों की काजू तैयार करने की वास्तविक क्षमता पर ग्राधारित होना चाहिए। इसके ग्रतिरिक्त सिफारिश संख्या 4 के ग्रनुसार राज्य सरकारों से काजू के कारखानों के पंजीकरण का पुनर्विलोकन करने की सलाह दे दी गई है ताकि जिन कारखानों के पंजीकरण की ग्रवधि समाप्त हो चुकी है, वे कच्चे काजू के ग्रावंटन का उपयोग न कर सकें। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि उद्योग ग्रधिनियम के उपबन्धों को काजू उद्योग पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि अत्यधिक क्षमता स्थापित न की जा सके।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : आयोग की सिफारिश सर्वथा भिन्न है। मैं यह पूछ रहा था कि सिफारिश को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ग्रपने द्वारा प्रतिपादित मूल नीति, जो उन कारखानों के लिए बनाई गई थी जो गत वर्ष बन्द कर दिए गए थे, की ग्रपेक्षा सिफारिश के ग्राधार पर कोटा देगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कच्चे काजू का वितरण काजू तैयार करने की वास्तविक क्षमता पर ग्राधारित होना चाहिए। हम इस बात पर निश्चय ही विचार करेंगे कि गत वर्ष सम्बन्धित कारखानों का क्या उत्पादन रहा।

श्री जगन्नाथ राव : क्या कच्चे काजू के ग्रायात की केरल में स्थित कारखानों के लिए ही ग्रनुमति दी गई है अथवा उड़ीसा जैसे दूसरे राज्यों में भी कुछ कारखानों को, जिनकी निर्यात क्षमता काफी है, आयात की अनुमति दी गई है ?

ग्रध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केरल के बारे में है।

श्री वयालार रवि : ग्रभी-ग्रभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि पहले जो 40 लाख रुपए की सहायता दी जानी थी उसकी तुलना में केरल को 20 लाख रुपए की सहायता की पेशकश की गई है। क्या यह पेशकश त्रिवेंद्रम पहुँच गई है ग्रौर क्या केरल सरकार ने इसे स्वीकार किया है अथवा अस्वीकार किया है ?

श्री ए० सी० जार्ज : केरल के उद्योग मन्त्री से केरल में काजू उद्योग की सहायता के लिए, प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए वचन के ग्रनुसार, 20 लाख रुपए उपलब्ध करने को कहा गया था परन्तु उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

ट्रांजिस्टर-टेलीविजन सेट

*1263. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ट्रांजिस्टर-टेलीविजन सेट कब तक मिलने लगेंगे तथा उनका मूल्य अनुमानतः कितना-कितना होगा ; ग्रौर

(ख) टेलीविजन उपभोक्ता कब तक उपग्रह व्यवस्था से प्रसारित टेलीविजन कार्यक्रम देख सकेंगे ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) लगभग दो वर्षों में देशीय निर्मित ट्रांजिस्टर मुक्त टेलीविजन सेट बाजार में उपलब्ध होने की सम्भावना है, ऐसे टेलीविजन सेटों का मूल्य उन टेलीविजन सेटों से कम होगा जिनमें वाल्व लगे होते हैं ।

(ख) भारत सरकार तथा अमरीकी नेशनल एरोनाटिक्स तथा स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मध्य 18 सितम्बर 1969 में हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार भारतीय अमरीकी सहयोग से एक परीक्षण 1974 के मध्य तक कार्यान्वित किया जायेगा जिसमें टेलीविजन कार्यक्रम तुल्यकालिक उपग्रह द्वारा प्राप्त किया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : पिलानी स्थित इलेक्ट्रानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, रक्षा मन्त्रालय का भारत इलेक्ट्रानिक्स और हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, ये तीन संस्थायें ऐसी हैं जो विशेष प्रकार के टेलीविजन बनाने का प्रयास कर रही हैं । क्या इन तीनों संस्थाओं में आपस में कोई समन्वय है अथवा इनकी देख-भाल करने के लिये कोई निगम स्थापित किया जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कुछ मास पूर्व इलेक्ट्रानिक्स आयोग स्थापित किया गया था और यह इलेक्ट्रानिक्स आयोग अन्य बातों के साथ-साथ यह भी देखता है कि इलेक्ट्रानिक्स का कार्य ठीक ढंग से और जितना आवश्यक है उतना हो रहा है, विभिन्न इलेक्ट्रानिक्स कारखानों के कार्यों को, अनुसंधान और निर्माण दोनों ओर, समन्वित करता है । समन्वय का यह आयोग ही एक माध्यम है ।

श्री एस० सी० सामन्त : लाइसेंस के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या पूर्वी क्षेत्र से, विशेषकर बंगाल से, कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : टेलीविजन सेटों की प्रति वर्ष 18,27,400 कुल क्षमता स्थापित करने के लिये संगठित क्षेत्र में फर्मों की ओर से 53 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । टेलीविजन सेटों की 10,41,900 कुल क्षमता के लिये समूचे देश में लघु उद्यमियों की ओर से 156 प्रस्ताव आये हैं । यह समाचार-पत्रों के माध्यम से जारी की गई एक सार्वजनिक अधिसूचना के उत्तर में आये हैं ।

श्री संजीवी राव : इलेक्ट्रानिक्स टेलीविजन क्षेत्रों के लिये 18″ और 24″ के ट्यब बना रहा है । 12″ और 14″ के सी० आर० ट्यूब बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ताकि वे जन-साधारण के लिये इन ट्रांजिस्टर-टैलीविजन सेटों के लिये उपयोगी हो सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : भारत इलेक्ट्रानिक्स को 'पिक्चर ट्यूब' बनाने के लिये 'टेलीविजन ग्लास बल्बों' का आयात करना पड़ता है बी०ई०एस० 12″ और 14″ के ट्यूब बनाएगी ?

टेलीविजन बल्बों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिये, जो आवश्यक हैं, कुछ समय पहले विचार किया गया था और भारत संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया में आपस में

त्रिपक्षीय सहयोग हुआ था जिसके अंतर्गत हमारे देश में इन बल्बों का निर्माण न केवल हमारे कारखानों में उपभोग के लिये ही किया जाना था अपितु निर्यात के लिये भी इनका निर्माण किया जाना था। अभी तक उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है।

श्री समर गुह : क्या उपग्रह से परावर्तित तरंग समूचे देश पर परिचालित नहीं होती है ?

क्या परावर्तित तरंग की दूरी अक्षांश की टेलीविजन दूरी के अंतर्गत होगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह उपग्रह समूचे देश पर कार्यक्रम बीम कर सकेगा क्योंकि यह ऐसे स्थान पर लगाया जायेगा जहां से यह समूचे देश से देखा जा सके।

श्री समर गुह : समूचे देश पर परिचालन करना सम्भव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : वह भी वैज्ञानिक हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वह तो मैं भी हूं। यह ज्ञान का विषय है कि यह उपग्रह समूचे देश पर कार्यक्रम बीम करेगा और माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो कोई समाचार पढ़ा होगा वह गलत है।

बिना लाइसेन्स के चलाये जा रहे रेडियो ट्रांजिस्टर सेटों के कारण राजस्व में हानि

+

*1264. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत बड़ी संख्या में रेड़ियो ट्रांजिस्टर सैट लाइसेन्स के बिना चलाये जा रहे हैं ;

(ख) रेडियो ट्रांजिस्टर सेटों के बिना लाइसेन्स के प्रयोग को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) गत वित्तीय वर्ष में सरकार को लाइसेन्स शुल्क के रूप में कितनी धन-राशि प्राप्त हुई ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) बिना लाइसेन्स के सेटों के प्रयोग को रोकने हेतु लाइसेन्स न बनवाने वालों की धर पकड़ के लिए देश भर में जोरदार अभियान चलाने के लिये समुचित कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है।

(ग) पिछले कलैंडर वर्ष के दौरान लाइसेन्स शुल्क के रूप में 13.15 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

Shri K. C. Pandey : Is the Government aware of the fact that more than three-four transistor sets are being used against a single Radio Transistor Licenses in one and the same house ? How many persons have been arrested and fined in this connection so as to stop this practice ?

Shri H. N. Bahuguna : I do not know how many radio sets or transistor sets are working with one licence. But if the hon. Member has information about such cases, please let us know about them so that we may trace them easily.

I do not have the information about the number of persons arrested but it is correct that the number of such detected cases is 1.48 percent of the total number of existing licences.

Shri K. C. Pandey : How many radio transistors have been imported and how many of them have taken a licence and how many are using them without any licence ?

Mr. Speaker : It should be asked from the other Ministsr.

Shri Ram Surat Prasad : Government has been giving some grace period for renewing the radio licences without any fine, I want to know whether this practice is still prevalent ?

Shri H. N. Bahuguna : There are two stages of getting a licence. One is when the licence is prepared at the time of the purchase of the radio and transistor. At that time it is binding on the seller to get the licence prepared within seven days after selling the set and he is responsible for that. So far as the renewal of the licence is concerned, there is some grace period, but if it is not renewed within that period, then it is renewed after getting fine.

Shri Bibhuti Mishra : Is the hon. Minister aware of the fact that a number of persons bring radio and transistor sets without any licence. This happens every year. Will the Government give them permission to obtain a licence as it will be of some monetary benefit to the Government also ?

Shri H. N. Bahuguna : They will have to get a licence for such radio sets and will also have to pay duty etc. I do not know what the Ministry of Foreign Trade will do but we cannot give a licence unless and until we have the proof of the sale.

'उत्तर बंगाल विकास बोर्ड' का गठन

*1265. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "उत्तर बंगाल बोर्ड" विकास के गठन के बारे में सरकार द्वारा किये गये निर्णय के संदर्भ में उक्त बोर्ड का गठन कब तक किया जायेगा ;

(ख) क्या उक्त बोर्ड अपने कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए एक साँविधिक बोर्ड होगा ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष और आगामी वर्षों के लिये "उत्तर बंगाल विकास बोर्ड" के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(घ) उक्त बोर्ड के निदेश-पद क्या हैं और इसके गठन के बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य सरकार द्वारा उत्तर बंगाल विकास बोर्ड के गठन के प्रश्न पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बी० के० दासचौधरी : इस सम्बन्ध में स्थिति बड़ी गम्भीर है क्योंकि सरकार ने उत्तर बंगाल की जनता को धोखा दिया है और मैं माननीय मन्त्र से सन्तोषजनक उत्तर चाहता हूं । क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भूतपूर्व मिली-जुली सरकार ने उत्तरी बंगाल विकास बोर्ड बनाने के लिये 13-सूत्री कार्यक्रम अपनाया था ? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पिछले संसदीय चुनावों से पहले हमारी प्रधान मंत्री ने उत्तर बंगाल की जनता को यह आश्वासन दिया था कि यथासम्भव शीघ्र उत्तर बंगाल विकास बोर्ड बनाया जायेगा ? चुनाव घोषणा में भी यही कार्यक्रम, जिसका हाई कमान ने भी समर्थन किया था, अपनाया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह अब भी एक प्रश्न है ?

श्री बी० के० दासचौधरी : अतः इस सबको दृष्टि में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार और योजना आयोग द्वारा भी इस सम्बन्ध में कब निर्णय लिया जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : यदि प्रधान मंत्री ने ऐसा आश्वासन दिया था तो मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि वह शीघ्र ही लागू किया जायेगा ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मुझे माननीय मंत्री के उत्तर से प्रसन्नता हुई है । इस संबंध में मैं एक अपील करूंगा और एक सुझाव दूंगा । आशा है इस पर विचार किया जायेगा । जब बोर्ड बनाया जायेगा तो क्या उसे एक स्थायी बोर्ड का रूप दिया जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : मैं तत्काल इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बता सकता । पर मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन दे चुका हूं कि इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री समर गुह : अपने उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया कि यदि प्रधान मंत्री ने ऐसा आश्वासन दिया है तो वह शीघ्र ही पूरा किया जायेगा । अब क्योंकि प्रधान मंत्री स्वयं यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर देना सम्बन्धित मंत्री का काम है ।

श्री समर गुह : प्रधान मंत्री स्वयं यहां उपस्थित हैं और वे इसका उत्तर दे सकती हैं । इसके अतिरिक्त वे योजना मंत्री भी हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : अब वे योजना मन्त्री नहीं हैं, वे केवल योजना आयोग की अध्यक्ष हैं ।

श्री मोहन धारिया : इन सब बातों की जांच की जायेगी । मैं तत्काल कैसे कुछ बता सकता हूं ?...

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर सीधा-सीधा नहीं होता, तो बहुत से पेचीदा पूरक प्रश्न उठते हैं । इसलिये सीधे उत्तर देना अधिक अच्छा होता है ।

श्री मोहन धारिया : मुझे अभी भी इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या कोई ऐसा आश्वासन दिया गया था या नहीं।

श्री समर मुखर्जी : प्रधान मन्त्री यहां उपस्थित हैं, उन्हें यह बताना चाहिये कि क्या उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन दिया था अथवा नहीं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह सही है कि मैं यह अनुभव करती हूँ कि उत्तर बंगाल की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये तथा विशेष बोर्डों के गठन से हमें उनकी ओर ध्यान देने और यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाये।

पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति

+

*1266. **श्री समर गुह** :
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में हत्याओं की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है ;

(ख) गत 6 महीनों में, महीनेवार, कितनी हत्याओं के समाचार समाचार-पत्रों में छपे तथा कितनी हत्याओं की सूचना पुलिस में दर्ज कराई गई ; और

(ग) इन घटनाओं की जिम्मेदारी किन लोगों पर है और इस बुराई का उन्मूलन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं की संख्या बहुत अधिक रही है और इस प्रकार चिन्ता का कारण है। महीनेवार उपलब्ध सूचना निम्नलिखित है :—

मास	हत्यायें	राजनीतिक हत्यायें
जनवरी, 1971	174	90
फरवरी, 1971	204	85
मार्च, 1971	264	99
अप्रैल, 1971	233	112
मई, 1971	249	65
जून, 1971	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।

ये राजनीतिक हत्यायें दलों के बीच झगड़ों, कृषि सम्बन्धी झगड़ों, औद्योगिक अराजकता

और गुप्त आक्रमणों के दौरान की गई थीं । नक्सलवादी, राजनीतिक दलों के अन्य झगड़ालू कार्यकर्ता एवं समाज-विरोधी तत्व इन हत्याओं के लिये उत्तरदायी रहे हैं । पश्चिम बंगाल में अराजकता को रोकने के लिए कानून के अधीन हर सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री समर गुह : यद्यपि मैंने 6 महीने के आंकड़े मांगे थे, विवरण में केवल जनवरी से मई तक के आंकड़े ही दिये गये हैं । विवरण के अनुसार इन पांच महीनों में 1124 व्यक्तियों की हत्या हुई तथा कुल 451 राजनीतिक हत्याएं हुईं । यह भी ज्ञात है कि पिछले तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक गतिविधियों के कारण 5000 से अधिक व्यक्तियों की हत्यायें हुईं तथा कम से कम एक हजार राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपनी जान से हाथ धोए । क्या यह सच है कि इस सम्बंध में राजनीतिक दलों की ओर से ही नहीं पर जनता की ओर से भी बहुत सी शिकायतें की गई हैं आज के पत्र में भी एक लम्बा समाचार है । आज के **'टाइम्स आफ इण्डिया'** में पुलिस की असफलता तथा उनकी भ्रष्ट गतिविधियों और इस सत्य के सम्बंध में एक समाचार छपा है कि वे कुछ उग्रवादियों, समाज-विरोधी तत्वों के साथ मिलकर कार्य कर रही है । यदि हां तो क्या सरकार ने पुलिस की असफलता तथा इस अव्यवस्था और पश्चिम बंगाल की हिंसात्मक गतिविधियों की जांच पड़ताल की ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने उस समाचार को देखा है जिसका कि मेरे माननीय मित्र ने जिक्र किया । यह सच है कि कभी-कभी ऐसी शिकायतें मिली हैं । सरकार की बराबर यह कोशिश रही है कि प्राप्त होने वाली शिकायतों की जाँच पड़ताल की जाय । और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है । पश्चिम बंगाल में पुलिस अद्भुत स्थितियों, और उन लोगों के बीच काम कर रही है जिन्होंने किन्हीं विशेष तत्वों की जानबूझ कर की गई कार्रवाइयों के कारण कई जानें खोई हैं । पुलिस भी इसकी शिकार हुई है और बहुत से पुलिस वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा तथा उनके परिवारों को भी आतंकित किया गया है । वे बहुत ही अजीब परिस्थितियों में काम करते हैं । पर जैसा कि मैंने कहा कि जब भी कोई विशेष घटनाएं हमारी जानकारी में लाई जाती हैं हम उनकी जांच करते हैं । सामान्यत: भी हम उन्हें आवास सुविधाएं देते हैं जिससे कि वह अपने परिवारों के साथ रह सकें और उन्हें डराया और धमकाया न जा सके । हमने उन्हें गुटों में रखा है जिससे कि वे एक गुट में बाहर जा सकें और कोई डर न हो । यह सब इसलिए किया जाता है जिससे कि वे डर के कारण कोई कार्रवाई करने से न रुकें तथा इस स्थिति में अपने कर्तव्य की उपेक्षा न करें ।

श्री समर गुह : पुलिस द्वारा किये जा रहे भ्रष्ट कार्यों के सम्बन्ध में क्या किया गया ? आज के समाचार पत्र में इनकी एक लम्बी सूची है । वे बहुत से उग्रपंथियों के साथ मिले हुये हैं । भ्रष्टाचार तथा पुलिस द्वारा इन कार्रवाइयों में साथ देने के बारे में उत्तर में कुछ नहीं बताया गया ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं । जहां कहीं भी हमारी जानकारी में कोई घटना लाई जाती है हम उसकी छानबीन करते हैं ।

श्री समर गुह : मैं कह चुका हूं कि 5000 से अधिक लोगों की हत्या की गई है जिनमें से लगभग 1500 विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे । इनकी हत्या इन तीन सालों में की

गई हैं। कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया, कितने मामलों में मुकदमा चलाया गया तथा कितने मामलों में अपराधियों को अब तक सजा दी गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कई सालों से सम्बन्धित आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैं यह जानता हूं कि बहुत से व्यक्ति जो गिरफ्तार किये गये थे तथा जिनका दोष सिद्ध किया गया था एक सरकार ने उन्हें बरी कर दिया था।

श्री समर गुह : एक दर्जन अपराधियों को भी सजा नहीं दी गई।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समूचे मामले को प्रसंग में रखने का प्रयत्न कर रहा था। एक समय हिंसात्मक कार्रवाई में लगे बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया था और एक भूतपूर्व सरकार के काल में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद हिंसा बहुत बढ़ गई। इस समय स्थिति यह है कि गवाही मिलना बहुत ही कठिन है। मेरे माननीय मित्र जानते हैं और उसका जिक्र उन्होंने अपने लेख में भी किया है कि एक व्यक्ति ने कुछ सूचना दी थी इसलिए उसे कई आदमियों के सामने जान से मारने की धमकी दी गई। उनमें से कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं था। एक वीर महिला ने उसकी रक्षा की। मैं इस समय इस मामले में नहीं जाना चाहता। पर इस घटना से पता लगता है कि वहां कैसे स्थिति है।

जहां तक गिरफ्तार किए गये नक्सलवादी और अन्य उग्रवादियों का सम्बंध है, अप्रैल 1971 से 15 जून, 1971 के बीच यह संख्या 13.1 थी, इस अवधि के दौरान कुल 7139 लोगों को गिरफ्तार किया गया, राज्य में 3421 लोगों को हिंसात्मक कार्रवाई रोक अधिनियम, के अंतर्गत, 15-6-71 तक नजरबन्द रखा गया।

श्री समर गुह : सबसे आवश्यक बात यह है कि कितने लोगों को सजा दी गई।

श्री शिवाजी राव एस० देशमुख : पांचवें आम चुनाव से कुछ दिन पहले मैं कलकत्ता में था। हर गली के नुक्कड़ पर दो यातायात पुलिस के आदमी तैनात थे, एक यातायात के नियंत्रण के लिए और दूसरा निगरानी रखने के लिए।

यातायात पुसिल पर घातक आक्रमण करने की घटनायें भी घटी हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार विद्युतचालित यातायात व्यवस्था आरम्भ करने की सभावना पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : विद्युतचालित यातायात व्यवस्था का इसमें कोई प्रश्न नहीं आता।

श्री शिवाजी राव एस० देशमुख : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब यातायात वाला सिपाही ही सुरक्षित न हो तो यह मामला इतना गम्भीर हो जाता है कि सरकार से किसी अन्य कार्यवाही की आशा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपयः बैठ जाइये।

श्री एच० एन० मुकर्जी : प्रशासन की असफलता तो आठ या नौ व्यक्तियों की उचित जांच न करवा सकने से ही स्पष्ट है, यह अलग बात है कि इस असफलता का सम्बन्ध राष्ट्रपति

के शासनकाल से हो या दायित्वपूर्ण मंत्रिमंडल से। आज के विश्वव्यापी हिंसावादी वातावरण में, जब कि तथाकथित नक्सलवादी अर्द्ध-क्रान्तिकारी गतिविधियों में लगे हुए हैं, क्या सरकार केवल प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त इन नक्सलवादियों के साथ कोई राजनीतिक समझौता करने पर भी विचार कर रही है ? क्या सरकार इसे एक गंभीर राजनीतिक आन्दोलन के रूप में स्वीकार कर उन लोगों के साथ कोई बातचीत करेगी ताकि इस अति गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए कोई समझौता किया जा सके और मैं समझता हूं कि इस समस्या का यही एकमात्र समाधान हो सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस प्रश्न की जो भूमिका बनाई गई है उसमें तो यह कहने का प्रयास किया गया है कि आज पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है वहां इतना आतंक फैला हुआ है कि आज वहाँ जुर्म होने पर, वहां के शांति प्रिय लोग गवाही देने के लिए आगे नहीं आते। परन्तु वास्तविकता यह है कि वहां इस प्रकार का कोई आतंक नहीं है। यह बात हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये।

जहां तक श्री मुकर्जी महोदय के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इन तत्वों को आपने गलत रास्ते से हटाने के लिए बातचीत की जा सकती है, परन्तु यह बातचीत केवल सरकार अकेली तो नहीं कर सकती। यह हम सब का दायित्व है कि हम इस प्रकार की बातचीत आरंभ कर, तर्क बुद्धि द्वारा उन लोगों को लोकतन्त्रात्मक पद्धति अपनाने को बाध्य करें। अब भी इसके लिए कलकत्ता में बातचीत हो रही है। गत दो दिनों में राजनीतिक दलों की बैठकें हुई हैं और लोकतन्त्रात्मक पद्धति,—जिसमें कि हममें से अधिकांश लोग विश्वास करते हैं,—के ढांचे में कार्य करने वालों को इसमें सम्मिलित करने का मैं स्वागत करूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें पुलिस के कितने आदमी मारे गये हैं और इसके साथ ही क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे कि राजनीतिक दलों के, दलवार कुल कितने व्यक्ति मारे गये हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मृतकों की संख्या बताना तो बहुत कठिन है। जहां तक मुझे मालूम है। इस वर्ष 15 जुलाई तक पश्चिम बंगाल में पुलिस के 65 आदमी मारे गये थे। जहां तक दलवार आँकड़ों का प्रश्न है, इसके बारे में मेरे पास पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त कोई अधिकृत सूचना नहीं है और मैं केवल वही आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जो अधिकृत हों।

श्री वीरभद्र सिंह : पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में पुलिस की असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि वहां की पुलिस में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन को कानून और व्यवस्था भंग करने वाले लोगों के साथ सहानुभूति है। अत: मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वह इस प्रकार के लोगों को पुलिस से अलग करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : चाहे पुलिस में या प्रशासन में जहां कहीं भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हमारे आदेशों का पालन नहीं करते, हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं।

श्री कृष्ण हाल्दर : वर्ष 1969-70 और 1970-71 में कलकत्ता में कुल कितनी हत्यायें की गई थीं और उनमें से प्रत्येक वर्ष हुई राजनीतिक हत्याओं की संख्या क्या थी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री त्रिदिब चौधरी : क्या सरकार का ध्यान व्यापक रूप से फैले और यहां तक कि कांग्रेसी समाचारपत्रों में छपने वाले इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि जो भी व्यक्ति पुलिस को इस प्रकार की सूचना देता है, उसे ही अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि यह सूचना पुलिस स्टेशनों से ही बाहर दे दी जाती है ? वीरभूम के लगभग सभी पुलिस स्टेशनों पर यह आरोप लगाया गया है और साथ ही यह आरोप कलकत्ता के कुछ पुलिस स्टेशनों पर भी लगाया गया है। वास्तव में शस्त्र समर्पित करने और अन्य सूचनायें देने के बाद भी लोगों की हत्या कर दी गई है। इन सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए, क्या सरकार द्वारा पुलिस बल आदि की कार्य प्रणाली की पूरी जांच करने पर विचार किया जा रहा है ? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के बाद किसी इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ? या क्या सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जैसा कि मैंने पहले कहा, पश्चिम बंगाल में जो व्यक्ति हिंसात्मक कार्यवाहियों के बारे में सूचना देता...

श्री त्रिदिब चौधरी : मैं निवेदन करता हूं कि इन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर अपने पूर्व दिये गये उत्तर के संदर्भ में ही देना चाहिये जिसमें कहा गया था कि लोग गवाही देने के लिए नहीं आते। लोग हतोत्साहित हो गये हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं भी ठीक यही बात कह रहा हूं। आज लोग किसी प्रकार की जानकारी देने में झिझकते हैं क्योंकि उन्हें भयभीत किया जाता है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूँ। परन्तु सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस स्थिति से जूझने के लिए पुलिस बल और आसूचना अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या सुधार अपेक्षित हैं। इससे पूर्व जब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो भी हमने गंभीरतापूर्वक इस मामले का विचार किया था और वर्तमान व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने में हमें कुछ सफलता भी मिली थी। अब फिर हम यही पद्धति अपना रहे हैं और अभी कल ही गृह सचिव और मंत्रि-मंडल सचिव सम्पूर्ण स्थिति का पुनर्विलोकन कर कलकत्ता से वापिस लौटे हैं।

श्री एस० बी० गिरी : विवरण में कहा गया है कि, "नक्सलवादी और राजनीतिक दलों के उग्रवादी कार्यकर्त्ता इन हत्याओं के लिए उत्तरदायी हैं।" क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन हिंसात्मक गतिविधियों के लिए अन्य कौन-कौन से राजनीतिक दल उत्तर-दायी हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : प्रश्न इस प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए लोगों का है और संयोगवश उनका सम्बन्ध किसी राजनीतिक दल से भी हो सकता है। परन्तु मैं समझता हूं हमें इस प्रकार की गतिविधियों में लगे लोगों की भर्त्सना करनी चाहिए।

श्री एस० बी० गिरी : आपने विवरण में अन्य राजनीतिक दलों का उल्लेख किया है...

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं। इस समय भी कलकत्ता में, इस भीषम समस्या की जड़ तक पहुँचने के लिए हम अन्य राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं।

इस बात के लिए काफी प्रयत्न किया जा रहा है कि अन्य दलों के साथ मिल कर, पश्चिम बंगाल में इस हिंसात्मक रक्तपात के युग को समाप्त करने के लिए कोई मार्ग खोजा जा सके। अतः इस स्थिति में, यदि हमें राजनीतिक दलों के नाम मालूम भी हों तो भी उनका यहां उल्लेख करना उचित नहीं होगा।

शांति निकेतन में टैगोर के घर को आग लगाया जाना

*1267. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में टैगोर के शांति निकेतन स्थित घर को आग लगा दी गई थी ;

(ख) यदि हां तो इस बारे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का किसी राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

श्री एन० ई० होरो : जो नकारात्मक उत्तर दिया गया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अभी हाल ही में आपने समाचार पत्रों में भी इस समाचार को पढ़ा होगा कि पुलिस पर यह गम्भीर आरोप लगाया गया है कि वह कुछ नक्सलवादियों के साथ मिली हुई है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के उप-कुलपति द्वारा बार-बार निवेदन किये जाने पर भी सरकार ने विश्व-विद्यालय के पहरेदारों को हथियारों के लाइसेन्स देने से इंकार कर दिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे माननीय मित्र ने "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार का उल्लेख किया है परन्तु उसे मैंने आज प्रातः नहीं देखा। अतः उसे देखे बिना इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री समर गुह : यह विशेष रूप से प्रसन्ता की बात है कि प्रधान मन्त्री शांतिनिकेतन और कविवर रवीन्द्र नाथ की विद्यार्थी रही हैं और इसलिए उनका उत्तरदायित्व अधिक है। क्या सरकार का ध्यान आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उप-कुलपति प्रो० प्रतुल चन्द्र गुप्त ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि टैगौर की बहुत सी पांडुलिपियां गुम हो रही हैं और कुछ उग्रवादी तत्वों द्वारा उनमें से कुछ पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया गया है ? उन्होंने सरकार से इन बहुमूल्य पांडुलिपियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की माँग की है। अगर ऐसी बात है तो सरकार ने टैगौर की पांडुलिपियों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केवल कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ कर, पुलिस उनकी रक्षा करती है। यह बात नहीं है कि उनकी रक्षा नहीं की जा रही है। परन्तु हां, विश्वविद्यालय में रखे गए ऐतिहासिक तथा अन्य महत्वपूर्ण

पठन समग्री की रक्षा करने के लिये उप-कुलपति ने केन्द्रीय सरकार से कहा था और प्रधान मन्त्री के आदेश पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दो अधिकारियों को विश्वविद्यालय भेजा गया था। इन अधिकारियों ने सुरक्षा के प्रश्न का विस्तृत अध्ययन कर, सुरक्षा व्यवस्था की और अधिक मजबूत बनाने के लिये सुझाव दिये हैं और सिफारिशें की हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार क्रियान्वित कर रही है।

New A. I. R. Station at Motihari (Bihar)

*1268. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether programmes broadcast from Delhi and Patna Stations of A. I. R. are inaudible to listeners in North Bihar particularly that of Camparan ;

(b) whether the people of Nepal living in adjacent areas of the District cannot take advantage of these broadcasts ; and

(c) if so, whether Government propose to set up an A. I. R. Station at Motihari ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) पटना केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम चम्मारन सहित उत्तर बिहार में सुनाई देते हैं। अगले वर्ष गोरखपुर में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमिटर लगने के बाद, चम्मारन जिले में प्रसारण और अच्छी तरह सुने जा सकेंगे। सामान्यतया दिल्ली की मीडियम वेव सेवा से यह अपेक्षा नहीं है कि वह बिहार को कवर करे। तथापि, रात्रि के समय इसके कार्यक्रम वहां भी सुने जा सकते हैं।

(ख) वे इन प्रसारणों को सुन सकते हैं।

(ग) मोतीहारी में रेडियो स्टेशन स्थापित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that in the presence of a former Minister, Shri Satya Narayan Sinha, where I was also present, it was decided to establish a Radio Station at Motihari so as to cover the Bhojpuri area upto Kathmandu in Nepal ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : ऐसा हो सकता है कि भूतपूर्व मंत्री श्री के० के० शाह या श्री सत्यनारायण सिंह के साथ सदस्य महोदय की कोई बात हुई हो, परन्तु उस समय मोतीहारी में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं किया गया था। जहां तक नेपाल का सम्बन्ध है, इसके लिए आकाशवाणी का प्रसारण दिल्ली से दिन में दो बार मीडियम और शार्ट वेव पर होता है।

Shri Bibhuti Mishra : Both these persons are Governors. The Prime Minister is also sitting there. Hon. Minister may ask her as to whether a decision to this effect was taken or not. A decision was taken to this effect and I am not telling a lie.

Bhojpuri broadcasts from A. I. R. are not sufficient. Now-a-days Naxalites cross over this area from this side to the other side and *vice versa*.

A powerful Radio Station is required to cover this area. Bhojpuri programmes are not broadcast over Gorakhpur and Patna Radio Stations. Under these circumstances, is the Government considering the need of setting up of a powerful Radio Station to cover this area ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं पहले ही बता चुकी हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में मोतीहारी में रेडियो स्टेशन स्थापित करना सम्भव नहीं है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है भोजपुरी में इसकी स्थापना पर विचार किया जा सकता है और यह विचार भी पांचवी योजना के लिए ही किया जा सकता है।

Closure cf Handloom and Powerloom Industry due to rise in Price of Yarn

*1269. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the handloom and powerloom industry is on the verge of closure, as a result of sale of yarn at exorbitant price by the cotton mills in the country ; and

(b) whether Government, propose to take immediate steps to make available yarn at fair price with a view to save a large number of persons engaged in the said industry from threatened crisis ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) रुई तथा सूत की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए तथा हथकरघा और शक्ति चालित करघा बुनकरों आदि को उचित कीमतों पर सूत की सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सूत की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये तथा शक्तिचालित करघा और हथकरघा बुनकरों आदि को उचित कीमतों पर सूत की सप्लाई करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(1) घरेलू उत्पादन में कमी को पूरा करने की दृष्टि से रुई की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये अतिरिक्त विदेशी रुई तथा स्टेपल रेशे का भारी मात्रा में आयात करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्टाक, ऋण नियन्त्रण तथा व्यापार सम्बन्धी अन्य सुविधाओं को अधिक कठोरता से विनियमित करने के लिये विभिन्न उपाय किये गये।

(2) सूती हथकरघा, शक्तिचालित करघा तथा हौजरी क्षेत्रों की सहायता करने के लिए साफ किये हुए सूत का एक पूल तैयार किया गया है। पूल से सप्लाई सम्बन्धित राज्य सरकारों के उद्योगों/हथकरघों के निदेशकों के माध्यम से की जाती है।

स्थिति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जा रही है और समय-समय पर जो भी अतिरिक्त कार्यवाही आवश्यक समझी जायेगी की जायेगी। तथापि, यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विभिन्न कार्यवाहियों के फलस्वरूप खुले बाजार में सूत के मूल्य पहले ही काफी नीचे आ गये हैं और लगभग उन मूल्यों के बराबर आ गये हैं जो नवम्बर, 1970 में थे।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The hon. Minister has said that powerlooms are not closing down because of rise in the price of yarn. In my constituency, people have installed powerlooms by obtaining loans but they do not have sufficient money for buying yarn.

Yarn is being supplied to them at a very high rate and that is why all powerlooms have closed down in my constituency. Is the Government willing to consider that the weavers should get loans from banks for purchasing yarn and that yarn should be made available at cheaper rate ?

Shri L. N. Mishra : So far as the External Affair Ministry is concerned, our policy is that bank credit should be made available for purchasing yarn, but the question of the purchase of yarn and the day to day functions are the concern of the State governments only and they alone can help in the matter. So far as the Central Governnment is concerned, we have made provisions that bank credit should be easily available and the imported cotton should also be distributed equitably.

Shri Nathu Ram Ahirwar : The hon. Minister has said that this matter concerns the State Governments. Will the Central Governments advise the State Governments to provide special quotas to the handloom and powerloom weavers for their betterment and for saving them from loss ?

Shri L. N. Mishra : We will forward the suggestion of the hon. Member to every State Government.

Shri Sarjoo Pandey : Gorakhpur and Mau, the two big centres in U. P. have closed down their handlooms for want of yarn. It has been said in the statement that certain steps have been taken regarding the supply of yarn to powerloom and handloom weavers but in fact they are not getting yarn. Is the Government going to take some effective measures in those areas where handlooms are closing down and unemployment is increasing, so that people may get yarn at cheaper rate ?

Shri L. N. Mishra : The hon. Member has some misunderstanding. These is no shortage of cotton yarn in the country. The cotton yarn is being distributed by the Director of Industries to small scale enterprises, whether handloom or powerloom, through local agencies. We are suppling the quota statewise at cheaper rate. We faced a little difficulty in January, 1971 but theseafter, we distributed one lakh bales of imported cotton. So there is no dearth of cotton yarn. The matter of its distributions is the concern of the State Governments. We are providing the due quotas.

Shri Sarjoo Pandey : Mr. Speaker, sir, I want to raise a point of order. Our information differs from that of the hon. Minister. While we say that people are facing diffiiculty in getting cotton yarn, the hon. Minister maintains that it is not so. Now who will decide this issue ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बहस न कीजिये !

श्री घामनकर : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भिवंडी तथा कुछ अन्य भागों में नायलोन तथा रेशम धागे के अभाव के कारण विद्युतचालित करघे बन्द हो गए हैं। क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह एक पृथक प्रश्न है। चर्चाधीन प्रश्न सूती धागे के बारे में है। नायलोन तथा रेयन धागे के अभाव के कारण कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है अत: हम विदेशों से इस धागे का आयात कर रहे हैं। हाल ही में हमने नायलोन के धागे का कुछ विशेष आवेदन किया है ।

श्री के० के० राभी रेड्डी : चूंकि 60 काउन्ट से ज्यादा सूत पर उत्पादन शुल्क लगाना

मूल्य वृद्धि का एक मुख्य कारण कारण है, इसलिए क्या हथकरघा उद्योग ने इस शुल्क को हटाने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है ? यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच भी की गई है, किन्तु इस स्थिति में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि विद्युतचालित करघा उद्योग बन्द नहीं होने वाला है । किन्तु हमारी जानकारी के आधार पर बड़ी संख्या में कई बुनकर मिलें बन्द हो गई हैं और कई विद्युतचालित करघे बन्द होने वाले हैं । क्या मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमारी जानकारी के अनुसार न तो बड़ी संख्या में विद्युतचालित करघे बन्द हुए हैं और न ही बन्द होने वाले हैं । वर्ष के आरम्भ में अवश्य कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, किन्तु कुछ विशेष सुविधायें प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हो गया है । यदि माननीय सदस्य उन विशेष सुविधाओं को, जो हमने हथकरघा तथा विद्युतचालित करघा बुनकरों को दी हैं, जानने मे रुचि रखते हैं तो मैं उन्हें इस बारे में एक सूची दे सकता हूं ।

श्री एस० आर० दामानी : मन्त्री महोदय का कहना ठीक है कि सूती वस्त्र उद्योग को कपास की फसल नष्ट हो जाने के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा । सरकार ने इस अभाव को दूर करने हेतु, 13 लाख गांठों का आयात करने का आश्वासन दिया था जिसमें से 9 लाख गाठों का आयात किया जा चुका है । मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी गांठों का आयात कब तक किया जायेगा, ताकि सूत के वर्तमान अभाव को दूर किया जा सके तथा विद्युतचालित करघों तथा सूती वस्त्र मिलों को बन्द होने से बचाया जा सके ?

श्री एल० एन० मिश्र : कोई भी मिल अथवा विद्युतचालित करघा सूत की कमी के कारण बन्द नहीं हुआ है । यह सच है कि हम वह सारा सूत आयात नहीं कर सके हैं जिसके लिए हमने करार किया था । हमने 11.22 लाख गाँठों का करार किया था जिसमें से कुछ गांठें तो पहुंच गई हैं और बाकी मार्ग में हैं । मैं इस सम्बन्ध में निश्चित सूचना नहीं दे सकता कि कुल गांठों में से कितती देश में आ गई हैं ।

राष्ट्रीय भावना और एकता के आधार पर पूर्वी सीमाओं को मजबूत बनाना

*1270. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर, नागालैंड, नेफा, त्रिपुरा और आसाम के जनजाति क्षेत्रों को मिला कर बनने वाले पूर्वी क्षेत्र में प्रचार तथा प्रसारण के विभिन्न साधनों से राष्ट्रीय भावना और एकता की दृष्टि से सीमाओं को मजबूत करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किए जा रहे हैं ;

(ख) क्या कुछ समय पूर्व विशेषज्ञों की एक समिति ने इन क्षेत्रों का दौरा किया था और अपने निष्कर्ष तथा सिफारिशें प्रस्तुत की थीं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें की हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) सीमावर्ती प्रदेशों जैसे मणिपुर, नागालैंड, नेफा, त्रिपुरा तथा आसाम के जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रचार कार्यक्रमों में राष्ट्रीय भावना और एकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन प्रचार कार्यक्रमों में फीचर फिल्मों, वृत्त चित्रों, गीत तथा नाटक प्रभाग के कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, कलेंडरों, पोस्टरों एवं पुस्तिकाओं तथा अंत: वैयक्तिक बातचीत के माध्यम से किये जाने वाले विशेष अभियान शामिल हैं। आकाशवाणी भी अपने कार्यक्रमों में सीमावर्ती प्रचार को पर्याप्त स्थान देती है। तेजपुर और शिलांग में उच्च शक्ति के ट्रांसमिटर लगाने का प्रस्ताव है ताकि उस क्षेत्र में प्रसारण सुविधाओं में सुधार हो सके।

(ख) तथा (ग). सीमावर्ती प्रचार सम्बन्धी अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री एन० टोम्बी सिंह : मैं इस सम्बन्ध में किए गए उपायों की प्रशंसा करता हूँ। क्या यह सच है कि अध्ययन दल ने इसका अध्ययन तीन वर्ष पूर्व समाप्त कर लिया था ? यदि हां, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में इतना विलम्ब क्यों किया गया जबकि पूर्वी क्षेत्र की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : अध्ययन दल ने जुलाई 1970 में वस्तुत: अपनी यात्रा का अन्तिम दौर पूरा कर लिया था और जुलाई 1970 में ही प्रतिवेदन का अन्तिम भाग हमें प्राप्त हो गया था। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। बात दरअसल यह है कि अध्ययन दल के सचिव बहुत व्यस्त रहते हैं, अत: इसी कारण प्रतिवेदन पेश करने में इतना बिलम्ब हुआ है।

श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी रेडियो स्टेशन पूर्वी सीमा क्षेत्र में शक्तिशाली ट्रांसमीटरों द्वारा प्राय: कई भाषाओं तथा आदिवासियों की बोलियों में प्रसारण कर रहे हैं और इस प्रकार वह हमारे कोहिमा तथा इम्फाल के कमजोर ट्रांसमीटरों का मजाक उड़ा रहे हैं ? सरकार द्वारा इस प्रचार को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : उन क्षेत्रों में चीन के प्रचार को रोकने के लिए पूर्वी सीमा पर कई स्टेशन स्थापित किए गये हैं।

श्री डी० बसुमतारी : मन्त्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि सम्बद्ध सचिव के पास समय नहीं है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भूतपूर्व सूचना तथा प्रसारण मन्त्री के आश्वासन पर आसाम के अदिवासी क्षेत्र के विकास के सम्बद्ध प्रभारी मन्त्री ने कोकराझार में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : महोदय ! माननीय सदस्य से इस विशेष रेडियो स्टेशन के बारे में मेरी पहले भी बात चुकी है । मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे पूर्वाधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया था । उन्होंने केवल यह कहा था कि वह मामले की जांच करेंगे तथा उसकी सम्भावनाओं का पता लगायेंगी ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं की परीक्षा पद्धति तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन

+

***1271. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं की परीक्षा पद्धति तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के उपाय सुझाने और उच्च सेवाओं की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में परिशोधन करने के लिये एक समिति की स्थापना करने की सिफारिश की है । इस सिफारिश के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं की परीक्षा आती हैं जो सरकार के पास विचाराधीन हैं ।

Shri Ramshekhar Prasad Singh : When did A. R. C. submit its report regarding this matter ? Has this report been entrusted to those very officers about whom suggestions have been made to effect improvements in the method of their training and their living conditions ? Is the delay being caused because of it ?

Shri Ram Niwas Mirdha : There is a special procedure for the consideration of the recommendations of A. R. C. by the Government. Such officers include I.A.S. and I.P.S. officers as also officers from other Central Government Services. So far as the question of recommendations is considered, we are discussing the matter with U. P. S. C. Only after that we will be able to decide as to whether the system and syllabus of the examinations should be modified or not.

श्री पी० गंगादेव : क्या सरकार का विचार प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर में सुधार करने हेतु उद्योगों तथा अन्य व्यवसायों से प्रशासनिक संवर्ग में योग्य व्यक्ति भर्ती करने का है ?

श्री राम निवास मिर्धा : वर्तमान पद्धति के अनुसार भर्ती केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है जिसमें सभी व्यवसायों के लोग अपनी योग्यता अनुरूप भाग ले सकते हैं । जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है, प्रशासनक सुधार आयोग की एक सिफारिश में कहा गया है कि ऊंचे स्तर पर एक प्रत्यक्ष परीक्षा ली जानी चाहिये ताकि जो व्यक्ति परीक्षा की आयु सीमा पार कर चुके हैं वह भी आवेदन पत्र भेज सकें । यह सिफारिश विचाराधीन है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों द्वारा संसाधनों का जुटाया जाना

*1272. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम 2 वर्षों में राज्यों ने कौन-कौन से संसाधन जुटाए हैं ; और

(ख) क्या यह योजना के अनुरूप हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार योजना के लिए वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में राज्यों ने अनुमानतया कुल लगभग 1024 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाए ।

(ख) यद्यपि राज्यों द्वारा जुटाये गये कुल संसाधन योजना में निर्धारित संसाधनों के अनुकूल हैं तथापि इस दिशा में राज्यों द्वारा किए गए प्रयास एक दूसरे से भिन्न हैं ।

वैज्ञानिक उपकरण सप्लाई करने के लिये भारत और पूर्व जर्मनी के बीच करार

*1273. **श्री निहार लास्कर** : क्या विज्ञान और औद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पूर्व जर्मनी के बीच एक करार पर इस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अनुसार जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य भारत को 15 लाख रुपये के मूल्य के वैज्ञानिक उपकरण सप्लाई करेगा ;

(ख) यदि हां, तो करार के अन्तर्गत किस-किस प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों की सप्लाई की जाएगी ; और

(ग) उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा विद्युत-चुम्बकीय तरगों के अयनमंडलीय अवशोषण को मापने का एक उपकरण देने के लिये भारत सरकार और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की सरकार ने एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं, उपकरण की कीमत 200,000 अमरीकी डालर, यानि लगभग 15 लाख रुपए के बराबर आंकी गई है ।

(ग) प्रोटोकोल की एक प्रति सदन के सभा पटल पर रख दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**— 707/71.]

India lagging behind Pakistan in Jute Exports

*1274. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether India has been lagging behind Parkistan in the world market in regard to the export of Jute for the last three years ; and

(b) if so, the measures adopted by Government to make up this deficiency ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). During the last three years, exports of jute goods from India to world markets have declined, whereas exports from Pakistan have increased.

Among the factors responsible for this decline are (i) the existence of Bonus vouchers for exports from Pakistan which permits them to systematically undercut Indian prices, (ii) shortages of raw material in India, (iii) the growing competition from synthetics, (iv) Increasing resort to bulk handling, (v) the strikes in jute industry and at Calcutta port which interupted the continuity and stability of supplies (vi) decline in export of carpet backing on account of recession in the USA in the early part of 1970-71, etc.

Steps have been organised to increase and improve the quantity and quality of raw jute produced in India. The programme of diversification/modernisation of the jute industry to increase its production is being assisted financially through loans from the Industrial Finance Corporation. The export prospects for 1971-72 appear optimistic.

नेपाल द्वारा अपने सिन्थेटिक कपड़े के भंडार को बिना अतिरिक्त शुल्क दिए भारत को निर्यात करने का अनुरोध

*1275. **श्री वालतन्डायुतम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के सिन्थेटिक कपड़ा उद्योग ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि उसे कपड़े के अपने जमा भण्डारों को बिना अतिरिक्त शुल्क के भारत को निर्यात करने की अनुमति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). जी हां। नेपाल स्थित कतिपय निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें संश्लिष्ट वस्त्रों के, जिनमें जमा स्टाक शामिल है, अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए बिना भारत में आयात करने का अनुरोध किया गया है।

भारत और नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों के बीच गत वर्ष हुई बैठकों में भारत ने सामान्य व्यापारिक माध्यमों द्वारा वर्ष 1967-68 के स्तर तक भारत द्वारा मान्य परिमाण में आयात करने के सम्बन्ध में अनुमति देने की इच्छा व्यक्त की थी। भारत ने भारतीय राज्य व्यापार के माध्यमों से संश्लिष्ट वस्त्रों के जमा स्टाक के आयात के बारे में भी विचार करने की इच्छा प्रकट की थी परन्तु नेपाल के महामहिम की सरकार ने इस पेशकशों को मंजूर नहीं किया। भविष्य में भारत द्वारा नेपाल से आयातित कच्चे माल से निर्मित उत्पादों यथा, संश्लिष्ट वस्त्रों का आयात नई भारत-नेपाल व्यापार तथा परिवहन सन्धि होने पर जिस के सम्बन्ध में इस समय बातचीत चल रही है, दोनों सरकारों के बीच होने वाले समझौते के अनुसार होगा।

अरारिया, किशनगंज, कटिहार और सदर सब-डिवीजन (बिहार) में विमान द्वारा चीनी साहित्य गिराये जाने की जाँच

*1276. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **गृह-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जून, 1971 को अरारिया, किशनगंज और कटिहार तथा सदन सब-

डिवीजन (बिहार) के भागों में विमान से चीनी साहित्य गिराये जाने के बारे में कोई जांच कराई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा सरकार द्वारा इस सन्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). उल्लिखित स्थानों पर 21 जून को विमानों द्वारा ऐसे साहित्य के गिराये जाने की कोई सूचना नहीं है। किन्तु 22 जून को मुंघेर, पालामाउ, पूर्निया और भागलपुर जिलों में जून के तीसरे सप्ताह के दौरान गुब्बारों के जरिये गिराये गये के०एम०टी० प्रचार साहित्य की बरामदगी के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सूचना प्रस्तुत की गई थी।

नेपाल के सिन्थेटिक कपड़ा उद्योग में संकट

*1277. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाल के सिंथेटिक कपड़ा उद्योग में, जिसमें अधिकाश पैसा भारतवासियों का लगा है, संकट के विषय की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिए उक्त उद्योग की सहायता हेतु क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). जी हां। नेपाल के संश्लिष्ट कपड़ा उद्योग के उत्पादन में गिरावट और स्टाक जमा होने के समाचार मिले हैं।

उद्योग को सहायता प्रदान करने के प्रश्न के सम्बन्ध में विनिश्चय करना सम्बन्धित देश का कार्य है। भारत ने गत वर्ष नेपाली संश्लिष्ट कपड़े के आयात हेतु कुछ पेशकश की थी परन्तु नेपाल के महामहिम की सरकार द्वारा वह स्वीकार नहीं की गई थी।

Punishment for Officers held responsible for Ahmedabad riots

*1278. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Vigilance Commission had recommended that the Officers held responsible for communal riots in Ahmedabad by the Enquiry Commission should be given punishment ;

(b) whether the recommendations made by the Vigilance Commission have been implemented ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Deptt. of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise. However, the State Government have called for explanations from the officers whose conduct has been adversely commented upon by the Commission, which inquired into the Gujarat disturbances of Septemper, 1969. Further action will be taken after considering the explanations.

विभागेत्तर कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिश का कार्यान्वित न किया जाना

*1279. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिम राहत देने संबंधी हाल की वेतन आयोग की सिफारिश को विभागेत्तर कर्मचारियों के मामले में कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) से (ग). वेतन आयोग ने पूर्णकालिक कर्मचारियों के अन्तरिम राहत की सिफारिश की थी। विभागेत्तर एजेंट वेतन आयोग के दायरे के भीतर नहीं आते। विभागेतर एजेंटों को पारिश्रमिक और उनके कार्य के अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए अलग से एक एक-सदस्यीय समिति स्थापित की गई है। इस समिति ने दिसम्बर 1970 में एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें विभागेतर नायब पोस्टमास्टरों, नायब रिकार्ड क्लर्कों और छंटाईकारों के लिए 8 रुपये प्रतिमास और विभागेतर एजेंटों के अन्य वर्गों के लिये 4 रुपए प्रतिमास की अन्तरिम राहत की सिफारिश की गई थी। सरकार ने इस समिति की अन्तरिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। अन्तरिम राहत देने के लिए 21-1-1971 को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र में निर्यातोन्मुख कपड़ा मिल स्थापित करने का प्रस्ताव

*1280. **श्री डी० के० पंडा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम सरकारी क्षेत्र में निर्यातोन्मुख कपड़ा मिल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लोकपाल और लोकायुक्तों के पद

*1281. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार लोकपाल और लोकायुक्त के पद पर कब नियुक्ति करने का है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने में देरी के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). "नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्यायें" सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर लिये गये निर्णयों के आधार पर सरकार ने 9 मई, 1968 को इस सदन में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक प्रस्तुत किया था। विधेयक 20 अगस्त, 1969 को पारित कर दिया गया था और जब वह राज्य सभा में विचार के लिये लम्बित पड़ा था तो चौथी लोक सभा भंग हो गई। इससे उक्त विधेयक स्वत: समाप्त हो गया। सरकार का समाप्त हुये विधेयक की रूपरेखा पर यथाशीघ्र एक नया विधेयक पुर:स्थापित करने का विचार है।

पंजाब सरकार को विरासत में मिले विभिन्न धार्मिक उत्तरदायित्वों की जांच के लिये नियुक्त किया गया आयोग

*1282. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को विरासत में मिले विभिन्न धार्मिक उत्तरदायित्वों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एक सदस्यीय आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). पंजाब सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

रूस द्वारा जूते बनाने वाले संयंत्र की पेशकश

*1283. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तं** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत को जूते बनाने वाले एक संयंत्र की पेशकश की है जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 20 लाख जोड़े जूते बनाने की होगी ;

(ख) यदि हां, तो इस पेशकश की मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). अप्रैल, 1968 में बातचीत के दौरान सोवियत संघ के एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने 30 लाख जोड़ी जूतों के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित करने हेतु भारत के साथ सहयोग के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। भारत सरकार के एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, टेनरी एण्ड फुटवीयर कार्पोरेशन आफ इण्डिया, ने सोवियत संघ के प्राधिकारियों को उन शर्तों के सम्बन्ध में सूचित कर दिया है, जिनके अन्तर्गत सहयोग स्वीकार्य होगा। परन्तु इस प्रस्ताव पर सोवियत संघ से कोई सहमति नहीं मिली है।

नादिया जिले में सीमा सुरक्षा दल के जूनियर कमीशन-प्राप्त अधिकारी की मृत्यु की जांच

*1284. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस मामले की जांच करवाई गई है जिसमें 27 जून, 1971 को नादिया जिले में सीमावर्ती गांव नशीरापारा में पाकिस्तान घुसपैठियों द्वारा बिछायी गई सुरंग के फट जाने के परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा दल का एक जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी मारा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

सुन्दरगढ़ जिला (उड़ीसा) में विमान द्वारा चीनी साहित्य गिराये जाने का समाचार

*1285. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समाचार की जानकारी है कि ग्राम भूमुरू, थाना रायबाग, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा में विमान द्वारा चीनी साहित्य, ट्रांसमीटर आदि गिराये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). ऐसी कोई सूचना नहीं है। फिर भी, राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस देने हेतु क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को अधिक शक्तियों का दिया जाना

*1286. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को केन्द्रीय संगठनों से पूछे बिना पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए आयात लाइसेंस देने के लिए क्या अधिकार प्राप्त हैं ;

(ख) क्या इन अधिकारों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इस प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कच्चे माल के आयात के लिए इसी प्रकार के अधिकार देने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी नहीं । क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा लघु औद्योगिक एककों को मशीनों

के लिए आयात लाइसेंस देने की शक्ति, जैसा कि संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है, इस वर्ष 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है।

(ग) सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को, कच्चे माल के आयात के लिये वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा दिए गए आवेदनों पर विचार करने की पर्याप्त शक्ति पहले से ही है।

विवरण

आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के मुख्यालय के संगठन को निर्देश किये बिना, प्रयोजन करने वाले सम्बद्ध प्राधिकारियों की सिफारिश पर तथा स्वदेशी दृष्टिकोण से स्वीकृति की बात को देखते हुए क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित मामलों में पूंजीगत माल के आयात के लिये आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाता है :

(1) **आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, बम्बई**

वस्त्र मशीनें (पटसन तथा सन को छोड़ कर) तथा हौजरी बुनाई मशीनें।

(2) **आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, कलकत्ता**

पटसन, रस्सी, सन, कोयले की खान, खदान तथा चाय उद्योग के लिये मशीनें।

(3) **सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी**

लघु औद्योगिक एककों द्वारा, उपरोक्त (1) तथा (2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट उद्योगों में लगे हुये एककों को छोड़ कर आयात के लिये 12,000 रुपये से अनधिक राशि की मशीनें।

नोट : क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी, यदि वे आवश्यक समझें तो नीति सम्बन्धी किसी भी विशेष बात के स्पष्टीकरण के लिए आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक, नई दिल्ली से सलाह ले सकते हैं।

भारत और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के बीच 'आइनोस्फैरिक वेव एबजोप्सन' की खोज करने के लिये संयुक्त अनुसन्धान करने का करार

*1287. **श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट** : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बीच 'आइनोस्फैरिक वेव एबजोरप्सन' की खोज करने के लिये एक संयुक्त अनुसन्धान परियोजना आरम्भ करने हेतु, किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं और उक्त परियोजना पर कितना खर्च (रुपयों में और विदेशी मुद्रा में अलग-अलग होने का अनुमान है) ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी०डी०आर० (जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य) द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अध्ययनमंडलीय

अवशोषण के मापने का एक उपकरण देने के लिए दिनांक 23 जून, 1971 को भारत सरकार और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की सरकार ने एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) प्रोटोकोल की एक प्रति सदन के सभा पटल पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया** । देखिये संख्या एल०टी०—708/71।]

उपकरण की कीमत 2,00,000 अमरीकी डालर लगभग 15 लाख रुपये के बराबर मांगी गई है, भारत पर उपकरण को रोपित करके और उसकी सम्हाल करने की जिम्मेदारी है, जिसके लिये खर्च का अनुमान नहीं लगाया गया है।

पोस्टकार्ड आदि की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव

*1288. **श्री पी० गगा रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने डाक की दर बढ़ाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पोस्ट कार्डों आदि की वर्तमान दरों में वृद्धि करने का है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल ऐसा विचार नहीं है।

त्रिपुरा में संचार व्यवस्था खराब हो जाने के विरुद्ध व्यापक आंदोलन

*1289. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार संचार व्यवस्था ; विशेषकर दूर संचार व्यवस्था के निरन्तर खराब होने के विरुद्ध त्रिपुरा के युवकों और विद्यार्थियों के संगठनों ने 23 जून, 1971 को व्यापक आन्दोलन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). जी हाँ। बहरहाल जो आन्दोलन करने की धमकी दी गई थी उसे कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया। इस राज्य में दूरसंचार व्यवस्था में कोई खराबी नहीं रही है। इस क्षेत्र में दूर संचार व्यवस्था में किसी भी तरह की संभावित आवश्यकता का पता लगाने के लिये आसाम के पोस्टमास्टर जनरल ने त्रिपुरा के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत सम्पर्क बनाए रखा है।

पत्तन-नगर में रसायन उद्योग की स्थापना

*1290. **श्री राजदेव सिंह** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किस पत्तन-नगर में रसायन उद्योग समूह की स्थापना के बारे में केंद्र सरकार और फ्रांस और जापान के शिष्टमंडलों के बीच विचार विमर्श हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये गए ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय सेवाओं में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

5429. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या प्रधान मन्त्री केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में 16 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9935 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मई, 1971 को केंद्रीय सचिवालय सेवाओं में कितने कर्मचारी वर्ग-वार (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित) काम करते थे ; और

(ख) उपरोक्त वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में कितने मुसलमान कर्मचारी हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

ऐसोसियेटिड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गोहाटी (आसाम) के स्पिनिंग यूनिट का बंद होना

5430. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एसोसियेटिड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गोहाटी, आसाम के स्पिनिंग यूनिट के बन्द होने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बन्द होने के फलस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ग) इस कारखाने को पुन: खोलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 500

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

आसाम में टेलीफोन तथा तार की सुविधाओं वाले डाकघर

5431. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1971 को आसाम के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के जिन डाकघरों तथा ब्रांच डाकघरों में टेलीफोन तथा तार की सुविधायें उपलब्ध थीं उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में आसाम के नगरीय क्षेत्रों में कितने नये डाकघर, ब्रांच डाकघर तथा प्रायोगिक डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ;

(ग) 30 अप्रैल, 1971 को आसाम में नये डाकघर, ब्रांच डाकघर, प्रायोगिक डाकघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने सम्बन्धी कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(घ) उक्त अवधि में आसाम में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े थे ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क)

विवरण	नगरीय	ग्रामीण
30-471 को टेलीफोन सुविधा वाले डाकघरों की सख्या	301	124
30-4-71 को तार सुविचा वाले डाकघरों की सख्या	311	117
30-4-71 को टेलीफोन सुविधा वाले शाखा डाकघरों की संख्या	26	—
30-4-71 को तार सुविधा वाले शाखा डाकघरों की संख्या	—	—

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान असम के नगरीय और ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की दर्जेवार संख्या नीचे दी गई है :—

	नगरीय	ग्रामीण
विभागीय उप-डाकघर	14	2
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	—	318

(ग) 30-4-71 को असम में नये डाकघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों के खोलने के विचाराधीन प्रस्तावों की दर्जेवार संख्या निम्नलिखित है :—

विवरण	संख्या
विभागीय उप डाकघर	2
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	58
टेलीफोन एक्सचेंज	24

(घ) 30-4-71 को असम सर्किल में टेलीफोन कनेक्शन लगाने की बकाया अर्जियों की संख्या 2403

Financial assistance to Madhya Pradesh, Rajasthan and U. P. Governments for dacoit infested areas

5432. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received from the State Governments of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh the details in regard to the items on which the assistance given by the Centre for eradicating dacoit menace from the dacoit-infested areas will be spent by these States ;

(b) if so, the broad items thereof ; and

(c) if not, the instructions proposed to be given by the Central Government to the said States in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) The three State Governments will spend the funds received from the Government of India for procurement of (a) various types of motor vehicles required to improve the mobility of the police force in this area and (b) wireless equipment to facilitate quick exchange of communication between the police Stations, mobile parties piquets etc. In the case of Madhya Pradesh the assistance will also be spent on development of certain crucial link roads which help open up this area for easy access of vehicular traffic.

(c) The manner of utilisation has already been indicated to the State Governments and issue of further instruction is not considered necessary.

Telephones Installed in Vidisha District (Madhya Pradesh)

5433. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the total number of Telephones Installed in Vidisha District of Madhya Pradesh at present ;

(b) the total number of persons whose applications for Thelephone connections in the said District are pending consideration of Government at present.

(c) the number of persons who applied for Telephone conncetions in the District during the last two years ;

(d) the reasons for delay in giving Telephone connections to them ? and

(e) the time by which Telephone connections are likely to be given to them ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) 284

(b) 31

(c) 88

(d) and (e). All pending demands are being met.

राज्य व्यापार निगम के पास अखबारी कागज का भंडार

5434. **श्री शिवपूजन शास्त्री :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः सप्ताहों के दौरान राज्य व्यापार निगम के पास अखबारी कागज का बाकी भण्डार था ;

(ख) क्या अखबारी कागज के आयात के लिये इंडेन्ट देने में असाधारण विलम्ब किया गया था ;

(ग) क्या अखबारी कागज सम्बन्धी रजिस्ट्रार ने अखबारी कागज के आयात के अधिक बीजक बनाने के आरोपों की जाँच की है ; और

(घ) क्या आने वाले समय में अखबारी कागज की सप्लाई में कोई संकट उत्पन्न होगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। गत छः

सप्ताहों के दौरान राज्य व्यापार निगम के पास देश के विभिन्न केन्द्रों में स्टाक में 4337 मे० टन से भी अधिक अखबारी कागज था, जिसमें से 3295 मे० टन बेच दिया गया और 1042 मे० टन शेष बच गया था।

(ख) और (ग). जी नहीं।

(घ) जी नहीं। 1970-71 में राज्य व्यापार निगम ने 1,50,075 मे० टन की कुल मात्रा के आदेश दिये थे और अगस्त 1971 के प्रथम सप्ताह से खेपें आनी शुरू हो जायेंगी नेफा मिल से अखबारी कागज की सामान्य पूर्ति भी समाचारपत्रों को उपलब्ध होगी।

चाबुआ टेलीफोन एक्सचेंज को डिबरूगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज के साथ मिलाने के लिये अभ्यावेदन

5435. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाबुआ टेलीफोन एक्सचेंज को सीधे डिब्रूगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ने के बारे में सरकार को पूर्वी आसाम वाणिज्य संघ तथा लखीमपुर जिले के चाबुआ क्षेत्र के (टी प्लांटरस) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां। शिलांग के पोस्टमास्टर जनरल के पास इस विषय में डिब्रूगढ़ की पूर्वी असम चैम्बर्स आफ कामर्स की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) मामले की जांच की गई थी। चूंकि दोनों स्थानों के बीच चल रहे ट्रंक परियात के आधार पर चौबा और डिब्रूगढ़ के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने का औचित्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पोस्टमास्टर जनरल, शिलांग ने पार्टी को तदनुसार उत्तर दे दिया है।

सांख्यिकीय विभाग में सलेक्शन पदों का नान-सलेक्शन पदों में परिवर्तन

5436. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1968 के गृह मन्त्रालय के ओ० ए० संख्या 1/12/67-ई० एस० टी० टी० (सी) में पदोन्नति द्वारा तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के भरे जाने वाले रिक्त सलेक्शन पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है ;

(ख) क्या इस परिपत्र के जारी होने के बाद सांख्यिकी विभाग ने केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन में जूनियर इन्वेस्टिगेटर के पद को तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद को सलेक्शन पद से नान सलेक्शन पद कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पदोन्नति में आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु जैसा कि उपरोक्त परिपत्र में दिया गया है, सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) गृह मंत्रालय के इस कार्यालय ज्ञापन में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों में ऐसे ग्रेडों और सेवाओं में जिनमें कि सीधी भर्ती पचास प्रतिशत से अधिक न हो, चयन द्वारा पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए रिक्त स्थानों के कुछ अनुपात पर पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था है।

(ख) जी हां।

(ग) सांख्यिकी विभाग में इस प्रकार के प्रवर्ग के पदों का अप्रवरण पदों के रूप में पुनर्वर्गीकरण पहले ही मान लिया गया था और उसके बाद केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में कनिष्ठ अन्वेषक और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में सहायक अधीक्षक पद भी अप्रवरण पद मान लिये जाने के लिए आवेदनपत्र प्राप्त हुए। इस स्थिति और इन पदों के कार्यों और जिम्मेदारियों ने स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उनका भी अप्रवरण पदों के रूप में पुनः वर्गीकरण किया गया है।

उपर्युक्त भाग (क) में निर्दिष्ट कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, योग्यता की शर्त सहित वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त स्थानों के आरक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

डनलप इंडिया में टायरों का उत्पादन तथा निर्यात

5437. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डनलप इण्डिया द्वारा कितने किस्म के टायरों का उत्पादन किया जाता है और उनका कुल अलग-अलग उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या डनलप इण्डिया टायर सम्बन्धी देश की आवश्यकताओं को पूरा करने का दृढ़ संकल्प करेगी ;

(ग) डनलप इण्डिया द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक देश को कितने टायर निर्यात किये जाते हैं ; और

(घ) निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन का महानिदेशक, कलकत्ता जो कि आंकड़े प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है, प्रत्येक फर्म के अलग-अलग निर्यात सम्बन्धी आंकड़े नहीं रखता।

सूती धागे का निर्यात

5438. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से देश भारतीय सूती धागे का आयात करते हैं और 1970 में कुल कितने मूल्य का सूती धागा निर्यात किया गया ; और

(ख) हमारे सूती कपड़े के मुख्य मार्किट कौन-कौन से हैं और किन देशों में हमारे धागे को अब मुख्य मार्किट नहीं रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). वर्ष 1970 के दौरान सूती धागे के निर्यात कुल 2687.6 लाख रु० के हुए जब कि 1969 के दौरान 2373.8 लाख रु० के निर्यात हुए थे। मुख्य आयातकर्ता देश बर्मा श्रीलंका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब गणराज्य, यूगोस्लाविया तथा चैकोस्लावाकिया थे। इस वर्ष विभिन्न कारणों से बर्मा, श्रीलंका तथा संयुक्त अरब गणराज्य को भारत से धागे के निर्यातों में गिरावट आई है। वे कारण हैं (क) रुई की अपर्याप्त पूर्ति तथा ऊंची कीमतें और (ख) श्रीलंका, संयुक्त अरब गणराज्य तथा बर्मा जैसे कुछ आयातकर्ता देशों के सामने आई विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां।

बने बनाये सूती कपड़ों का निर्यात

5439. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों को बने बनाये किन-किन मुख्य सूती कपड़ों का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) किन-किन देशों में इनकी मांग दिन प्रति दिन बढ़ रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जिन बने बनाये कपड़ों का सामान्यत: निर्यात किया जाता है, वे हैं : पजामा सूट, पतलूनें, कमीजें, महिलाओं की ड्रेस, महिलाओं के फैशन परिधान औद्योगिक वस्त्र।

(ख) बने बनाये कपड़ों की मांग ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, स्विटजरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नार्वे, सं० रा० अमरीका तथा कनाडा में बढ़ रही है।

कपड़ा बनाने वाली मशीनों का आयात/निर्यात

5440. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्यात किन देशों को किया जा रहा है और निर्यात से कितनी धनराशि कमाई गई है ;

(ख) कपड़ा बनाने की कौन-कौन सी मशीनों का अभी भी आयात किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो हमारा देश विदेशों से इन मशीनों का आयात कब बन्द करेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1969-70 और अप्रैल से दिसम्बर, 1970 के दौरान कपड़ा बनाने वाली मशीनों के निर्यात का देशवार ब्यौरा

निम्नलिखित है :—

(लाख रु० में)

देश	1969-70	अप्रैल-दिसम्बर 1970
अफगानिस्तान	2.70	—
श्रीलंका	20.04	3.43
जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	31.10	—
घाना	3.01	1.19
इण्डोनेशिया	1.21	5.49
चैकोस्लोवाकिया	35.96	—
कीनिया	1.06	1.68
जोर्डन	14.41	—
नाइजीरिया	1.53	2.57
संयुक्त अरब गणराज्य	232·33	2. 1.27
सीरिया	—	7.39
थाइलैंड	—	13.64
मलयेशिया	—	3.25
अन्य	2.69	1.26
योग :	346.04	271.17

इसके अलावा उपर्युक्त दोनों अवधियों के दौरान क्रमशः 225.91 लाख रु० तथा 251.79 लाख रु० मूल्य का सामान तथा सहायक सामान का भी निर्यात किया गया।

(ख) वस्त्र उद्योग द्वारा अपेक्षित अधिकांश मशीनों का निर्माण देश में ही होता है। शेष के आयात की अनुमति प्रति वर्ष घोषित आयात व्यापार नियंत्रण नीति के उपबन्धों के अनुसार दी जाती है।

(ग) कपड़ा बनाने वाली मशीनों की जिन चीजों का इस समय आयात किया जा रहा है उनका उत्पादन करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। तथापि, इनका उत्पादन देश की आन्तरिक मांग और निर्यात संभाव्यता पर निर्भर करता है जिससे देश में उनका उत्पादन लाभपूर्ण ढंग से हो सके।

आकाशवाणी के नये केन्द्रों में फार्म तथा होम यूनिटों की स्थापना

5 41. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कितने तथा कौन-कौन से केन्द्रों में 1971-72 में नये फार्म तथा होम यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस प्रस्ताव पर 1971-72 में अनुमानतः कितना धन व्यय किया जायेगा ;

(ग) प्रस्ताव की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) ये यूनिट कब तक काम करना आरम्भ कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) ग्यारह, अर्थात डिबरूगढ़, बड़ौदा, जम्मू, कालीकट, परमानी, गुलबर्ग, जैपुर, इंफाल, कुर्सियांग, कुडप्पा तथा रांची।

(ख) 6,74,000 रुपये।

(ग) स्टाफ भर्ती करने तथा गाड़ियां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई हो रही है।

(घ) उम्मीद है ये यूनिटें अगले 6 मास के अन्दर चालू हो जाएंगी।

आकाशवाणी के कुडापा केन्द्र की प्रगति

5442. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कुडापा केन्द्र में स्टूडियो की स्थापना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) धीमी प्रगति के यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुडप्पा में एक स्थायी स्टूडियो स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

हल्दी के निर्यात में कमी

5443. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों की तुलना में 1971-72 में हल्दी का निर्यात बहुत कम हो गया है ;

(ख) हल्दी आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं और 1970-71 में प्रत्येक देश ने कितनी हल्दी का आयात किया ;

(ग) क्या इस वर्ष हल्दी के मूल्यों में कमी आयात करने वाले देशों द्वारा मांग में कमी के कारण है अथवा "सिमथैटिक" हल्दी से प्रतियोगिता के कारण है ; और

(घ) क्या निर्यात को बढ़ाने तथा मूल्यों को स्थिर करने के लिए हल्दी का व्यापार राज्य व्यापार निगम को सौंपने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्ष 1970-71 के दौरान साठ से भी अधिक देशों ने 367.5 लाख रु० मूल्य की लगभग 10,62 मे० टन हल्दी का आयात किया। ईरान, जापान, श्री लंका, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, इराक, कुवैत, सोमालिया, बहरीन, दुवाइ, इथोपिया तथा मोरक्को प्रमुख देश थे।

(ग) कीमत में गिरावट मांग की कमी के कारण नहीं आई है अपितु ऐसा कहा जाता है कि यह गिरावट उत्पादन में असाधारण वृद्धि के कारण आई है।

(घ) जी नहीं।

मद्रास और बम्बई के बीच संचार तंत्र का उचित रखरखाव

5444. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरास्ता बंगलौर मद्रास और बम्बई के बीच कोएक्शियल तारों द्वारा सम्पर्क स्थापित होने के बाद मद्रास और बम्बई के बीच बरास्ता कड़पा गुन्टकल और अडौनी संचार तंत्र के रखरखाव में ढील आ गई है ;

(ख) क्या इस के फलस्वरूप आंध्र क्षेत्र में टेलीफोनों के आने जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो बरास्ता कड़पा गुन्टकल और अडोनी मद्रास और बम्बई मार्ग में सुधार लाने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत भारतीयों को प्रशिक्षण

5445. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विकासशील देशों में विदेश व्यापार सम्बन्धी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई व्यापक योजना बनाई है जिससे उनके निर्यात संवर्धन प्रयासों को बढ़ावा मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) भारत से कितने लोगों द्वारा इस योजना में भाग लिये जाने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/गोष्ठियों का स्वरूप अन्तः क्षेत्रीय होगा जिनमें

लगभग ऐसे चार देशों से उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जायेगा जिनका निर्यात सेवाओं में विकास का स्तर बराबर का सा होगा । विकासशील देशों की निर्यात संवर्धन संस्थाओं के शिक्षकों के लिए एक कर्मशाला संगठित करने का भी विचार है ।

(ग) अभी मालूम नहीं है ।

सहायकों की वरिष्ठता का पुनरीक्षण

5446. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री अपने मंत्रालय में सहायकों की वरिष्ठता के बारे में 28 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5106 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अप्रल, 1971 की मंत्रिमंडलीय सचिवालय की अधिसूचना संख्या 1/3/69 सी० एस० (आई०) को देखते हुए सहायकों की वरिष्ठता का पुनरीक्षण कर दिया गया है ; और

(ख) क्या वरिष्ठता सूची के पुनरीक्षण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं। अधिसूचना संख्या 1/3/69-सी० एस० (I) तारीख 14 अप्रैल, 1971 में सहायकों की उनके अपने-अपने संवर्गों में पारस्परिक वरिष्ठता का पुनरीक्षण करने के बारे में कुछ नहीं है ।

(ख) जी, हां । उपयुक्त उत्तर शीघ्र ही भेज दिया जायेगा ।

गंगाघाटी में परमाणु भट्टी की स्थापना

5447. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति विभाग ने गंगाघाटी में दो परमाणु भट्टियां स्थापित करने की एक योजना सरकार को प्रस्तुत की है ताकि नलकूपों को बिजली दी जा सके ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) परियोजना में अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु बिजली पर आधारित कृषि उद्योग सम्मिश्रों की उपयोगिता का पता लगाने के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा विभाग ने जिस कार्यकारी वर्ग की नियुक्ति की थी, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । वर्ग द्वारा अध्ययन की गई परियोजनाओं में एक परियोजना गंगा के मैदान में कृषि उद्योग सम्मिश्र की स्थापना के बारे में है । इस सम्मिश्र में 1200 मैगावाट क्षमता का एक परमाणु बिजलीघर होगा जिसमें उत्पादित बिजली का एक भाग नलकूपों को चलाने के काम लाया जायेगा । इस परियोजना का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). इस परियोजना पर होने वाला अनुमानित व्यय तथा परियोजना के मुख्य

उद्देश्य परमाणु ऊर्जा विभाग के 1970-71 के वार्षिक विवरण के चौथे "कृषि-उद्योग सम्मिश्र की स्थापना से सम्बन्धित अध्ययन" नामक अध्याय में दिये गये हैं। विभाग की वार्षिक रिपोर्ट संसद के सभी सदस्यों को वितरित कर दी गई है।

सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को मुकदमा चलाने की शक्तियां

5448. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय पुलिस जैसे केन्द्रीय बलों को ऐसी शक्तियां देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे यह बल केन्द्रीय कानूनों के अन्तर्गत अपराध करने वालों के विरुद्ध मुकद्दमा चला सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 पहले ही सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों को भारत की सीमाओं के साथ लगे क्षेत्रों की निश्चित स्थानीय सीमाओं में अपराधों को रोकने के लिये ऐसे अपराधों को करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी के अधिकार प्रदान करती है। सरकार ऐसे विधान बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि केन्द्रीय एजेंसियां ऐसे अपराधों की जांच-पड़ताल हाथ में ले सकें तथा ऐसे अपराधों के करने में अन्तर्गस्त होने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकें।

पश्चिमी बंगाल में सेना की टुकड़ी द्वारा भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ताओं को पीटा जाना

5449. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि 7 अप्रैल, 1971 की रात को सेना की एक बड़ी टुकड़ी पश्चिमी बंगाल के बर्दवान जिले में रुप-नारायणपुर स्टेशन स्थित "हिन्दुस्तान केबल्स एम्पलाईज यूनियन" और भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के स्थानीय कार्यालय में दाखिल हुई थी और उसने फर्नीचर तथा अन्य सामान तोड़-फोड़ दिया था और तलाशी का नाम लेकर कार्यकर्ताओं को पीटा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एक पुलिस दल ने 7-8 अप्रैल, 1971 को निश्चित मामलों में अपेक्षित फरार दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के उद्देश्य से तथा विस्फोटक पदार्थ, हथियार तथा गोला बारूद बरामद करने के किये हिन्दुस्तान केबल्स रेजिडेंशियल कालोनी, रुपनारायणपुर तथा रामपुर रिफ्यूजी कैम्प नं० 11 की तलाशी ली थी। तलाश करने वाली पार्टी को सैनिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई थी। यह सच नहीं है कि फर्नीचर तथा अन्य वस्तुओं को क्षति पहुंची अथवा पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पीटा गया। यूनियन के प्रतिष्ठित सदस्य तथा स्थानीय भारतीय साम्यवादी

दल (मार्क्सवादी) के प्रतिनिधि भी तलाशी के समय उपस्थित थे और उन्होंने दुर्व्यवहार की कोई शिकायत नहीं की ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री तारिक अली द्वारा विध्वंसक कार्यवाहियों में भाग लेने का कथित आरोप

5450. **श्री एस० एस० महापात्र :** **श्री नुग्धल्ली शिवप्पा :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि श्री तारिक अली हाल ही में वैध यात्रा पत्रों के बिना विदेश से कलकत्ता आये ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कलकत्ता में अपने ठहरने की अवधि के दौरान उसने तोड़-फोड़ और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाहियों में भाग लिया जिनसे राज्य की सुरक्षा को खतरा था और उन्हें सीमान्त क्षेत्र के बहुत बड़े प्रदेश में स्वतंत्र रूप से घूमने की भी अनुमति दी गई थी ; और

(ग) क्या इस बारे में सरकार ने कोई जांच की है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). अब तक की गई पूछताछ से मालूम होता है कि श्री तारिक अली मई, 1971 में छुप कर भारत आया था। बताया गया है कि उसने एक कल्पित नाम से और जाली पासपोर्ट पर यात्रा की । वह नक्सलवादी दलों समेत कुछ दलों के सदस्यों से मिलने के पश्चात भारत से चला गया । और अधिक पूछताछ अभी चल रही है ।

Prevention of defections in Legislatures

5451. **Shri Jagannath Mishra :**
Shri Narsingh Narain Pandey :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of States which have communicated their opinion on the proposed draft Bill for preventing defections ;

(b) whether the opinion expressed by different States vary in this regard ;

(c) the nnmber of political parties which have demanded enactment of anti-defection law ; and

(d) whether the Election Commission has also given any recommendation in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). A report of the Committee on defections had been circulated to State Governments for their comments. It has now also been decided to seek the comments of the Chief Ministers of States on the legislative proposals to give effect to the recommendations of the Committee on Defections and the draft Bills are accordingly being sent to the Chief Ministers of States.

(c) Almost all political parties have demanded enactment of legislation to check defections, though they differ on the contents of such legislation.

(d) No, Sir.

दिल्ली नगर निगम की सांविधिक समितियों में गैर-सरकारी प्रतिनिधित्वों को बढ़ाने का प्रस्ताव

5452. **श्री एम० एम० हाशिम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन सांविधिक समितियों में गैर-सरकारी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के मामले को तब दिल्ली के उप-राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार को निदेशित किया जब विधि विभाग ने इस सम्बन्ध में कानूनी अड़चनें पायी हैं ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने 9 जून, 1971 को सरकार को इस प्रश्न पर कि क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 50(1) के अन्तर्गत गठित दिल्ली नगर निगम की तीन सांविधिक समितियों के गैर-सरकारी प्रतिनिधियों की संख्या चार से बढ़ाकर पांच की जा सकती है, निदेशित किया था। सरकार को सलाह दी गई थी कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 50(5) के अन्तर्गत गैर-सरकारी प्रतिनिधियों की विषम संख्या की व्यवस्था नहीं है और दिल्ली प्रशासन को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

देश में बंगला देश के शरणार्थियों के निरन्तर आगमन के कारण सीमा बन्द करना

5453. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के शरणार्थियों की संख्या के उस स्तर पर पहुँच जाने की स्थिति में जबकि और अधिक लोगों को प्रश्रय देना सम्भव नहीं होगा सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या शरणार्थियों और अन्य अवांछित तत्वों के निरन्तर आगमन को देखते हुए सरकार सीमा बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मानवता के नाते बंगला देश से आये शरणार्थियों के प्रवेश को रोकना, जिन्हें पाकिस्तानी सेना की क्रूरताओं के कारण उनके घरों से खदेड़ दिया गया है, सरकार के लिए सम्भव नहीं है। सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इन लोगों को खाद्य, आश्रय तथा दूसरी मूल सुविधाओं को प्रदान करने से हमारे संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ेगा और इस प्रकार सरकार उत्सुक है कि इन अभागे लाखों लोगों को अपने घरों को लौटने के लिए बंगला देश में परिस्थितियां बनाई जायें।

जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ व्यापार

5454. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में भारत और जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच व्यापार में वास्तव में कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अपेक्षित जानकारी निम्नोक्त प्रकार है :

(करोड़ रु० में)

	1968	1969	1970
जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से भारत में आयात	22.498	22.280	21.427
जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य को भारत से निर्यात	20.897	19.270	22.347
व्यापार परिणाम	43.395	41.550	43.774

भारत में पाकिस्तान की अचल सम्पत्ति का निपटान

5455. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की भारत में कोई अचल सम्पत्ति है ; और

(ख) यदि हां तो उसके उपयोग/निपटान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) जी हां। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की भारत स्थित सभी अचल सम्पत्तियां सितम्बर, 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के साथ भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित कर दी गयी थीं और वे अभी तक अभिरक्षक के पास निहित हैं।

ट्रावनकोर-कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड, उद्योग मंडल, केरल के 'रेक्टीफायर' का आयात

5456. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रावनकोर-कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड, उद्योग मंडल, केरल ने केन्द्रीय सरकार से रेक्टीफायर का विदेश से आयात करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ;

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) फर्म ने पूंजीगत माल सम्बन्धी आवेदनपत्र पूरे ब्यौरे सहित नहीं भेजा है और न ही उसमें पूंजीगत उपस्कर सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं का विज्ञापन नियमानुसार 'इंडियन ट्रेड जर्नल' में दिया है। फर्म द्वारा विज्ञापन क्रियाविधि पूरी कर लिये जाने के पश्चात् और

विज्ञापन पर प्राप्त उत्तरों के सन्दर्भ में रेक्टीफायर के आयात की अनुमति देने के प्रश्न पर विनिश्चय किया जायेगा।

पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री द्वारा केरल सरकार के उद्योग मन्त्री को इन कमियों से अवगत करा दिया गया है और यह सलाह भी दी गयी है कि फर्म को रेक्टीफायर प्राप्त करने के लिए हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के साथ पहले सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Use of Hindi in official work

5457. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether 39 Members of Parliament have given a memorandum to the Prime Minister regarding pitiable condition of Hindi in official work and have requested her to improve the situation ;

(b) if so, the main demands contained therein ; and

(c) whether out of the provision of Rupees 5 crores made, only 20 lakhs of rupees have been spent on Hindi work ;

(d) if so, the reasons therefor ;

(e) whether Government propose to enquire into this state of affairs to ensure that there is no bottleneck in the way of Hindi's place as official language ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Dept. of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir. (55 Members have given the memorandum).

(b) A statement giving the information is annexed.

(c) to (e). Information is being collected from the concerned Ministries/Departments and will be laid on the Table of the House.

Statement

S. No.	Main Demands	Concerned Ministry /Department
1	2	3
1.	In every Ministry, Hindi Officers and Hindi staff should be appointed and they should be placed under the charge of Senior Officers having interest in Hindi.	Home Affairs
2.	Hindi Officers have been appointed in a few Ministries and action should be taken to appoint such Officers in other Ministries.	-do-
3.	The services of Hindi Officers and Hindi staff are not being properly utilised in many Ministries.	-do-
4.	Position regarding issue of Press releases in respect of Technical subjects is not satisfactory. No Information Officers has been provided in any Ministry to handle this work with the result that news itmes	Information & Broadcasting

1	2	3
	on technical snbjects are deficient in the news papers. Technical New Service in Hindi should be introduced at least in the following Ministries :— (i) Defence. (ii) Department of Science & Technology. (iii) Agriculture. (iv) Education & Social Welfare. (v) Industrial Development. (vi) Petroleum & Chemicals. (vii) Law & Justice.	
5.	The books brought out in English by National Book Trust, Sahitya Akademi and National Council of Educational Research & Training should be translated and published in Hindi as well.	Education & Social Welfare.
6.	The Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate should be re-organised as per recommendations of the Kothari Committee. The report submitted by the Kothari Committee has not so far been implemented.	-do-
7.	The work relating to the production of literature in Hindi in the Ministry of Agriculture which is at present being done in three different Departments should be organised into one Department under the guidance of Prof. Sher Singh, the Minister of State for Agriculture.	Agriculture.
8.	The entire work relating to Hindi in the C. S. I. R., should be entrusted to one department under the overall charge of Chief editor. The work relating to Hindi Translation and publications in the C. S. I. R. is unsatisfactory. The recommendations of the Committee headed by Dr. Balasubramaniam have not been implemented.	Department of Science & Technology.
9.	Necessary steps should be taken to remove the hold up in the work being done in the Ministry.	Law & Justice.
10.	With a view to making the people living in the Hindi speaking areas alert for the defence of the country, all the literature which is now being published in English for the use of the people should be published in Hindi also.	Defence.

विशेष पुलिस स्थापना के सब-इन्सपैक्टर सिडनी चार्ल्स के गुम होने के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच

5458. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विशेष पुलिस संस्थान के सब-इंस्पेक्टर सिडनी चार्ल्स के गुम हो जाने के बारे में जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो उन्हें उनकी जांच में सहायता प्रदान कर रहा है जो अभी चल रही है।

Special Financial assistance to Jammu and Kashmir

5459. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) whether Government propose to give any special financial assistance to Jammu and Kashmir in addition to the assistance already included in the Fourth Year Plan for the State ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) No such proposal is under consideration at present.

(b) Does not arise.

Fall in Prices of Cotton in Madhya Pradesh and Gujarat

5460. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the prices of cotton have registered appreciable decline in Madhya Pradesh and Gujarat and Government's attention has been drawn to it ;

(b) whether the decline in the prices of cotton ranged upto Rs. 200 per quintal as a result of which there is great discontentment among farmers ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Cotton prices of varieties produced in Madhya Pradesh only showed a temporary decline in April-May'71 as compared to prices early this year. Prices have appreciably picked up since then.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

सर्प और सर्प की खालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

5461. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से जीवित सर्पों और सर्प की खालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस मामले पर अन्य पशु बोर्ड से परामर्श किया गया था ;

(ग) प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होगी ; और

(घ) क्या भारत के सर्पों की संख्या घट नहीं रही है अपितु बढ़ रही है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केवल जीवित सर्पों के निर्यात पर रोक लगाई गई है न कि उनकी खालों पर। यह रोक इसलिए लगाई गयी है कि सर्पों की उपस्थिति में चूहों से फैलने वाली प्लेग आदि जैसी बिमारियों के नियन्त्रण में सहायता मिलती है।

(ख) जी नहीं। यह रोक कृषि मन्त्रालय की सिफारिश के आधार पर लगई गयी थी।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि सर्पों को भारतीय व्यापार वर्गीकरण में अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारत में सर्प संख्या का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित एल्मूनियम का विक्रय मूल्य

5462. **श्री के० बालतन्डायुतम : क्या विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम आयातित एल्युमीनियम 'कन्डक्टर' उद्योग को 6990 रुपये प्रति टन के भाव से दे रहा है और उद्योग द्वारा बहुत विरोध करने के पश्चात् इसने यह मूल्य 6740 रुपये प्रति टन किया जबकि स्वदेशी माल का मूल्य 5187 रुपये प्रति टन है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मूल्य के आधार पर इसके अलग-अलग आंकड़े निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) क्या मूल्य को नियंत्रित करने के लिये और इसे उचित स्तर पर लाने के लिए सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है।

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम की बिक्री-कीमत जनवरी-मार्च, 1971 की तिमाही के लिए 6990 रु० प्रति मे० टन और अप्रैल-जून, 1971 की तिमाही के लिए 6740 रु० प्रति मे० टन निर्धारित की गयी थी। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर एल्यूमिनियम खरीद सकने के कारण दूसरी तिमाही में कीमतों में कमी करना संभव हो सका है। बिक्री की कीमत सेवा प्रभार सहित आयातित एल्यूमिनियम की लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है और इसका स्वदेशी धातु की कीमत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम, सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर बिक्री की कीमतें निर्धारित करता है।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर बनाने के लिये योजना

5464 **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बनाने के लिए चालू वर्ष में 25 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत अभी तक किसी भी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या योजना को अन्तिम रूप न दिये जाने से चालू वर्ष में लक्ष्यों की प्राप्ति असम्भव होगी ; और

(घ) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं तथा योजना को शीघ्र अन्तिम रूप दिये जाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ). 1971-72 के केन्द्रीय बजट में उन स्कीमों के लिए जो कि विशेषरूप से शिक्षित बेरोजगारों के हित में बनाई गई हैं, 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, इसमें इन्जीनियरों तथा तकनीशियनों को भी शामिल किया गया है । योजना आयोग ने विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों को उपयुक्त कार्यक्रम बनाने के लिए लिखा है तथा मन्त्रालय अपने प्रस्ताव तैयार करने में व्यस्त हैं । आवश्यक मार्ग दर्शक सिद्धान्तों सहित उपयुक्त कार्यक्रमों की सूची शीघ्र ही अन्तिम रूप से तैयार कर ली जायेगी ।

केरल और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी इंजीनियर

5465. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल और मध्य प्रदेश राज्यों में 31 मार्च, 1971 तक विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार इंजीनीयरों ने नाम दर्ज कराये ; और

(ख) उन्हें रोजगार देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 31 मार्च, 1971 को केरल तथा मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालयों द्वारा नौकरी ढूंढने वाले इंजीनियरों की संख्या क्रमशः 5,384 और 1,003 थी ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इंजीनियरों को रोजगार देने के लिये केरल और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा उठाये गये कदम

केरल :

(1) उन बेरोजगार इंजीनियरों के लिए, जो ठेके पर काम लेना चाहते हैं, पंजीकरण फीस, जमानत राशि और अग्रिम राशि के मामले में कुछ रियायतें दी गई हैं ।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिये ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि ठेकेदार सरकार

से लिये गये काम के उचित संचालन और निरीक्षण के लिये इंजीनियरों को नियुक्त करें।

(3) उन इंजीनियरिंग तकनीकी औद्योगिक सहकारी समितियों और इसी प्रकार की इकाइयों को वित्तीय सहायता दी गई है जो बेरोजगार इंजीनियरों की सहायता से उद्योग स्थापित करना चाहते हैं।

(4) बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने हेतु सरकार ने 186 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। इस योजना में लघु सिंचाई कार्यक्रम, भूमि विकास कार्य, कुट्टानाद और कोली भूमि के लिये विशेष योजनाएं, मछली पकड़ने के लिये स्थल, परम्परागत उद्योगों की पुनःस्थापना और लघु, मध्यवर्ती और बड़े उद्योगों के क्षेत्र में नई परियोजनाओं की स्थापना शामिल हैं। उक्त योजनाओं के कार्यान्वित होने पर शिक्षित बेरोजगारों और इंजीनियरों को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

(5) केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं की जांच का कार्य तेज करने के लिए केरल सरकार को 1970-71 के दौरान 10.00 लाख रुपये की सहायता दी है।

मध्य प्रदेश :

(1) लोक निर्माण और सिंचाई विभागों का विस्तार किया जा रहा है जिससे इंजीनियरों के लिये रोजगार का क्षेत्र विस्तृत होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं की जांच शुरू करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को 1970-71 के दौरान 46.81 लाख रुपए की सहायता दी है।

(3) इंजीनियरों के प्रशिक्षण और अपना रोजगार स्वयं चलाने हेतु योजना शुरू की गई है।

(4) उन ठेकेदारों को जो राज्य सरकार के यहां इस समय पंजीकृत हैं, निर्धारित वेतन-मान मे इंजीनियरों को रोजगार देना होता है।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों का पुनः खोला जाना

5466. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को भूतपूर्व श्रम मंत्री ने हाल में दिल्ली की यात्रा की थी और राज्य में बन्द पड़े 400 औद्योगिक एककों को पुनः खोलने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार से चर्चा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य रूप से किन बातों पर चर्चा हुई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री 22 जून, 1971 को केन्द्रीय श्रम मंत्री से मिले और उद्योग बन्द किये जाने के

विषय में औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधान के उपबन्धों पर विचार-विमर्श किया।

कामनवैल्थ (राष्ट्रमंडलीय) बैंक की स्थापना

5467. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामनवैल्थ (राष्ट्रीमंडलीय) बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में भारत के सुझाव पर विचार करना छोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). लोक सभा में इसी विषय पर दिनांक 7 जुलाई, 1971 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 4141 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जैसा कि उसमें कहा गया है, राष्ट्रीमंडलीय देशों के वित्त तथा व्यापार के वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक 8 तथा 9 जून, 1971 को लन्दन में हुई थी उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि राष्ट्रमंडलीय विकासशील देशों के निर्यात तथा आयात के लिये, विशेषत: पूंजीगत तथा अर्ध-पूंजीगत माल के क्षेत्र में, वित्त व्यवस्था करने के निमित और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के लिये राष्ट्रमंडलीय कार्यक्रम की व्यवहार्यता का विशेषज्ञ स्तर पर गम्भीर अध्ययन आरम्भ किया जाए। अध्ययन अभी किया जाना है।

Setting up Dry Port in Delhi and in other States

5468. **Shri Jagannath Mishra** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the scheme of making Delhi a Dry Port ; and

(b) whether there is any scheme to set up dry ports in other States also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) The proposal is still under the consideration of Government.

(b) There is no such scheme at present.

शेक्सपीयर की कृतियों के आयात पर रोक

5469. **श्री सी० चिति बाबू :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने 'कम्लीट वर्क्स आफ शेक्सपियर' (शेक्सपियर का सम्पूर्ण साहित्य) के सभी संस्करणों के आयात पर रोक लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिबन्ध को समाप्त करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). भारत में संस्करणों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 19 -72 की अवधि के लिये शेक्सपियर का सम्पूर्ण साहित्य का आयात आयात-नीति की अनानुमत सूची में शामिल कर लिया गया था। स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया था तथा शेक्सपियर के पूर्ण साहित्य को आयात करने के लिए सार्वजनिक नोटिस सं० 67-आई. टी. सी. (पी. एन.)/71 दिनांक 24-6-1971 द्वारा अनुमति दी गई।

विदेश गये वैज्ञानिक और इंजीनियर

5470. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर विदेशों को वहां बसने के लिए गए हैं तथा कितने अस्थाई वीसा लेकर गये हैं ; और

(ख) प्रतिभा-पलायन की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुये सरकार ने इन व्यक्तियों को विदेश जाने से रोकने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है। फरवरी, 1971 में प्रकाशित 'तकनीकी जन-शक्ति बुलेटिन' वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद, के अनुसार लगभग 6,000 भारतीय वैज्ञानिक और 15,000 भारतीय इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञों के विदेशों में होने का अनुमान है।

(ख) विशिष्ट वैज्ञानिकों के लिए अधिसंख्यक पदों को निर्माण करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है, जिससे उनको देश में रोजगार की कमी के कारण विदेशों को न जाना पड़े। भारत में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की रोजगार सुविधा को सुधारने के लिए और जो लोग विदेशों में हैं, उनकी वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये जो कदम उठाये गये हैं, उनके बारे में एक विवरण संलग्न है। ये प्रयत्न जारी रहेंगे।

विवरण

(क) वैज्ञानिक और इंजीनियरों की नौकरी की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए जो कुछ उपाय किए गए, वे इस प्रकार हैं :—

(1) योग्यता के आधार पर पदोन्नति तथा योग्यता पदोन्नति योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिकों को अग्रिम वेतन-वृद्धि दी जाती है।

(2) वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक से ऊपर वैज्ञानिक 'सी' के स्तर तक (रु० 700 से से 1250) तक के अगले ऊंचे पद के लिए वैज्ञानिकों की योग्यता पांच वर्षों में एक बार आंकी जाती है।

(3) देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, संस्थानों और अनुसन्धान संस्थाओं तथा विश्व-विद्यालयों के बाहर भी शिक्षा-वृत्तियां दी जाती हैं।

(4) वैज्ञानिकों को अनुसन्धान के लिये सहायक अनुदान देना।

(5) इंजीनियरों को नौकरी की सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की थी। सरकार ने इनको आमरूप से स्वीकार कर लिया है।

(क) केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें चौथी तथा आगामी योजनाओं में शामिल की जाने वाली उन परियोजनाओं की तैयारी का कार्य आरम्भ कर दें जिनके लिये साधन उपलब्ध हैं अथवा उपलब्ध किए जाने वाले हैं। यह तय किया जाए और बताया जाए कि पूर्ण रूप से अनुसन्धानित परियोजनाएं ही चौथी योजना में शामिल की जाएंगी।

(ख) चुनी हुई बड़ी पूर्ण परियोजनाओं के तकनीकी प्रतिवेदनों को तैयार करने का कार्य वरिष्ठ इंजीनियरों की देख-रेख में किया जाए।

(ग) जितनी जल्दी सम्भव हो सके, पांच हजार प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के उद्योग-प्रशिक्षण-कार्यक्रम का विस्तार किया जाए। ऐप्रेन्टिस एक्ट में इंजीनियर स्नातक तथा डिप्लोमा-धारियों को शामिल करने के लिए संशोधन करने के सम्बन्ध में श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के प्रस्ताव की शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से आगे जांच की जाये।

(घ) विद्युत केन्द्रों को चलाने और व्यवस्थित करने के लिए पन्द्रह सौ स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाए।

(ङ) रिक्त स्थानों को बिना विलम्ब भरा जाए। जहां सम्भव हो भर्ती के नियम तथा निर्धारित योग्यताओं में संशोधन किया जाए। तकनीकी पदों को भरने के लिये जो रोक लगी हुई है, उसे बढ़ाया जाए।

(च) आर्मी टैक्नीकल कोर के लिए अल्प सेवा तकनीकी आयोग को आरम्भ करने पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।

(छ) भारतीय परामर्शीय संगठनों के विकास को प्रोत्साहित किया जाए। वर्तमान परामर्शीय संगठनों की क्षमता और समर्थता को ध्यान में रखते हुए, जहां तक सम्भव और वांछनीय हो, बड़ी परियोजनाओं, विदेशी सहयोग से चालू परियोजनाओं और उन परियोजनाओं में, जिनके वास्ते वित्तीय सहायता सरकार द्वारा स्थापित्त वित्तीय संगठनों में मांगी गई है, नियुक्ति के लिए भारतीय परामर्शीय संगठनों अथवा आवश्यक विशेषज्ञ युक्त सरकारी संगठनों द्वारा दिए गए तकनीकी

योग्यता और साध्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों को मान्यता देने पर जोर दिया जाए।

(ज) लघु स्तर के उद्योगों की स्थापना के लिए इंजीनियरों को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में एक विशेष योजना तैयार की जाए। इस संदर्भ में अभी तक जो प्रतिक्रिया हुई है, उसको ध्यान में रखकर, स्टेट बैंक की चालू योजना का पुनर्विलोकन किया जाये।

(झ) निर्माण कार्य की ठेकेदारी व्यवस्था में सरकार द्वारा स्वीकृत ठेकेदारों के लिए योग्य इंजीनियरों को नौकरी पर रखने के सम्बन्ध में ठेकेदारी के जो नियम हैं उनको लागू किया जाए।

(ञ) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य आरम्भ करने अथवा कृषि यन्त्रों (मशीनरी) की मरम्मत और उनकी सर्विस की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने के वास्ते इंजीनियरों को प्रोत्साहित किया जाए।

(ट) सरकारी संगठनों में इंजीनियरों को क्रय, विक्रय तथा व्यवस्था के पदों पर नौकरी प्रदान करने की सम्भावनाओं की खोज की जाये।

(ठ) वैज्ञानिक अनुसन्धान और विकास के लिए बहु-विशिष्टीय दृष्टिकोण अपनाया जाये।

(ड) विकासशील मित्र देशों के विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करने के हेतु तकनीकी विशेषज्ञों को भेजने के सम्बन्ध में विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के मार्फत विशेष प्रयत्न किये जाये।

(ढ) फैक्टरियां निश्चित संख्या से अधिक कामगरों को नौकरी पर रखती हैं और बिजली का प्रयोग करती हैं उन्हें योग्य इंजीनियरों को काम पर रखने के लिये बाध्य किया जाये। इस सम्बन्ध में श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के प्रस्ताव को औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय के परामर्श से पुनः जांचा जायें।

(6) विश्वविद्यालयों की चौथी योजना की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विशिष्टियों/विश्वविद्यालय विभागों में वरिष्ठ कर्मचारियों के पद निर्मित करने के वास्ते सहायता देने के लिये सहमत हो गया है। प्रयोगशालाओं और विशिष्ट उपस्करों की खरीद सहित अन्य सुविधाओं के विकास के लिये व्यवस्था की गई है। इस प्रकार, अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कार्य/अनुसंधान के लिये अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं।

(7) विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च अध्ययन केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सावधानी से चुने गये विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विभागों को विशेष सहायता प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिये उपर्युक्त परिस्थितियों और सुविधाओं की व्यवस्था करना और केन्द्रों में कार्य करने के लिये योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करना है।

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में भी सुधार किया है जिनसे उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के आकर्षित होने तथा वहां बने रहने की सम्भावना है।

(9) शिक्षण व्यवसाय के प्रति उच्च बौद्धिक योग्यता वाले पुरुषों और स्त्रियों को काफी अनुपात में आकर्षित करने के महत्व पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निरन्तर बल देता रहा है। विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों के वेतनमान सुधारने के अलावा, शिक्षण व्यवसाय में अनिवार्य सुविधाओं तथा प्रेरणाओं की व्यवस्था करने के प्रयत्न किये गए हैं। अनुसंधान तथा विद्वत्तापूर्ण कार्य, अध्यापकों के विनिमय, देश में उच्च अध्ययन में अनुसन्धान के केन्द्रों का दौरा करने के लिये यात्रा अनुदानों और विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिये, स्टाफ क्वार्टरों और अध्यापकों के आवास आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ख) वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) विदेशों से वापस लौटने पर, सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों और शिल्प-विज्ञानियों की अस्थायी नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने के लिए एक वैज्ञानिक पूल का निर्माण।

(2) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्य पदों का निर्माण, जिन पर विदेशों में कार्य तथा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की तुरन्त अस्थायी नियुक्ति की जा सकती है।

(3) संघ लोक सेवा आयोग तथा बहुत से राज्य लोक सेवा आयोग उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा शिल्प-वैज्ञानिकों को, जिनके विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में अंकित होते हैं, उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिये व्यक्तिगत सत्य के रूप में उम्मीदवार मानने के लिये सहमत हो गये हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत में पदों के लिए भारतीय वैज्ञानिकों तथा शिल्प-विज्ञानियों का विदेशों में साक्षात्कार करने की व्यवस्था भी कर ली है।

(4) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा शिल्प-विज्ञानियों के नाम दर्ज करने के

लिये तथा उनके नामों को सभी संत्रालयों, भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघ तथा राज्य लोक सेवा ग्रायोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा वृहत् निजी क्षेत्र प्रतिष्ठानों में प्रसारित करने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के एक विशिष्ट ग्रनुभाग का ग्रनुरक्षण ऐसे कर्मचारियों के नाम मासिक तकनीकी जन-शक्ति बुलेटिन (सी० एस० ग्राई० ग्रार०) में प्रकाशित किये जाते हैं, जो कि सारे भारत में लगभग तीन हजार संस्थाओं को निःशुल्क बांटी जाती है।

(5) उन वैज्ञानिकों को यात्रा ग्रनुदान देने की व्यवस्था जो कि भारत में ग्रनुसंधान संस्थान में चुने जाने पर उन संस्थानों में कम-से-कम तीन वर्षों तक काम करने को तैयार हों।

'प्रतिभा पलायन' और वैज्ञानिकों तथा शिल्प-विज्ञानियों के लिये काम देने का प्रश्न विज्ञान ग्रौर तकनीकी कमैटी (कोस्ट) के विचाराधीन है।

तामिलनाडु ग्राइसक्रीम निर्माता संघ का दुग्धचूर्ण के लिये ग्रनुरोध

5471. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु ग्राइसक्रीम निर्माता संघ, मद्रास से दुग्ध चूर्ण की सप्लाई के बारे में हाल ही में कोई ज्ञापन प्राप्त हुग्रा है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) संघ द्वारा दिया गया सुझाव स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया।

विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना

5473. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 में देशवार कितने विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई ; ग्रौर

(ख) उक्त ग्रवधि में कितने भारतीयों ने भारतीय नागरिकता का त्याग किया ग्रौर विदेशों में बस गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) भारतीय नागरिकों के लिये विदेशी नागरिकता ग्रर्जित करने पर सरकार को सूचित करने का प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में नहीं है। ग्रतः सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1 अप्रैल, 1970 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1) (ग) के अन्तर्गत पंजीकरण द्वारा तथा धारा 6(1) के अन्तर्गत देशीकरण द्वारा 269 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इन व्यक्तियों के देशवार अलग-अलग ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

देश	धारा 5(1) (ग) के अन्तर्गत संख्या	धारा 6(1) के अन्तर्गत संख्या	जोड़
अफगानिस्तान	—	1	1
आस्टरिया	1	—	1
आस्ट्रेलिया	—	1	1
बैलजियन	—	1	1
बर्मा	5	11	16
लंका	10	2	12
चीन	3	—	3
फ्रांस	—	1	1
जर्मनी (जी०डी०आर०)	1	—	1
इंडोनेशिया	1	—	1
इरान	5	3	8
इसराईल	1	—	1
नेपाल	2	—	2
पाकिस्तान	195	—	195
पुर्तगाल	1	6	7
सिंगापुर	1	—	1
दक्षिणी अफरीका	1	—	1
यू० के०	8	1	9
यू० एस० ए०	—	1	1
बिना राज्य के	3	3	6
जोड़	238	31	269

2. इसके अतिरिक्त, उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने

वाले वर्ष में जिलों में क्लैक्टरों द्वारा तथा विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1) (क) / (ख) / (घ) के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों के रूप में भारतीय मूल के 2284 व्यक्ति दर्ज किए गये।

'फ्लाई ऐश' का भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिये केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद द्वारा किया गया अनुसंधान

5474. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईन्धन अनुसन्धान संस्थान, धनबाद ने 'फ्लाई ऐश' का भवन निर्माण सामग्री के रूप में, विशेषकर ईंटें ब्लाक और छत की टाईलें बनाने के लिए उपयोग करने की सम्भावना का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, (सी० एफ० आर० आई०), जियेलगोरा में 'फ्लाई ऐश' के उपयोग पर किये गये अनुसंधानों के परिणामस्वरूप ईंटें बनाने की दो प्रक्रियायें विकसित हुई हैं। ये ईंटें सामान्य भवन निर्माण की ईटों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इनमें आकृतीय स्थिरता और कम सरंध्रता भी पाई गई है जिससे ये बिना सीमेंट प्लास्टरिंग के प्रयोग की जा सकती है।

केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन केरल सरकार के विधेयक

5475. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हरी भूसी का मूल्य नियंत्रित करने विषयक विधेयक अनुमति के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या अनुमति दे दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुमति कब तक दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ऐसा कोई विधेयक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये अनिर्णीत आवेदन पत्र

5476. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1969 से पहले पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये दिये गये आवेदन-पत्रों में से 31 मार्च, 1971 तक कितने आवेदन पत्रों पर निर्णय नहीं किया गया ; और

(ख) इन आवेदन पत्रों को निपटाने में देरी के क्या मुख्य कारण है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Clash between Nagas and Border Security Force

5477. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in newspapers dated the 22nd June, 1971, under the caption "Eight Jawans of the Border Security Force killed in clash with underground Nagas" ;

(b) if so, the causes leading to the said incident ; and

(c) whether foreign powers have a hand in this incident and, if so, the measures proposed to be taken by Government to check the recurrence of such incidents once for all ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). Yes, Sir. We have no information about the occurence of the alleged incident. The Government of Nagaland, in a press note, have denied the occurence of any such incident.

रूस, अमरीका, फ्रांस, कनाडा और इंगलैंड को "टैक्सी डरमिस्ट" द्वारा तैयार किये गये "माडलों" की सप्लाई

5478. **श्री हरी सिंह :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस, अमरीका, फ्रांस, कनाडा और इंगलैंड ने "टैक्सी डरमी" विशेषज्ञ द्वारा तैयार किये गये हजारों माडलों और वस्तुओं की सप्लाई करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित वस्तुओं और माडलों की सप्लाई करने से लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) . (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लोअर डिवीजन क्लर्कों को संघ लोक सेवा आयोग की लोअर डिवीजन की परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया जाना

5479. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार के अस्थायी, अर्धस्थायी और स्थायी लोअर डिवीजन क्लर्कों को 35 वर्ष की आयु तक संघ लोक सेवा आयोग की लोअर डिवीजन ग्रेड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इनमें से कुछ लोअर डिवीजन क्लर्क चयन से पूर्व 10-15 वर्ष तक सरकारी सेवा कर चुके होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके वेतन आवास के लिये वरिष्ठता तथा उनकी लम्बी सेवा के अन्य लाभ को सुरक्षा दी जाती है ;

(घ) क्या इस प्रकार के लोग्रर डिवीजन क्लर्कों को यदि संघ लोक सेवा आयोग उनका चयन कर ले अग्रेतर पदोन्नति के लिये वरिष्ठता का लाभ मिलेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें अन्य लाभ क्यों दिए जाते हैं उनको 35 वर्ष की आयु तक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ). द्वितीय वेतन आयोग ने, जबकि वह केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे लोग्रर डिवीजन क्लर्कों की उन्नति के अवसरों के बारे में विचार कर रहा था, साथ ही साथ यह भी सिफारिश की थी कि उन्हें उम्र में पर्याप्त छूट देते हुए सचिवालय की लोग्रर डिवीजन क्लर्क ग्रेड में नियुक्ति के लिये प्रतियोगिता में बैठने की अनुमति दी जा सकती है सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे उन लोग्रर डिवीजन क्लर्कों को जिन्होंने सेवा में कम से कम 3 वर्ष पूरे कर लिये हैं, सन् 1962 से आगे के लिये सचिवालय की लोग्रर डिवीजन क्लर्क ग्रेड में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली जाने वाली क्लर्क ग्रेड परीक्षा में प्रवेश के लिये 35 वर्ष की उम्र तक छूट देते हुए बैठने की अनुमति प्रदान की गई है ।

चूंकि ये लोग्रर डिवीजन क्लर्क 35 वर्ष की आयु तक प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं, अतः यह सम्भव है कि उनमें से कुछ 10-15 वर्ष तक की सेवा पूरी कर चुके हों । उन्हें कोई आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ती है, क्योंकि अधीनस्थ कार्यालयों में उनके द्वारा लिये जाने वाले पिछले वेतन का संरक्षण किया जाता है, बशर्ते कि उनकी सेवा में कोई विच्छेद न हो । वे केन्द्रीय सरकार के अधीन जिस तिथि से सेवा में आये हैं, उसी तिथि से सरकारी आवास के अधिकारी हैं ।

यद्यपि, वे अधीनस्थ कार्यालय की अपनी पिछली सेवा को सचिवालय में लोअर डिवीजन ग्रेड की वरिष्ठता में जुड़वाने के अधिकारी नहीं है । उनकी वरिष्ठता, योग्यता के उसी आधार पर तय की जाती है, जिसमें उनका चयन किया गया हो, पहले हुई परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्ति उसके बाद में हुई परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ हैं ।

मोटरवाहनों के लिये रबड़-युक्त जटा के "फ्लोर मेट" को बिक्री के लिये बाजार

5480. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विदेशों में मोटर कारों के निर्माताओं के साथ निमित ठेके के अधीन मोटर वाहनों के लिये रबड़-युक्त जटा के "फ्लोर मेट" के लिये विश्व-बाजार बनाने की संभावनाओं पर विचार किया है ।

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : इस सम्बन्ध में मोटर गाड़ियों के सभी मुख्य निर्माताओं से सम्पर्क स्थापित किया गया है परन्तु वे कारों की नारियल जटा की मेटों की सप्लाई करने के लिये सीधे संविदा करने के इच्छुक नहीं हैं । तथापि सरकार पश्चिमी यूरोप में इस वस्तु के लिए बाजार के विकास की सम्भाव्यता पर विचार कर रही है ।

रबड़ का उत्पादन तथा मोटरगाड़ियों के टायरों एवं ट्यूबों के उत्पादन पर इसका प्रभाव

5481. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में रबड़ का उत्पादन बढ़ा है ; और

(ख) इस बढ़े हुये उत्पादन का (1) मोटर वाहनों के टायरों एवं ट्यूबों के उत्पादन पर (2) कच्चे रबड़ के आयात पर और (3) कच्चे रबड़ के मूल्यों पर, यदि कोई प्रभाव है, तो यह क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) रबड़ के उत्पादन में हुई वृद्धि के फलस्वरूप ये प्रभाव पड़े हैं, (1) मोटरगाड़ियों के टायरों एवं ट्यूबों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, (2) 1970-71 के बाद कच्चे रबड़ का आयात बन्द हो गया है, (3) टैरिफ आयोग की सिफारिश के आधार पर सितम्बर, 1970 में अन्य कोटियों के लिये उपयुक्त अन्तर सहित आर०ए० गेंड 1 के सम्बन्ध में कच्ची रबड़ का निकटतम जिला मुख्यालय मूल्य 520 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।

देश में जासूसों की गतिविधियाँ

5482. **श्री कृष्ण चंद्र पांडे :** **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों में जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल पंजाब तथा गुजरात राज्यों में कितने पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये ;

(ख) उनसे जब्त किये गये दस्तावेज एवं सामान किस प्रकार के थे ; और

(ग) जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में जासूसी की कार्यवाही रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में उप-मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). गुजरात सरकार ने बताया है कि 1 मार्च, 1971 के पश्चात् राज्य में ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। जम्मू व काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से सूचना अभी आनी है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सरकार का सभी सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है।

गोरखपुर जिले में आकाशवाणी केंद्र

5483. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर जिले में आकाशवाणी के एक केन्द्र की स्थापना की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तब यह केन्द्र पूरा हो जाएगा और यहां से कब प्रसारण प्रारम्भ किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1973 के अन्त तक ।

अहमदाबाद स्थित जहांगीर मिल को पुनः चालू करना

5484. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अहमदाबाद स्थित जहांगीर मिल, जो 30 मई, 1970 से बन्द पड़ी है, के सम्बन्ध में श्रमिकों तथा जहांगीर मिल (अहमदाबाद) चालू करने समिति अहमदाबाद (गुजरात) से सदस्यों की ओर से पत्र और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उक्त मिल के बन्द होने के कारण लगभग 2500 बेरोजगार हो गए हैं तथा उक्त श्रमिकों के परिवारों के लगभग 10,000 व्यक्ति तब से आधे भूखे रह रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मिल को फिर से चालू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 1700 कर्मचारी ।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18-क के अन्तर्गत मिल का प्रबन्ध हाथ में लेने का विनिश्चय किया गया है और इस लम्बन्ध में शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने की सम्भावना है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अल्यूमीनियम का आयात और उसका वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचा जाना

5485. **श्री नरेंद्र कुमार साँघी** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1970 में सम्वाहकों तथा तारों के निर्माण के लिए 25,000 टन अल्यूमीनियम का आयात करने का निश्चय किया था ;

(ख) क्या यह भी निश्चय किया गया था कि इसका 50 प्रतिशत आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा और शेष वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा ;

(ग) यदि हां, तो क्या पूरी मात्रा का आयात कर लिया गया था ;

(घ) यदि नहीं, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कितना कम आयात किया गया ; और

(ङ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित अल्यूमीनियम में से वास्तविक उपभोक्ताओं को कितनी मात्रा दी जायेगी तथा किस मूल्य पर ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने डी०जी०टी०डी० एककों के लिए वर्ष 1970-71 के दौरान लगभग 24,000 मे० टन एल्युमीनियम का आयात करने का विनिश्चिय किया था ।

(ख) जी नहीं । खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयात हेतु कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई थी ।

(ग) वर्ष 1970-71 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 14,200 मे० टन का आयात किया । गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा वास्तविक आयात की अभी जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) वास्तविक प्रयोक्ताओं को निम्नलिखित मूल्यों पर 3497.35 मे० टन की मात्रा की पूर्ति की जा चुकी है अथवा की जा रही है :

सुपुर्द की गई/ सुपुर्द की जा रही मात्रा	तिमाही	विक्रय मूल्य प्रति मे०टन
मे०टन		रु०
545.09	जनवरी-मार्च, 1971	6990
2952.26	अप्रैल-जून, 1971	6795 (तार छड़ों के लिए)
		6730 (पिण्ड छड़ों के लिए)

पश्चिम बंगाल की कूच-बिहार जिले की ग्राम जनता के साथ स्थानीय पुलिस का दुर्व्यवहार

5486. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल कूच-बिहार जिले में स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा किशोरावस्था के बहुत से लड़कों को 1970 के अन्त में तथा 1971 के प्रारम्भ में पूछ-ताछ के लिए अथवा किसी अन्य कारण से पकड़ा गया था तथा उन सभी लड़कों को निर्दयता से पीटा गया था और आवश्यक रूप से कुछ दिनों हिरासत में रखा गया था ;

(ख) क्या पुलिस प्रशासन के इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं ;

(ग) कितने लड़कों को पकड़ा गया, उनसे पूछ-ताछ की गई तथा उन्हें कितने-कितने दिनों तक हिरासत में रखा गया ;

(घ) उनमें से कितने लड़के दोषी पाये गये ; और

(ङ) उन्हें गैर-कानूनी ढंग से तंग करने तथा हिरासत में रखने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार उन सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ). पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि के भुगतान के लिये टेलीफोन उपभोक्ताओं को नोटिस

5487. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में टेलीफोन विभाग ने दिल्ली में टेलीफोन के उपभोक्ताओं को टेलीफोन बिल जारी किये हैं जिसमें उन्हें एक वर्ष और दो वर्ष के बिलों की बकाया राशि का भुगतान करने को कहा गया है ;

(ख) टेलीफोन विभाग द्वारा ऐसे बिल जारी करने में काफी समय लेने के क्या कारण हैं और कितने मामलों में टेलीफोन लाइन काट दी गई थी ;

(ग) क्या बहुत से मामलों में टेलीफोन उपभोक्ताओं ने इस आधार पर विरोध किया है कि बिलों में वास्तविक शुल्क से अधिक शुल्क दिखाये गये हैं ; और

(घ) क्या बिलों को विलम्ब से प्राप्त करने के कारण उपभोक्ताओं को गलत दिखाये गये शुल्क पर विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता है और उनको इसका पूरा भार वहन करना पड़ता है और यदि हाँ तो क्या इस विलम्ब के लिए किसी पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और बिलों को नियमित रूप से भेजने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). जी हां । केवल उन्हीं मामलों में बिलों की प्रतियाँ भेजी जाती हैं जिनमें उपभोक्ताओं के नाम पुरानी रकम शेष हो । उन रकमों के बिल समय पर ही जारी किये गये थे, लेकिन उपभोक्ताओं ने किसी न किसी कारण से उनका

कपड़ा मिलों के सम्बंध में पश्चिम बंगाल की विशेषज्ञ समिति के सुझावों की क्रियान्विति

548৪. **श्री एन० ई० होरो** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियुक्त पश्चिम बंगाल की विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन भेज दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) समिति ने 18-2-69 को अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन भेजा था।

(ख) तीन एककों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन तथा अन्य मामलों में भेजे गये अलग अलग प्रतिवेदनों के आधार पर राज्य सरकार ने वस्त्र आयुक्त को उपयुक्त मामलों में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने तथा अन्य मामलों में प्रबन्धकों को राज्य वित्तीय निगम से इन प्रतिवेदनों में निर्दिष्ट शर्तों के पूरा हो जाने पर अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त करने का परामर्श दिया। यह देखते हुए कि राज्य वस्त्र निगम की स्थापना के लिए काफी बड़ी धनराशि चाहिए, राज्य सरकार ने राज्य के प्रस्तावित वस्त्र निगम के लिए पूंजी ढांचे की एक संशोधित पद्धति का सुझाव दिया है जो भारत सरकार के विचाराधीन है। राज्य वस्त्र निगम के गठन के बारे में विनिश्चय होने तक राज्य सरकार कुछ कमजोर एककों के लिए वित्त प्राप्त करने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ बातचीत कर रही है। कुछ मामलों में राज्य सरकार ने इक्विटी में निवेश किया और बैंक ऋणों के लिए गारंटी देने का निश्चय किया। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अनेक मामलों में जांच प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं और कुछ मामलों में जांच समिति के प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं और वे सरकार के विचाराधीन हैं।

गुजरात के लिये पुनरीक्षित चौथी योजना

5489. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात के लिए चौथी योजना का विस्तार करने का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या निर्णय किया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जामनगर जिले के गाँवों में सार्वजनिक टेलीफोन घर

5490. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात के जामनगर और हलार जिलों के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) गुजरात के जामनगर और हलार जिलों के, लाठीपुर को छोड़कर सभी प्रशासनिक/सार्वजनिक महत्व वाले स्थानों पर, टेलीफोन सुविधा दे दी गई हैं। लाठीपुर में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर के उप-डाकघर में बदले जाने के बाद, वहां सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने पर विचार किया जायेगा।

(ख) जहां कहीं प्रस्ताव आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होते हैं, टेलीफोन सुविधाएं दे दी जाती

हैं। जिन मामलों में प्रस्ताव अलाभकारी होते हैं, यदि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाले घाटे को पूरा कर दे तो किराया और गारंटी के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिये जाते हैं।

इन्जीनियरों की बेरोजगारी दूर करने हेतु गुजरात को वित्तीय सहायता

5491. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अपने राज्य में इन्जीनियरों की बेरोजगारी दूर करने के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को कितनी धनराशि दी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार के लिए 1969-70 तथा 1970-71 में क्रमशः 20 लाख तथा 15.61 लाख रुपये की विशेष ऋण सहायता सिंचाई, बिजली तथा बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच के कार्य को बढ़ाकर इन्जीनियरों को नौकरियां देने के लिए मंजूर की है ।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर

5492. **श्री गदाधर साहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ; और

(ग) वे कहां-कहां खोले जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी योजना की शेष अवधि के दौरान 60 नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) जिन स्थानों पर डाकघर खोलने के अस्थायी प्रस्ताव हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

1971-72	1972-73	1973-74
बातसपुर	उकरून	घट्टोर
लाघोसा	कचरीघाट	झिरूल
कालेश्वर	प्रतापपुर	मल्लिकपुर
कोगराम	बेलाई	गोवलमाल
उचानूर	हरिशा	रेलपुर
चंगूरिया	माझीग्राम	पट्टाडांगा
गोपेग्राम		

फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि डाकघरों का खोला जाना यह देखने के लिए प्रत्येक प्रस्ताव की जांच करने पर निर्भर करता है कि विभागीय मानकों की पूर्ति हो रही है ।

पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

5493. **श्री गदाधर साहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के उन शाखा डाकघरों के नाम क्या है जिनका वर्ष 1971-72 में उप-डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) उनकी संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां स्थित है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). 1971-72 के वर्ष के दौरान जिन 4 विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर विभागीय उप-डाकघर बनाये जाने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार हैं :

1. चतरा
2. लोहापुर
3. कुरुमग्राम
4. चाँदपुर

पश्चिम बंगाल के ग्राम्य क्षेत्रों में परिक्षणात्मक डाकघर

5494. **श्री गदाधर साहा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीरभूम पश्चिम बंगाल के ग्राम्य क्षेत्रों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इस वर्ष परीक्षणात्मक डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) वीरभूम जिले के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार की डाक सम्बन्धी सुविधाओं की बढ़ती हुई मांग है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1971-72 वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर डाकघर खोलने का प्रस्ताव है :—

बतासपुर

लारोसा

कालेस्वर

कोग्राम

उचानूर

चांगूरिया

गोपे ग्राम

फिर भी यह कहा जा सकता है कि वीरभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1971-72 वर्ष के

दौरान कुल 20 अतिरिक्त शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है लेकिन जिन तेरह अन्य जगहों पर डाकघर खोले जाएंगे, उनके बारे में अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। उपरोक्त 7 जगहों पर डाकघरों का खोला जाना भी प्रस्तावों की जांच के परिणाम पर और उनके विभागीय मानकों पर पूरा उतरने पर निर्भर करेगा।

(ख) (1) राधीरपुर (2) मोरडीरी (3) जनहानपुर (4) जनुबाजार (5) गड़िया (6) बारसाल (7) जगधारी (8) चितोरी (9) रामभद्रपुर (10) तिराग्राम (11) कामाख्या (12) देवग्राम (13) अनैपुर (14) माहेग्राम (15) रेंगुलिया (16) केशाईपुर (17) सेमरत (18) प्रसादपुर (19) कालीडंगा (20) नीतईपुर (21) एटना (22) अनन्तपुर (23) कामियापुर (24) नसीरग्राम (25) रानीपुर (26) भाटरा (27) बानाग्राम (28) भालुका (29) मोहनपुर (30) कोस्टीकुरी (31) सुईगुर (32) सोलुका गंगूरी (33) उट्टाकोरा (34) सिरसा (35) नोहलिया (36) गोलमाल (37) रानीग्राम (38) नन्दीहाट (39) झिकाडा (40) भदूलिया (41) हरिशा (42) माझीग्राम (43) नूतनग्राम (44) गोहालियारा (45) भावजपुर (46) पाटडंगा (47) रेलपुर (48) रामपुरहाट (49) बहीरा (50) मेजिना गोलमाल (51) रणजीतपुर (52) निरूल (53) मल्लिकपुर (54) रावतरा (55) घट्टोर (56) पालसा (57) जनुबाजार (58) भागवतीपुर (59) डांगापोना (60) उकुन (61) कांचेघटा (62) प्रतापपुर (63) बेलप

उपर्युक्त स्थानों पर डाकघर खोलने के प्रस्तावों की जाँच की जा रही है।

Economically Backward States

5495. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister is fully responsible for the policies of Government and the implementation of the programmes of Government ;

(b) whether in spite of all these plans, some of the States are comparatively backward economically and Bihar is the most backward State ; and

(c) if so, whether the Prime Minister given any directions to the Minister of Planning for allocating funds to the States, having low income, from the Non-plan heads, in addition to the 10 per cent provided for them under the Plans ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the comparable estimates of State incomes furnished by the Central Statistical Organisation for the years 1962-63 to 1964-65, the *per capita* income of some States is below the national average and Bihar's *per capita* income is the lowest.

(c) No, Sir.

Poor Telephone services in North Bihar

5496. **Seri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Telephone services in North Bihar, partiuclarly in Champaran District, are in a pitiable condition ;

(b) whether one cannot have a clear talk over the Telephone even after getting telephone line for Delhi, Calcutta and Bombay but with great difficulty ; and

(c) if so, the remedial measures being taken by Government in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No Sir. Telephone services in North Bihar including Champaran District are normal.

(b) There are no such complaints from subscribers.

(c) Does not arise.

मद्रास में उपग्रह केंद्र की स्थापना

5497. **श्री सी० चित्ती बाबू :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में एक उपग्रह केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या देहरादून में एक (दूसरा) उपग्रह केन्द्र स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) मद्रास से अन्य स्थान पर उपग्रह केन्द्र को ले जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Production of Coarse Cloth

5498. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether a few days back, the Central Government made an announcement to double the production of coarse cloth ;

(b) the ratio in which the production of coarse cloth has inereased as a result of the said announcement ; and

(c) if the production of coarse cloth has not registered any increase, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) A scheme for the production of 100 million sq. metres of controlled cloth in a quarter was evolved towards the end of May, 1971 and it has come into force from 1st June. The working of the scheme is being watched.

इम्फाल से की जानेवाली ट्रंक कालों का स्पष्ट न सुना जाना

5499. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर से बाहर इम्फाल और अन्य स्थानों को की जाने वाली ट्रंक कालों में सदा व्यवधान पड़ता है और स्पष्ट सुनाई न पड़ने के कारण कालें बेकार हो जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। इम्फाल से मणिपुर के बाहर के स्थानों के लिये ट्रंक लाइनों पर श्रव्यता सामान्तः सीमाओं के भीतर होती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

यू० एन० आई० टेलीप्रिंटर सेवा के माध्यम से मणिपुर के समाचार-पत्रों को सहायता देना

5500. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यू० एन० आई० टेलीप्रिन्टर सर्विस के माध्यम से मणिपुर के स्थानीय समाचार-पत्रों को दी गई सहायता की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या समाचार-पत्र केवल उन्हीं समाचारों से लाभान्वित होते हैं जो प्रचार विभाग में कार्य के सामान्य समय के दौरान प्राप्त होते हैं ;

(ग) क्या सरकार स्थिति सुधारने के लिये अन्य साधनों पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की गई कार्यवाही की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (घ). सूचना मणिपुर प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

आकाशवाणी से देश के भौगोलिक ज्ञान के प्रसार के लिये विशेष कार्यक्रम

5501. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आकाशवाणी सभी केन्द्रों से विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा सामान्य जनता को देश का भौगोलिक ज्ञान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और क्योंकि देश बहुत बड़ा है इसलिए देश के प्रत्येक भाग में लोगों को सरल ढंग से देश के दूसरे भागों के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां । यह केवल भौगोलिक ज्ञान के सम्बन्ध में ही नहीं, वरन् देश के विभिन्न भागों के जीवन और संस्कृति के अन्य पहलुओं के बारे में भी ठीक है ।

(ख) देश के भूगोल पर कार्यक्रम स्कूलों के लिये प्रसारणों तथा बच्चों के लिये कार्यक्रमों में शामिल किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से 'भारत-भारती' नामक मासिक पत्रिका कार्यक्रम, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन, साहित्य तथा संस्कृति का चित्रण होता है, नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है । देश के विभिन्न भागों की जानकारी के प्रसार के मामले पर आकाशवाणी तथा सरकार दोनों ही बराबर ध्यान देती रहेंगी ।

दिल्ली स्थित कमला मार्केट में भ्रष्टाचार तथा आपराधिक गतिविधियां

5502. **डा० रानेन सेन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जून, 1971 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस

आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली कमला मार्केट भ्रष्टाचार तथा आपराधिक गतिविधियों का अड्डा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पत) : (क) और (ख). सरकार ने -6-1971 के टाइम्स आफ इन्डिया में निकले समाचार को देखा है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार शराब व्यापार, नशीले पदार्थों की बिक्री, जुआ तथा विदेशी मुद्रा विनिमय तथा चोरी के सामान के बारे में व्यापक शिकायत ठीक नहीं है। इस क्षेत्र में यातायात सम्बन्धी अपराधों तथा यातायात के चलाने में बाधा खड़ी करने के लिये 1970-71 में 8 चालान किये गये।

पहाड़गंज, दिल्ली से एक लड़के का अपहरण

5503. **श्री आर० आर० सिंह देव :**

श्री एच० के० एल० भगत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1971 के 'टाइम्स आफ इन्डिया' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ समाज-विरोधी तत्वों द्वारा पहाड़गंज, दिल्ली से एक लड़के का अपहरण किया गया और लड़के को खोजने के लिए पुलिस आवश्यक सहायता नहीं दे सकी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). सरकार ने समाचार देखा है। दिल्ली पुलिस ने श्री रामजी लाल की रिपोर्ट पर 4-7-68 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अधीन एक मामला दर्ज किया था। गुमशुदा लड़के का न तो पता लगाया जा सका और न ही उसके अपहरण के कोई प्रमाण मिले । मामले को 18-4-69 को पता न लग सके मामले के रूप में दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

5-1-71 को शिकायतकर्ता श्री रामजीलाल ने पुलिस को सूचित किया कि उसका पुत्र लालरों मण्डी पटियाला में मिल गया हैं। मामला पुनः चालू किया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है।

आयात नीति सम्बंधी पुस्तक को निर्धारित समय से पूर्व प्रकाशित करने पर प्रेस रिपोर्टरों का विरोध

5504. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस रिपोर्टरों ने लाल पुस्तक को, जो आयात नीति के बारे में है, निर्धारित समय से पूर्व प्रकाशित करने और चुने हुए संवाददाता को इसकी जानकारी देने के कारण विरोध प्रकट किया था ; और

(ख) क्या प्रैस रिपोर्टरों ने लाल पुस्तक के प्रकाशित होने से पूर्व ही इसके बारे में उनके प्रसारण का तीव्र विरोध किया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). 1 मई 1971 में हुए प्रेस सम्मेलन में कतिपय संवाददाताओं ने पूछा था कि 30 अप्रैल को अर्थात् सरकारी प्रेस सम्मेलन से एक दिन पहले मन्त्री महोदय के भाषण को रेडियो पर प्रसारित करने और रैंड बुक जारी करने का क्या कारण है। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि रैंड बुक जारी करने के सम्बन्ध में सरकारी सूचना 30 अप्रैल को जारी की गई थी और इसके जारी होने के पश्चात् मन्त्री महोदय का भाषण प्रसारित किया गया था।

निर्यात नीतियां तथा सहायता योजनायें बनाने में राज्यों का सक्रिय सहयोग

5505. **श्री निहार लास्कर : श्री मुहम्मद शरीफ : श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने जो निर्यात संवर्धन हेतु राज्य बोर्ड के चेयरमैन हैं, देश के निर्यात संवर्धन सम्बन्धी प्रयासों में राज्य की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने मांग की है कि उनके राज्य द्वारा निर्यात किये जाने वाले मुख्य उत्पादनों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण तथा सहायता योजनायें बनाने में उनका मत निर्णायक हो ;

(ग) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि नीतियां तथा सहायता योजनायें केवल केन्द्र द्वारा ही बनायी जाती हैं और इस प्रकार की नीतियों तथा सहायता योजनाओं से राज्य की कठिनाइयां दूर नहीं हो पाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). कतिपय समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से प्रकट होता है कि महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने ऐसा वक्तव्य दिया है परन्तु इस प्रकार की कोई औपचारिक सूचना मुख्य मंत्री से प्राप्त नहीं हुई है।

देश के निर्यात प्रयास में राज्यों के योगदान को स्पष्ट करने के लिए राज्यों के उद्योग निदेशकों की बैठक के आयोजन हेतु भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था मन्त्रालय ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और शीघ्र ही भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के तत्वावधान में एक बैठक आयोजित करने का विचार है।

देश में लाटरी के टिकटों की बिक्री से लाभ

5506. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने राज्य लाटरी टिकट बेच कर लाभ कमा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में घोटाला की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या लाटरी के टिकटों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अब तक प्राप्त अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है । असम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्र० संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन राज्यों के नाम जिन्हें लाटरी के टिकटों के बिक्री मे लाभ हो रहा है
1.	बिहार	लाभ हो रहा है
2.	हरियाणा	—तदेव—
3.	केरल	—तदेव—
4.	मध्य प्रदेश	—तदेव—
5.	महाराष्ट्र	—तदेव—
6.	मैसूर	—तदेव—
7.	उड़ीसा	—तदेव—
8.	पंजाब	लाभ हुआ किन्तु पिछले कुछ ड्रा से हानि हो रही है ।
9.	राजस्थान	लाभ हो रहा है
10.	तमिल नाडु	—तदेव—
11.	जम्मू और काश्मीर	—तदेव—

Indian News Review shot by European Cameramen

5507. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) Whether an 'Indian News Review' photographed by some European Cameramen has been exhibited in the Cinema halls of Delhi ; and

(b) its effect on the public ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nadini Satpathy) : (a) No Indian News Review photographed by European cameramen has been exhibited in the Cinema halls of Delhi. However, some items pertaining Bangla Desh received from "VISNEWS" *via* Television Centre, New Delhi, were included in INR No. 1172(A).

(b) Government are not aware of any special effect of this News Reel.

Trunk calls put through by Union Ministers from their residential Telephones

5508. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of trunk calls made by each of the Union Minssters, including the Prime Minister, from the telephones installed at their Delhi residences during the period frour the 20th December, 1970 to 18th March, 1971 ;

(b) the expenditure incurred by Government on the trunk calls made by the Ministers during the said period ; and

(c) whether the bills of the trunk calls made by the Ministers for non-official work are also paid from Government account ?

The Minisner of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) A statement showing the number of trunk calls made by each Union Minister with their corresponding values is placed on the table of the House.

(b) and (c). Information is being collected from the Ministers and will be placed on the table of the House as soon as received.

STATEMENT

Statement showing the number of Trunk Calls and amount of Trunk Calls made during the period 20th December, 1970 to 18th March, 1971 in respect of Telephones installed at the residences of the Ministers, State Ministers and Deputy Ministers.

Name of Minister	No. of Trunk Calls	Amount of Trunk Calls.
	*	Rs.
1. Smt. Indira Gandhi	230	10864.50
2. Smt. Nandini Satpathy	74	1580.20
3. Sh. K. V. Raghunatha Reddy	37	1667.00
4. Sh. Jagjivan Ram	15	287.00
5. Sh. P. C. Sethi	103	2614.00
6. Sh. Narender Singh Mahida	110	7330.30
7. Prof. V. K. R. V. Rao	2	176.00
8. Sh. Bhakt Darshan	2	35.00
9. Sh. Amiya Kumar Kisku	16	1068.00
10. Sh. Swaran Singh	46	590.50
11. Sh. Surinder Pal Singh	8	45.50
12. Sh. Y. B. Chavan	39	1876.00
13. Sh. V. C. Shukla	238	9202.30
14. Sh. K. R. Ganesh	31	2436.50
15. Sh. Fakhruddin Ali Ahmed	90	6724.50
16. Sh. A. P. Shinde	77	3665.50
17. Sh. Jaganath Pahadia	60	988.50
18. Dr. S. C. Jamir	16	1172.00
19. Sh. L. N. Misra	242	12281.40
20. Sh. Ram Sewak	112	2193.70

1	2	3
21. Sh. K. K. Shah	151	5946.40
22. Sh. Parimal Ghosh	13	704.00
23. Sh. B. S. Murthy	—	—
24. Sh. K. C. Pant	65	2518.50
25. Sh. Ram Niwas Mirdha	20	404.00
26. Sh. K. S. Ramaswamy	9	352.00
27. Sh. Dinesh Singh	111	4456.50
28. Sh. M. R. Krishna	114	5648.50
29. Sh. Satya Narain Sinha	76	1361.00
30. Sh. Sher Singh	735	7380.50
31. Sh. K. L. Rao	23	2940.50
32. Sh. I. K. Gujral	41	654.00
33. Prof. Sideshwar Prasad	4	102.50
34. Sh. D. Sanjivayya	20	378.00
35. Sh. Bhagwat Jha Azad	43	2250.50
36. Sh Bishwa Nath Roy	3	88.50
37. Sh. Hanumanthaiya	10	340.50
38. Sh. Jagan Nath Rao	12	755.00
39. Sh. K. Raghuramaiah	73	3048.00
40. Sh. Om Mehta	5	160.00
41. Sh. R. S. Panjhazari	19	161.20
42. Sh. P. Parthasarthy	6	252.00
43. Sh. Iqbal Singh	223	5794.50
44. Sh. B. R. Bhagat	161	4335.50
45. Sh. Mohd. Shafi Qureshi	37	951.50
46. Dr. Triguna Sen	8	120.00
47. Sh. D. R. Chavan	40	2630.00
48. Sh. Nitiraj Singh	1	40.00
49. Sh. Gulzari Lal Nanda	165	2351.00
50. Sh. R. L. Chaturvedi	25	401.50
51. Sh. Mohd. Yunus Saleem	151	3704.00
52. Sh. R. K. Khadilkar	46	1908.00
53. Dr. Karan Singh	32	1629.00
54. Dr. (Smt.) Sarojini Mahishi	8	242.00

*Includes calls booked on Telephones working for P. S., Additional P. S.

रूरकेला स्थित डाकघरों के डाक कर्मचारियों के लिये आवासीय सुविधायें

5509. **श्री बी० न० एरेड्डी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रूरकेला स्थित डाकघरों में बहुत बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और डाकियों को आवासीय सुविधायें नहीं दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को श्रेणीवार, आवासीय सुविधायें दी गई हैं ; और

(ग) सरकार के शेष कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). क्वार्टरों के पात्र इन श्रेणियों के 101 कर्मचारियों में से 15 डाकियों और 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को क्वार्टर दिए गये हैं।

(ग) (i) 75 क्वार्टरों के निर्माण की एक परियोजना की मंजूरी दी गई है। इनमें से 42 टाइप-I के हैं, जिसके लिए डाकिए और चौथी श्रेणी के कर्मचारी पाने के पात्र हैं।

(ii) रूरकेला की सिविल टाउनशिप उदित नगर में कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है।

(iii) उड़ीसा के पोस्टमास्टर जनरल मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि० से कुछ क्वार्टर किराये के आधार पर लेने के लिये भी प्रयत्न कर रहे हैं।

लेह में आकाशवाणी केन्द्र

5510. **श्री रामचंद्रन कडनापल्ली** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच लेह के आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारण प्रारम्भ हो गये हैं ; और

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नंदिनी सत्पथी) : (क) जी, हां।

(ख) 1970-71 के अन्त तक 15 लाख 5 हजार रुपए।

कालकाजी, नई दिल्ली स्थित एक गोदाम से लाखों रुपयों के मूल्य की वस्तुओं का जब्त किया जाना

5511. **श्री रामचंद्रन कडनापल्ली** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने कालका जी, नई दिल्ली में एक गोदाम पर छापा मार कर 23 जून, 1971 को लाखों रुपयों के मूल्य की वस्तुयें जब्त की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचंद्र पंत) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस के अनुसार लगभग 1.5 लाख रुपये की कीमत की विभिन्न वस्तुयें (जिसके ब्यौरे अनुलग्नक में दिये गये हैं) 23 जून, 1971 को कालका जी के निकट मदनगीर कैम्प के एक गोदाम से और उस क्षेत्र तथा राजौरी गार्डन के कुछ व्यक्तियों के कब्जे से बरामद की गई। इन वस्तुओं में अधिकांश सम्पत्ति ऐसी है जो दिल्ली के चौबीस स्थानों से चुराई गई है।

इस सम्बन्ध में चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल जारी है।

विवरण

अनुलग्नक

चुराई गई तथा बरामद की गई वस्तुओं की सूची

1. ट्रांजिस्टर	11
2. कैमरा	2
3. ब्रीफ केस	2
4. कपड़ों के बंडल	6
5. साड़ी	2
6. पेंट	2
7. कारें डी० एल० के०—6978) डी० एल० ई०—3485) बी०एच०एस०—5060)	3
8. घड़ियां	3
9. टाइम पीस	3
10. टेप रिकार्डर	2
11. टी० वी० सेट	2
12. वेइंग मशीन	1
13. थरमस	1
14. रेडियो	2
15. टेबल फेन	1
16. घड़ियां	2
17. स्कूटर डी० एल० क्यू०—5231	1
18. जीप डी० एल० एल०—6171	1
19. साइकल	3
20. क्रोकरी	--
21. कपड़े	—
22. शील्ड	—

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट में चाय के अवशेष से कैफी न बनने सम्बन्धी प्रक्रिया का विकास

5512. **श्री देविन्दर सिंह गरचा :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट के डा० एम० एस० आयंगर ने एक ऐसी एक प्रक्रिया का विकास किया है जिससे चाय के अवशेष से कैफीन बनाई जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तरीके का व्यौरा क्या है और प्रति वर्ष कितनी कैफीन का उत्पादन किया जाएगा ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट ने चाय के अवशेष से कैफीन बनाने की प्रक्रिया का विकास किया है ।

(ख) प्रक्रिया में चाय का अवशेष उचित मात्रा में चूने के साथ विलायक सार में लगातार काउंटर-करेन्ट सिद्धान्त के आधार पर तब तक मिलाया जाता है जब तक ठोस और तरल पदार्थ का निस्तार न निकल आये ।

प्रयोग में लाये जाने वाला विलायक ट्राइकोलोरोइथेलीन है । कैफीन घोल में चली जाती है और विलायक के आसवन से पुन: प्राप्त की जा सकती है । इसको पुन: हैक्सीन के साथ ब्रिटिश फार्मीकोपोसिआ क्वालिटी देने के लिये शुद्ध किया जाता है ।

मैसर्स आसाम फार्मा कम्पनी, जोरहाट, जिसको यह प्रक्रिया दी गई है, ने जुलाई, 1970 में बताया है कि वे जल्दी ही उत्पादन प्रारम्भ करेंगे । इसके बाद कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । दो अन्य पार्टियों को और लाइसेंस दिया गया है ।

कैफीन का आयात

5513. **श्री देविन्दर सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रति वर्ष 50 से 70 मीट्रिक टन कैफीन का आयात करती है ; और

(ख) देश में कैफीन का उत्पादन करके प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कैफीन के स्वदेशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उसकी आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिये आवश्यक सीमा तक राज्य व्यापार निगम के माध्यम से उसके आयात की व्यवस्था की गई है । 1970-71 में 27.7 मे० टन कैफीन का आयात हुआ और विगत 5 वर्षों में किसी भी वर्ष में 33.2 मे० टन से अधिक का आयात नहीं हुआ ।

(ख) आन्तरिक उत्पादन, मांग तथा कीमतों के वर्तमान स्तर पर, स्वदेशी उत्पादन द्वारा विदेशी मुद्रा में अनुमानित बचत प्रतिवर्ष 15 लाख रु० है।

जोरहाट स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में कृषि औद्योगिक अवशिष्ट से बोर्ड बानने की प्रक्रिया का विकास

5514. **श्री देविन्दर सिंह गरचा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के डा० एम० एस० आयंगर ने कृषि औद्योगिक अवशिष्ट से बोर्ड बनाने की प्रक्रिया का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां तो इस प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट ने कृषि-औद्योगिक अवशिष्ट से बोर्ड बनाने की प्रक्रिया विकसित की है।

(ख) इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से कृषि-औद्योगिक अवशिष्ट के जैसे धान की भूसी, मूंगफली का छिलका, खोई के छोटे टुकड़ों में एक या दो प्रतिशत पानी को सोखने वाले पदार्थों को मिलाकर तथा इस मिश्रण को लगभग 60 कि० ग्रा० प्रति सेन्टीमीटर दबाव तथा 110-120 अंश सें० ग्रे० तापक्रम पर आवश्यक आकार में परिवर्तित कर लिया जाता है।

विकसित तथा विकासशील देशों की तुलना में भारत में अपराधों की संख्या

5515. **श्री एम० सत्यनारायण राव** :
श्री रामचंद्रन कडनापल्ली :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जनसंख्या तथा एक निश्चित समय सीमा के संदर्भ में हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, आत्महत्या जैसी बड़े अपराधों की संख्या क्या है ; और

(ख) इस मामले में विश्व के विकसित तथा विकासशील देशों की तुलना में भारत की स्थिति क्या है और सूची में उसका स्थान कौन सा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). 1969 (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) में जनसंख्या के सम्बन्ध में हत्या, डकैती, बलात्कार और आत्महत्या जैसे बड़े अपराधों के लिए भारत में अपराध-दर अनुलग्नक-1 में दी जाती है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—709/71**]।

कुछ चुने हुए देशों में 1968 में अपराध की नवीनतम उपलब्ध तुलनात्मक दर, अनुलग्नक-2 में प्रस्तुत की जाती है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी—709/71**]।

आयातित कच्चे काजुओं का वितरण

5516. **श्री एम० के० कृष्णन् : क्या विदेश व्यापार मन्त्री** आयातित कच्चे काजुओं के वितरण के मानदण्ड के बारे में 2 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1087 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन बीच आयातित कच्चे काजुओं के निर्यात के वितरण के सम्बन्ध में केरल सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर कोई कार्रवाई की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केरल सरकार द्वारा दिये गये सुझाव सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिए गये हैं तथा तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Knowledge of Hindi and English typing by Class III Clerks in various Ministries

5517. **Shri Pratap Singh Negi : Will the Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether many Class III Clerks working in the various Ministries/Departments know typing in both Hindi and English languages ;

(b) whether employees knowing Hindi typing are asked to learn English typing as well ; and

(c) if so, the reasons therefor and whether the employees knowing English typing only would also be asked to learn Hindi typing as well ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Under the Central Secretariat Clerical Service Rules, Lower Division Clerks are required to pass a test in typewriting and they have the option to take the test in English or Hindi.

No insturctions have been issued requiring Lower Division Clerks knowing Hindi Typewriting to learn Endlish typewriting as well. Arrangements have, however, been made for the training of those Lower Division Clerks in Hindi typewriting, who do not already have proficiency in it.

Sub Post Offices and Branch Post Offices in Garhwal Distrrict (Uttar Pradesh)

5518. **Shri Pratap Singh Negi :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of location of Sub Post Offices functioning in Garhwal District in Uttar Pradesh at present ;

(b) the names of places in Garhwal in the case of which demand for the opening of new Branch Post Offices has been made by the public ; and

(c) the names of places where new Branch Post Offices would be opened ?

The Minister of Communications (Shri H. R. Bahuguna) : (a) There are 42 depart-

mental and sub post offices and 6 extra departmental sub post offices functioning in Garhwal Districts given below :

Departmental Sub Post Offices :

Urban

1. Deoprayag
2. Degadda
3. Kotdwara
4. Kotdwara R.S.
5. Lansdowne
6. Upper Bazar

Rural

1. Baijrao
2. Bhingukhal
3. Biron Khal
4. Chipalghat
5. Duraikhal
6. Dhumakot
7. Ekeshwar
8. Jaharikhal
9. Kalagarh
10. Kamaleshwar
11. Kanda Khal
12. Khirsu
13. Kot
14. Nainidanda
15. Naithana
16. Naugaon Khal
17. Pabau
18. Paidul
19. Parsundakhal
20. Patisain
21. Pokhra
22. Ram Ganga Project
23. Rikhnikhal
24. Rudra Prayag
25. Satpuli
26. Shankracharyanagar
27. Silogi
28. Srinagar
29. Swargashram
30. Khaliasain
31. Laxman Jhula
32. Dada mandi
33. Syunsinagar
34. Dudhari Khal
35. Kalzikhal
36. Lansedowne Cantt.

Extra Departmental Sub Post Offices in Garhwal District :

Urban

1. Kandolia
2. Najibabad

Rural

1. Dalchaura
2. Mawadhar
3. Paukhal
4. Lwali

(b) Representation from public for opening of Post Offices in Garhwal District at following places have been received.

1. Pinakot
2. Mokhshan Bara
3. Chaura Khal
4. Behara Khal
5. Khankra

(c) New Post Offices are likely to be opened at the following places if it is found justified, after examination :

1. Bahera Khal
2. Ghaur Khal
3. Bagar Khet
4. Khankra Khal
5. Pinakot
6. Chaubata Khal
7. Raur Khal
8. Mauj Khal
9. Than
10. Palan
11. Devari Devi
12. Peral

तार विभाग के नैमित्तिक श्रमिक

5519. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर डिवीजन, मध्य प्रदेश के तार विभाग के नैमित्तिक श्रमिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में 18 जून को हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो मांगें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) सरकार ने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) ग्वालियर शहर में केबिल के काम पर लगे कुछ आकस्मिक मजदूर कर्मचारियों ने जो मस्टर रोल पर हैं, मानकों के अनुसार निर्धारित किये गये कार्य के बराबर काम करने से इंकार कर दिया और तब वे 18-6-71 को काम पर से अनुपस्थित रहे। बाद में गैर-हाजिर कर्मचारी काम पर आ गये।

(ख) वेतन में संशोधन करने की उनकी मांग का स्वरूप डाक-तार विभाग में लागू स्वीकृत अनुसूची के अनुरूप नहीं था।

(ग) उपरोक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्दू समाचारपत्रों पर नई दिल्ली में हुई गोष्ठी

5520. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1971 में उर्दू समाचारपत्रों पर नई दिल्ली में कोई गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में किन पहलुओं पर चर्चा की गई तथा क्या निष्कर्ष निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी हां । अखिल भारतीय लघु तथा मंझोले समाचारपत्रों की फैडरेशन तथा प्रैस एशिया इन्टरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित गोष्ठी नई दिल्ली 25, 26 तथा 27 जून, 1971 को हुई थी।

(ख) गोष्ठी में उपमहाद्वीपप की वर्तमान स्थिति पर, विशेषकर बंगला देश के मामले और उर्दू समाचारपत्रों की भूमिका के संदर्भ में विचार-विमर्श किया गया था । अन्त में गोष्ठी में सर्वसम्मति से मतैक्य पास किया गया था जिसकी एक प्रति संलग्न है। गोष्ठी में उर्दू समाचारपत्रों की व्यावसायिक समस्याओं के बारे में कुछ सिफारिशें भी की गई थीं। इन पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

"उपमहाद्वीप की वर्तमान स्थिति और समाचारपत्रों की भूमिका" पर उर्दू के सम्पादकों की तीन दिन की गोष्ठी में भाग लेने वाले प्रमुख उर्दू समाचारपत्रों के 80 से अधिक सम्पादकों ने निम्नलिखित मत सर्वसम्मति से स्वीकार किया ।

2. भारत-पाक सम्बन्धों की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके, सारे भारत से आये उर्दू समाचारपत्रों के सम्पादकों की यह गोष्ठी इस बात पर खेद प्रकट करती है कि स्थिति उतरोत्तर गम्भीर और खतरनाक बनती जा रही है। उप-महाद्वीप में शांति को खतरा एक दुखद वास्तविक तथ्य बन गया है। हमारा विश्वास है कि इसका कारण पाकिस्तान की सैनिक सरकार द्वारा अपनाई जा रही जिंगोवादी तथा युक्तिहीन नीति है। इससे जो गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, वह है बंगला देश से शरणार्थियों का भारत में निष्क्रमण। यह समस्या उपमहाद्वीप की शांति के लिए बराबर खतरा बनती जा रही है। यह केवल भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्या नहीं है, बल्कि यह सम्पूर्ण संसार से सम्बन्धित है और निश्चित रूप से पाकिस्तान की आन्तरिक समस्या नहीं है।

3. इस गोष्ठी की यह राय है कि अब समय आ गया है जब सरकार को सम्पूर्ण संसार विशेषकर बड़ी ताकतों को स्पष्ट शब्दों में यह बता देना चाहिए कि यदि यह समस्या जल्दी से हल नहीं हुई, तो भारत को अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए वे सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा जो वह जरूरी समझेगा। हमारे विचार तो हमेशा ही राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उटाये जाएंगे, हम उनका पूरा समर्थन करते रहेंगे।

4. यह गोष्ठी अमरीका तथा कुछ अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान के सैनिक शासन को शस्त्रों की सहायता जारी रखने के विरुद्ध अपना सख्त विरोध प्रकट करती है। हमारा यह निश्चित मत है कि इस प्रकार के कदमों से पाकिस्तानी सैनिक शासकों की बंगला देश के निर्दोष व्यक्तियों का संहार करने में सहायता मिलेगी।

5. बगला देश से आये हुए लाखों शरणार्थियों के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट

करते हुए हम यह कहना चाहेंगे कि यह समस्या केवल मानवीय नहीं है जो पाकिस्तान के सैनिक शासकों द्वारा किये गए अतुलनीय अत्याचार तथा बर्बरता के कारण पीड़ित निर्दोष व्यक्तियों के लिए भोजन और निवास की व्यवस्था करने से हल हो जायेगी। यह स्वतन्त्रता और उपनिवेशवाद की शक्तियों के मध्य एक संघर्ष है जिसका हल बंगला देश के लोगों की लोकतांत्रिक आकाँक्षाओं को मान्यता दे कर ही किया जा सकता है।

6. हम इस अवसर पर भारत तथा विदेशों दोनों के स्वार्थी तत्वों द्वारा उर्दू समाचार-पत्रों के विरुद्ध किये जा रहे शरारतपूर्ण प्रचार का निवारण भी करना चाहते हैं। उर्दू समाचार-पत्र हमारी राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में बराबर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहते हैं। इसके साथ-साथ हम उर्दू तथा अन्य भाषा के उन समाचारपत्रों की भी सख्त शब्दों में निन्दा करते हैं जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के अपने कर्तव्य की पूर्ति में असफल रहे हैं। लोक स्वातन्त्रय के संरक्षक होने के नाते हम भारतीय समाचारपत्रों के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिए उत्सुक हैं। इसके साथ-साथ हम यह भी चाहेंगे कि ईमानदारी से प्रकट किए जाने वाले विरोधी मत तथा परोक्ष उद्देश्यों से युक्त किए जाने वाले शरारतपूर्ण प्रचार के बीच स्पष्ट अन्तर किया जाना चाहिए। भारत तथा विदेशों के कुछ समाचारपत्रों द्वारा बंगला देश के स्वतन्त्रता संघर्ष को तथा पाकिस्तान की सेना द्वारा की जा रही बर्बरताओं को साम्प्रदायिक रंग देने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, हम उसकी बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यह स्पष्ट है कि यह हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच संघर्ष का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह तो स्वतन्त्रता प्रेमियों और अत्याचारियों के मध्य संघर्ष है। हमारा विश्वास है कि इसको साम्प्रदायिक रंग देने के किसी भी प्रयत्न से राष्ट्र के उन शत्रुओं के हाथ ही सुदृढ़ हो सकते हैं जो इस अवसर का फायदा उठाने के लिए उत्सुक हैं।

7. उर्दू के कुछ समाचारपत्र आन्दोलन के शुरू के बंगला देश के कुछ क्षेत्रों में गैर-बंगालियों के संहार की रिपोर्टों पर चिन्ता व्यक्त करते रहे हैं। यथापि, हमारी यह राय है कि इस प्रकार की खेदजनक घटनाएं याहिया शासन द्वारा बंगला देश के लोगों पर की जाने वाली बर्बरताओं की तुलना नहीं कर सकती। हम भारतीय समाचारपत्रों के साथियों विशेषकर उर्दू समाचारपत्रों में काम करने वाले लोगों से यह अपील करते हैं कि बंगला देश के लोग अपने उद्देश्य की शीघ्र प्राप्ति के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वे उसको अपना समर्थन जारी रखें। यह पत्रकारिता की शानदार परम्परा और हमारे देश की उन राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप होगा जो विश्व में सभी जगह स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातन्त्र का हमेशा ही समर्थन करती है।

सरकार द्वारा दिल्ली के गुरुद्वारों का नियंत्रण छोड़ देने के संबंध में संत फतहसिंह की चेतावनी

5521. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्त फतहसिंह ने सरकार को दिल्ली के गुरुद्वारों पर से अपना नियंत्रण 15 जून तक हटा लेने अन्यथा उसके विरुद्ध लड़ने की चेतावनी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). ऐसी कोई चेतावनी सरकार को प्राप्त नहीं हुई थी। किन्तु 6 जून, 1971 को अमृतसर में हुए सम्पूर्ण विश्व पंथ

सम्मेलन में पारित संकल्प की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई थी जिसमें 20 मई 1971 को उद्घोषित दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अध्यादेश 1971 को वापिस लेने तथा सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 के नमूने पर दिल्ली में सिख गुरुद्वारों के नियंत्रण के लिये विधान अधिनियमित करने की मांग की गई थी।

सरकार को दिल्ली के गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिये व्यापक विधान पुरःस्थापित करने का विचार है।

अनुश्रवण संगठन की आवश्यकतायें

5522. **श्री राजदेव सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रेडियो अनुश्रवण सम्बन्धी उपकरण का विकास देश में ही करने में समर्थ हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में हम कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अनुश्रवण संघटन के लिये अपेक्षित रेडियो अनुश्रवण उपकरणों का बहुत बड़ा अंश विशेषीकृत, परिष्कृत तथा विविध प्रकार का होता है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाता है। उपकरणों की ये मदें इतने बड़े पैमाने पर अपेक्षित भी नहीं होती कि इनका देशी विकास या बड़े पैमाने पर उत्पादन उपयुक्त हो। इस समय ये मदें देश के भीतर नहीं निर्मित हो रही हैं। अलबत्ता, इन उपकरणों की कुछ मदें जैसे संचार संग्राहक, मापन यंत्र आदि सर्वश्री भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड तथा अन्य देशी स्रोतों से प्राप्त की जा रही हैं।

(ख) भविष्य में रेडियो अनुश्रवण उपकरणों का देशी निर्माण अनेक बातों पर निर्भर होगा जैसे विकास और निर्माण प्रयास की उपलब्धि, देश में उत्पन्न कुल आवश्यकता तथा देश में इलेक्ट्रानिक्स और रेडियो उपकरण उद्योगों का सामान्य विकास आदि। अतः इस समय यह भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है कि भारत इस विषय में कब आत्मनिर्भर हो जायेगा। देशी निर्माण को विकसित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

आकाशवाणी के कर्मचारी पुनर्गठन एकक की सिफारिशें

5523. **श्री राजदेव सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कर्मचारी पुनर्गठन एकक ने अपनी रिपोर्ट में कतिपय उच्च पदों को समाप्त कर कुछ नये पद बनाने की सिफारिश की है, जिसे पांच लाख रुपये की बचत होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने में देरी करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) कर्मचारी निरीक्षण एकक (न कि कर्मचारी पुनर्गठम एकक) ने आकाशवाणी के विभिन्न सवर्गों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के लिये कुछ मानदण्डों की सिफारिश की है ; इन

सिफारिशों को कार्यान्वित करने से सगठन के कतिपय स्तरों के कर्मचारियों की सख्या में कमी तथा अन्य स्तरों के कर्मचारियों की सख्या में वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ख) इन सिफारिशों के प्रभाव की जांच करने तथा सिफारिश किये गये मापदण्डों के आधार पर विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारियों की संख्या निश्चित करने में कुछ समय लग गया था।

संगीत तथा नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्ट

5524. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत तथा नाटक अनुभाग में छः महीने से अधिक लगातार काम करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों की निश्चित संख्या क्या है ;

(ख) उनकी संख्या क्या है जिन्हें तीन वर्ष से कम समय के लिये ठेके पर रखा गया ; और

(ग) ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिनकी सेवायें अधिक आयु के होने की वजह से नाटक में काम करने के अयोग्य होने के कारण समाप्त कर दी गई थीं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) एक जुलाई, 1971 को 572.

(ख) एक जुलाई, 1971 को 72.

(ग) शून्य।

नागरिक रक्षा और होमगार्ड संगठनों में शामिल होने के लिये युवकों को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यवाही

5525. **श्री किरुतिनन** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक रक्षा और होम गार्ड सँगठनों में स्वयं सेवकों के रूप में अपने-अपने रेंक में शामिल होने के लिए शिक्षित युवकों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहसिन) : नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड स्वयं सेवी संगठन हैं और भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष की हो, जिसने कम से कम प्राईमरी स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर रखी हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हो, उनमें प्रवेश करने का पात्र है।

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से तकनीकी तथा चिकित्सा संस्थाओं समेत अपनी शैक्षिक संस्थाओं में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण आरम्भ करने के अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। नागरिक सुरक्षा को एन०सी०सी० केडेटों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया जाता है।

Export of Mica

5526. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the value in rupee of Mica exported to foreign countries during the last three years ;

(b) the names of countries to which Mica is being exported by India at present : and

(c) whether only some big firms reap the entire profits from the export of Mica ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b). Value of India's export of mica (of all grades) and the countries to which these are exported are given below :

Year	Value (Rs. lakhs)	Names of Countries to which exported
1968-69	1550.00	Czechoslovakia, France, G.D.R.,
1969-70	1747.00	Hungary, Hongkong, Japan,
1970-71	1238.30	Norway, Netherlands, Poland,
(upto		Rumania, U.K., U.S.A., U.S.S.R.,
Dec. 1970)		West Germany, etc.

(c) Export of mica is licensed freely and is entirely in the private sector. The exports are handled by a large number of exporters, big and small.

Export of Handicrafts to Russia

5527. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Russia is included in the list of countries to which handicrafts goods are exported ; and

(b) if not, the efforts made to create demand for the Indian handicrafts goods in Russia ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

Import and Export of Books

5528. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the present position in regard to the import of books from and export of books to foreign countries ;

(b) the names of countries where Indian literature is in demand as also the names of countries from which books are being imported ; and

(c) the names of the institutions which have been granted import licences for books during the year 1971-72 indicating the value thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b). Two statements showing imports and exports of books, pamphlets, journals and periodicals alongwith names of the main countries from and to which imports/exports have been effected during the year 1968-69, 1969-70 and 1970-71 (upto Dec. '70) are placed on the Table of the House.

(c) This information is published in the 'Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences' regularly, copies of which are available in the Parliament Library.

STATEMENT

Export of Books and Periodicals during the period 1968-69 to 1970-71 (upto Dec. '70)

Value in lakhs of Rs.
Qty. as per Unit.

S. No.	Description	Qty. Unit	1968-69 Qty.	1968-69 Val.	1969-70 Qty.	1969-70 Val.	1970-71 (upto Dec. 1970) Qty.	1970-71 (upto Dec. 1970) Val.	Names the main countries to which exported
1.	*Printed Books, pamphlets etc.*								
	(i) Printed Books	Tonne	632	73	781	100	514	60	Nepal, U.K., U.S.A. Kenya Malaysia, Singa-pore, Ceylon, Tanzania, and U.A.R.
	(ii) Pamphlets, booklets, brochures & leaflets, printed.	Tonne	20	2	19	2	23	3	
	Total : 1	Tonne	632	75	800	102	537	63	
2.	*Children's pictures and painting books*	Tonne	—	—	—	—	—	—	
3.	Journals and periodicals	'000' Nos.	1800	11	2696	97	2719	15	
	Total : 1 to 3	Value		86		119		78	

Source :– Monthly Statistics of Foreign Trade of India Vol. I Exports, published by D. G. C. I. & S., Calcutta.

Import of Books and Periodicals during the period 1968-69 to 1970-71 (upto Dec. '70).

Valve in lakhs of Rs.
Qty. as per Unit.

S. No.	Description	Qty. Unit	1969-69 Qty.	1969-69 Val.	1969-70 Qty.	1969-70 Val.	1970-71 (upto Dec. 1970) Qty.	1970-71 (upto Dec. 1970) Val.	Names the main countries from which imported
1.	*Printed Books, pamphlets, etc.*								
	(i) Printed Books	Tonne	2558	464	2458	387	1723	351	U.K., U.S,A., Hong-kong, German Fed. Republic, Australia, and Nether-lands
	(ii) Pamphlets. booklets, brochures and leaflets printed.	Tonne	58	9	58	8	16	3	
	Total : 1	Tonne	2616	473	2516	395	1739	354	
2.	*Children's pictures and painting books*	Tonne	22	1	3	neg.	—	—	
3.	*Journals and periodicals*	'000' Nos.	1442	20	1239	22	892	14	
	Total : 1 to 3			494		417		368	

Source :—Monthly Statistics of Foreign Trade of India Vol. 11, Imports, published by D. G. C. I. & S., Calcutta.

New Post Offices in Bihar

5529. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of new Post Offices proposed to be opened in Bihar during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) whether there is any proposal for the Rural Postal Scheme ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) 1120.

(b) It is proposed to open 200 Extra Departmental Branch Offices every year in the rural areas of Bihar during the 4th Five Year Plan. During 1969-70, 1970-71 and the first three months of 1971-72, 318, 122 and 1 Extra Departmental Branch Offices respectively have been opened in the rural areas of Bihar.

Setting up of Telephone Exchange at Jhumri Talaiya

5530. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the people of Kodarma-Jhumri Tilaiya have to face great inconvenience on account of Telephone system remaining out of order constantly ;

(b) whether Government propose to set up a new Telephone Exchange at Jhumri Tilaiya ;

(c) the total number of Telephones installed in Kodarma and Jhumri Tilaiya at present ; and

(d) whether the staff sanctioned justify the number of Telephone connections provided ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No ; the telephone systems of Kodarma and Jhumri Tilaiya are not remaining out of order constantly.

(b) No.

(c) The total number of telephones installed at Kodarma is 19 and at Jhumri Tilaiya is 145.

(d) Yes.

भारत में भारी जल की कुल आवश्यकता

5531. **श्री पी० के० देव** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारी जल की कुल कितनी आवश्यकता है और किस उद्देश्य के लिये इसका प्रयोग होता है ; और

(ख) देश में कुल कितनी मात्रा में भारी जल उत्पादित किया जाता है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारी पानी का उपयोग कुछ प्रकार के विद्युत रिऐक्टरों, जिनमें राजस्थान तथा तामिल नाडु में लगाये जा रहे रिऐक्टर भी शामिल हैं, में मुख्यत: मंदक तथा/अथवा शीतक के रूप में किया जाता है।

सन्, 1980 तक लगाये जाने वाले भारी पानी मंदित/शीतित रिऐक्टरों, जिनमें राजस्थान तथा तामिल नाडु के निर्माणाधीन रिऐक्टर भी शामिल हैं, के लिये लगभग 400 मीटरिक टन भारी पानी का उत्पादन प्रतिवर्ष करने की आवश्यकता होगी।

(ख) इस समय भारी पानी का उत्पादर फर्टेलाइजर कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया लिमिटेड के नांगल यूनिट में किया जाता है। इस संयन्त्र की स्थापित क्षमता 4 मीटरिक टन भारी पानी प्रतिवर्ष तैयार करने की है। 250 मीटरिक टन भारी पानी का प्रतिवर्ष उत्पादन करने के उद्देश्य से कोटा, बड़ौदा तथा तूतीकोरिन में तीन संयन्त्र लगाने के लिये सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ग्रामों के निर्यात से ग्राय

5532. श्री भोगेन्द्र झा : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से ग्रामों का निर्यात किया जा रहा है और यदि हाँ, तो किस-किस देश को ; और

(ख) गत दो वर्षो की तुलना में 1970-71 में ग्रामों के निर्यात से कुल कितनी ग्राय हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ग्रफगानिस्तान, बहरीन द्वीप समूह, बेल्जियम, डेनमार्क, दुबाइ, इथोपिया, फिन्लैंड, फ्राँस, जर्मन संघीय गणराज्य, हांगकांग, ईरान, इटली, कुवैत, लेबनान, मलयेशिया, मसकत, नेपाल, नीदरलैंड, पोलैंड, कतार, दक्षिणी यमन जनवादी गणराज्य, सिंगपुर, सोमालिया, स्वीडन, स्विटजरलैंड तथा ब्रिटेन को ग्रामों का निर्यात किया जाता है।

(ख) ग्रामों का निर्यात इस प्रकार रहा है :—

मूल्य रुपयों में

1968-69	1969-70	1970-71
24,57,000	29,65,000	25,99,000

लघु उद्योग क्षेत्र में टेलीविजन सेटों का निर्माण

5533. श्री एच० के० एल० भगत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र में टेलीविजन सैट बनाने की कुछ योजनाएं उनके पास अनिर्णीत पड़ी हैं ;

(ख) क्या एक योजना एक पुरस्कार विजेता द्वारा भेजी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस पर कब तक निर्णय कर लिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान नये टेलीविजन सेटों की ग्रावश्यकता पूर्ति के लिये सभी वर्गों के निर्माताओं से ग्रावेदन पत्र

मांगे गये थे। 200 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें से 160 लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं से प्राप्त हुये हैं।

(ख) जिनमें से एक आवेदक श्री ऊधम सिंह थे जिन्हें इन्वेंशन प्रमोशन कोर्ड की ओर से देशी पुर्जों से सस्ते टेलीविजन सैटों के निर्माण करने के लिये पुरस्कृत किया गया था।

(ग) ये सभी आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं और इन पर शीघ्र ही निर्णय कर लेने की सम्भावना है।

1970-71 की हड़ताल में भाग लेने वाले पजाब सरकार के कर्मचारियों के विचाराधीन मामले

5534. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार के बहुत से कर्मचारी, अपनी मांगों के समर्थन में दिसम्बर 1970 तथा जनवरी 1971 में हड़ताल करने के कारण विभिन्न स्थानों पर गिरफ्तार किये गये थे ; और यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की जिलावार संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से जिलावार कितने लोगों के विरुद्ध मामले वापस ले लिये गये और जिलावार कितने लोगों के विरुद्ध अभी भी मुकदमे चल रहे हैं ; और

(ग) पुलिस द्वारा चलाये गये सभी मुकदमों को वापिस लेकर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्। 1936 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) 1673 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले वापस ले लिये गये या समाप्त कर दिये गये हैं या वापिस लिये जाने वाले हैं। शेष 263 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें अभी भी निलम्बित हैं।

(ग) निलम्बित मामलों के गुण-दोष पंजाब सरकार के यहां विचाराधीन हैं।

पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज फैडरेशन द्वारा पंजाब के राज्यपाल को दिया गया ज्ञापन

5535. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार के कर्मचारियों की मांगों का हवाला देते हुये पंजाब सबोर्डिनट सर्विसेज फैडरेशन ने 14 जून, 1971 को पंजाब के राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया था ; और

(ख) क्या पंजाब के राज्यपाल ने कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत करने के लिए फैडरेशन के क्रमशः अध्यक्ष और महा मन्त्री को आमन्त्रित किया था ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में पंजाब के संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

5536. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के संसद सदस्यों ने कर्मचारियों की माँगों के सम्बन्ध में जून 1971 में भारत सरकार को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कुछ संसद सदस्यों से पंजाब सरकार के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 22 जून, 1971 के दो पत्र प्राप्त हुये हैं ।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा उल्लिखित दो पत्रों में दी गई अपने कर्मचारियों की मांगों पर की गई कार्यवाही को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	माँग	पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
	जनवरी, 1971 की हड़ताल के सम्बन्ध में कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले जो बिना किसी आपत्ति के वापिस लिये जाएं ।	यह निर्णय किया गया है कि हाल के आन्दोलन में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किये गये सभी मामले निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त वापिस लिये जाने चाहिए । (i) हिंसा सम्बन्धी मामले ; तथा (ii) उन कर्मचारियों सम्बन्धी मामले जो इससे पहले भी कभी इसी प्रकार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त हुये थे या जिनके विरुद्ध एक से अधिक मामले दर्ज हैं । यह भी निर्णय किया गया है कि गम्भीर प्रकृति के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई चालू रहनी चाहिए ।
2.	पंजाब सरकार की ओर से नियुक्त जाँच अधिकारी द्वारा परावर्तन, निलम्बित, पदच्युति/सेवा समाप्ति के अवैध पाये गये आदेश रद्द किये जायें ।	12 जनवरी से 14 जनवरी, 1971 तक की हड़ताल के दौरान पंजाब सरकार द्वारा परावर्तन, सेवा समाप्ति, पदच्युति, या निलम्बन करने के कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

1	2	3
3.	हड़ताल के दिनों का वेतन।	यह निर्णय किया गया है कि हड़ताल के दिनों का कोई वेतन न दिया जाय, किन्तु इन दिनों में अनधिकृत अनुपस्थिति के लिये असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जाय।
4.	25,000 कर्मचारियों और अध्यापकों के भारी स्थानान्तरण के आदेश बिना किसी विलम्ब के रद्द किये जायें।	अध्यापकों के भारी स्थानान्तरण रद्द किये जा रहे हैं।
5.	सभी प्रकार की पीड़ाओं को समाप्त किया जाना।	किसी भी सरकारी कर्मचारी को पीड़ित करने की नीति नहीं है।
6.	1 मार्च, 1970 से केन्द्रीय सरकार के अनुरूप अन्तरिम सहायता की स्वीकृति।	केन्द्रीय वेतन आयोग की अन्तिम सिफारिशें मिलने तक के लिये केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी थी। 1 फरवरी, 1968 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य वेतन-मानों को संशोधित किया गया था और हाल ही में वेतन-मानों में पाई जाने वाली असंगितयों को हटा दिया गया है। इसलिए, किसी अन्तरिम सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य आंकड़ों के 225 से ऊपर हो जाने पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को महगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी के रूप में 49› रुपये तक के मूल वेतन पाने वाले (554 रुपये तक के समायोजन को ध्यान में रखते हुए) निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों को सहायता दी है, यह बढ़ोत्तरी 6/- से 11/- रुपए तक हुई हैं।
7	पंजाब अधीनस्थ सेवा संघ को मान्यता तथा सुविधाओं का विस्तार।	जब तक नये नियम न बन जाएं संघ को औपचारिक मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है।
8.	पंजाब अधीनस्थ सेवा संघ के सभापति और प्रधान सचिव से उन शेष मांगों के सम्बन्ध में बातचीत जिन के बारे में पंजाब सरकार वचन-बद्ध है।	संघ के सभापति तथा प्रधान सचिव के बीच कोई बातचीत आयोजित नहीं की जा रही है।

1	2	3
9.	केन्द्रीय सरकार के अनुरूप संयुक्त परामर्श दात्री (जे०सी०एम०) की स्थापना।	संयुक्त परामर्श दात्री की स्थापना के प्रश्न पर पंजाब सरकार जांच पड़ताल कर रही है।

रोजगार सम्बन्धी अध्ययनों के लिये अर्थशास्त्रियों की परामर्श दात्री समिति की नियुक्ति

5537. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में रोजगार सम्बन्धी अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्रियों की कोई परामर्शदात्री समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). योजना आयोग द्वारा 17 अप्रैल, 1971 को रोजगार अध्ययन के सम्बन्ध में अर्थ-शास्त्रियों की एक सलाहकार समिति गठित की गई है। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

(1) सरकारी अभिकरणों द्वारा हाथ में लिये गये कार्यक्रम के पूरक के रूप में शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से रोजगार तथा बेरोजगारी के अध्ययन सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने में सहायता पहुंचाना।

(2) रोजगार पर बल देने वाले जो विशेष कार्यक्रम शुरू किये जा चुके हैं—जैसे कि लघु कृषक विकास, अभीकरण, सीमान्त कृषकों और खेतिहार मजदूरों के कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम आदि ; उनके तैयार करने, कार्यान्वयन के मूल्यांकन के सम्बन्ध में देश के सभी भागों में शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा हाथ में लिये जाने वाले अध्ययनों का मार्गदर्शन और समन्वय करना ;

(3) विकास योजना को समग्ररूप में तथा विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों पर रोजगार अभिमुख बनाने के लिए समेकित दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में सलाह देना।

5 जुलाई, 1971 को सलाहकार समिति की पहली बैठक हुई जिसमें कुछ प्रारम्भिक विचार विमर्श हुआ। आशा है समिति समय-समय पर अपनी बैठकें बुलायेगी तथा अपने विचारार्थ विषयों में शामिल पक्षों पर आवश्यक सलाह तथा मार्गदर्शन प्रदान करती रहेगी।

ऊन के निर्यात में कमी

5538. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में ऊन के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1967-68 से कच्चे ऊन का तुलनात्मक निर्यात कितना हुआ तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और इसके निर्यात में कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) ऊन के निर्यातों में गिरावट का कारण रोयेंदार कालीन आदि के निर्माण हेतु घरेलू खपत में वृद्धि होना है। इन कालीनों को निर्यात बाजार में स्थान मिल रहा है। ऊन के निर्यात में गिरावट का दूसरा कारण ऊन की स्थापनापन्न वस्तुओं से प्रतिस्पर्द्धा का होना है।

(ग) जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि, वूल टाप्स के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है :

	मात्रा लाख किलोग्राम में	मूल्य लाख रुपये में
1967-68	0.26	0.06
1968-69	0.55	6.95
1969-70	0.48	5.92
1970-71	0.67	8.67

(घ) निर्यात किये जाने वाले रोयेंदार कालीनों के निर्माण में स्वदेशी ऊन का बढ़ता हुआ उपयोग एक अच्छी बात है। तथापि, इस गिरावट को रोकने की दृष्टि से इस वस्तु पर लगे हुये निर्यात शुल्क को 20 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। अप्रैल, 1969 से चिकनाई हटाई हुई ऊन के निर्यात पर भी निर्यात शुल्क की छूट दे दी गई है।

आमों का निर्यात

5540. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताजे और परिष्कृत आमों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार समुद्रपार स्थित देशों में आम के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक अध्ययन दल भेजने पर विचार करेगी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में चित्तूर में इस प्रयोजन के लिए एक निर्यात प्रधान परिष्करण कारखाना लगाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) ताजे श्रामों के सम्बन्ध में निर्यातकों को निम्नोक्त सहायता दी जाती है :

पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन तथा जापान को सभी निर्यातों के सम्बन्ध में जहाज पर निशुल्क मूल्य की 20 प्रतिशत की कुल सीमा के भीतर विमान भाड़े की 60 प्रतिशत तक नकद सहायता उपलब्ध है।

परिष्कृत ग्रामों के सम्बन्ध में निर्यातकों को निम्नोक्त सहायता दी जाती है :

(1) जहाज पर निशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत तक आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस।

(2) जहाज पर निशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच नकद सहायता।

(ख) एक प्रतिनिधिमंडल इस समय ब्रिटेन, यूरोप तथा संयुक्त राज्य ग्रमरीका (कनाडा-सहित), जापान, आस्ट्रेलिया तथा सिंगापुर का दौरा कर रहा है।

(ग) हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चाय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मकानों की पेशकश

5541. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चाय बोर्ड के कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिए कुछ मकान देने की पेशकश की थी, यदि हां, तो चाय तो चाय बोर्ड द्वारा उन्हें स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने चाय बोर्ड को 25 मकान श्रेणी चार ग्रौर कुछ श्रेणी तीन के लिये खरीदने की सलाह दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो चाय बोर्ड ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). यह ग्रोफर "खरीद" ग्राधार पर था, जिसमें काफी पूंजी की ग्रावश्यकता थी। यह सुझाव दिया गया था कि दिल्ली से बोर्ड के कर्मचारी एक सहकारी ग्रावास समिति बना लें जिसे यथादेय ऋण तथा ग्रन्य उपयुक्त सुविधाएं दी जा सकें। इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं मिला।

Introduction of Urgent Express Telephone Trunk Service and linking of State Capitals with Delhi by Direct Dialling System.

5542. **Dr. Laxminarain Pandey** :
Shri Arjun Sethi :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the lines on which Urgent/Express telephone trunk service has been provided and the lines on which this service is likely to be provided during the next year ;

(b) the names of the State capitals which are not so far connected with Delhi with direct dialling system ; and

(c) the time by which direct dialling system between Delhi and the State capitals is likely to be provided ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The facility of booking urgent trunk calls is available in all the exchanges serving as trunk centres and this facility will be available at all future trunk centres also.

Demand trunk service has been introduced till now on the following routes.

1. Bangalore-Bombay
2. Calcutta-Delhi
3. Allahabad-Delhi
4. Calcutta-Asansol
5. Bombay-Bangalore
6. Ernakulam-Coimbatore
7. Asansol-Calcutta.

(b) Following Capital towns of various States and Union Territories have not been provided STD to Delhi so far :—

(1) Agartala (2) Bangalore (3) Bhopal (4) Bhubaneswar (5) Bombay (6) Calcutta (7) Gandhinagar (8) Hyderabad (9) Imphal (10) Madras (11) Panjim (12) Pondicherry (13) Shillong and (14) Trivandrum.

(c) It is hoped that the STD from Delhi to these stations will be commissioned progressively by end of fifth Plan period.

Translation of Various Forms of Agreements Etc. Used in Offices

5543. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether her Ministry has asked all the Ministries of the Government of India to take immediate action in regard to making arrangements for the translation of forms of agreements, contracts, licences, permits and notices in use in their Offices and in Companies and Corporations under them located in the Hindi speaking areas ; and

(b) if so, the progress made so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

यूरोपीय साझा बाजार के साथ सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में यूरोपीय आर्थिक सहयोग के प्रधान वार्ताकार का राष्ट्रमण्डलीय विकासशील देशों से अनुरोध

5544. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक सहयोग के प्रधान वार्ताकार श्री ज्याफ्रेरिपन ने राष्ट्रमण्डल के विकासशील देशों के अनुरोध किया है कि उनको यूरोपीय साझा बाजार के देशों का फ्रेंच भाषी अफ्रीकी देशों से सम्बन्ध स्थापित कराने वाले योंडे करार के अनुसार ही यूरोपीय साझा बाजार के देशों से सम्बन्ध स्थापित करने की मांग करनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के लिये ब्रिटेन तथा समुदाय के बीच हुई बातचीत में परिवर्धित समुदाय तथा राष्ट्रमण्डलीय विकासशील देशों के बीच के सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया। यह स्वीकार किया गया कि जहां तक अफ्रीका, कारिवियन, हिन्द महासागर तथा प्रशांत महासागर के स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डलीय देशों का सम्बन्ध है, उन्हें याउन्डे अथवा आएशा टाइप के संगमों अथवा परिवर्धित समुदाय के साथ वाणिज्यिक करार में एक को चुनने की छूट दी जाएगी। एशिया के स्वतन्त्र विकासशील राष्ट्रमण्डलीय देशों के (जिसमें भारत भी शामिल है) सम्बन्ध में बातचीत करने वाले पक्षकारों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि समुदाय परिवर्धन के पश्चात् व्यापक अधिमान योजना के कार्यक्षेत्र को देखते हुये व्यापार क्षेत्र में उठने वाली समस्याओं पर उनके साथ विचार करने के लिये तत्पर रहेगा ताकि उनके लिये उपयुक्त समाधान खोजे जा सकें। यह विनिश्चय करते समय हमारे साथ परामर्श नहीं किया गया। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि व्यापक अधिमान योजना समुदाय के परिवर्धन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली हमारे अनेक व्यापारिक समस्याओं को हल नहीं कर पायेगी।

कूटनीतिक सूत्रों के माध्यम से इस मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा पालिस्टर संयंत्र की स्थापना

5545. **श्री एस० ए० मुरगनन्तम** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने पालिस्टर धागों से कपड़ा बनाने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की सम्भाव्यता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). राष्ट्रीय वस्त्र निगम पोलिस्टर देशों के उत्पादन हेतु एक संयंत्र की स्थापना की सम्भाव्यता का पता लगा रहा है। अभी तक कोई प्रस्थापना सूचित नहीं की गई है।

केरल सीरेमिक्स लिमिटेड कून्दड़ा के लिये प्लाई क्राफ्ट पेपर बैग का आयात लाइसेंस जारी करना

5546. **श्री एम० एम० जोजफ़** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सीरेमिक्स लिमिटेड कून्दड़ा के लिए प्लाई क्राफ्ट पेपर बैग का कोई आयात लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केरल नारियल भूसी (नियंत्रण, वितरण और मूल्यों का विनियमन), आदेश, 1971

5547. **श्री एम० एम० जोजफ़ :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल नारियल भूसी (नियन्त्रण, वितरण और मूल्यों का विनियमन), आदेश, 1971 का अनुमोदन कर दिया है और राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस मामले पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच विचार-विमर्श हो रहा है ।

जनमत संग्रह मोर्चे पर प्रतिबन्ध

5548. **श्री एम० एम० जोजफ़ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की पुष्टि हो गई है कि जनमत संग्रह मोर्चा को पाकिस्तान से धन मिलता रहा है और यह एक साम्प्रदायिक संस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी संस्था पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पाकिस्तान से जनमत संग्रह मोर्चे को जो आर्थिक सहायता प्राप्त होती है उसके बारे में सरकार को सूचना खुफिया रिपोर्टों से प्राप्त होती है, जिसे प्रकट करना लोक हित में नही होगा ।

सरकार समझती है कि जनमत संग्रह मोर्चे की गतिविधियां ऐसी हैं जिससे साम्प्रदायिक मनमुटाव पैदा होता है ।

(ख) सरकार ने जनमत संग्रह मोर्चे को अवैध गतिविधियां निवारक अधिनियम, 1967 के अधीन अवैध संस्था घोषित कर दिया है क्योंकि इस मोर्चे ने जम्मू व काश्मीर के भारत के साथ अंतिम विलय का खुला विरोध किया । आवश्यकता पड़ने पर ऐसी दूसरी संस्थाओं के विरुद्ध भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी ।

मध्य प्रदेश में तार तथा टेलीफोन सम्बन्धी सुविधायें

5549. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में तार तथा टेलीफोन की सुविधाएं देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अधिक सहायता की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) 1971-72 के दौरान तार व्यवस्था के विस्तार के क्या कार्यक्रम हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में यह मांग भेजी है कि डाक-तार विभाग राज्य में तार और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था करे और इनका विकास करे। डाक-तार विभाग ने कुछ एक्सचेंजों जैसे कि इंदौर, भोपाल आदि के विस्तार का कार्य हाथ में लिया है। इन्हें लागू किये जाने की स्थितियां अलग-अलग स्तरों पर हैं। मध्य प्रदेश में. कई स्थानों जैसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर आदि, के बीच लम्बी दूरी की सेवाओं के लिये उच्च स्तर के चौड़ी पट्टी की संचार प्रणालियों की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। एक्सचेंजों के अतिरिक्त, लम्बी दूरी के 33 सार्वजनिक टेलीफोन घरों और 20 तारघरों की मंजूरी दे दी गई है।

(ग) 1971-72 वर्ष के दौरान 20 नये तारघर खोल कर तार सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा।

Demonstration Against Exhibition of Hindi Feature Film "Main Sunder Hoon"

5550. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Shankar Bhagwan has been depicted as propagating the cause of family planning in the film "Main Sunder Hoon" ;

(b) whether this film has injured the sentiments of the Hindus seriously, as a result of which the public have demonstrated before the Cinema houses of Delhi and elsewhere, where this film is being shown ; and

(c) whether Government propose to impose any ban on the exhibition of the said film ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) Yes, Sir.

(b) No such information has reached this Ministry.

(c) Does not arise.

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक फरीदाबाद के शाखा कार्यालय का दिल्ली में लाया जाना

5551. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने लोहा तथा इस्पात नियंत्रक का शाखा कार्यालय किन बातों को ध्यान में रख कर फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थापित किया था ;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त कार्यालय के साथ बातचीत करने में दिल्ली के व्यापारियों को होने वाली बड़ी कठिनाइयों का पता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त कार्यालय को दिल्ली स्थानान्तरिक करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी०जार्ज) : (क) दिल्ली में कार्यालय तथा आवास स्थान की कमी।

(ख) कार्यालय को दिल्ली ले जाने के लिए व्यवसायी समुदाय से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी हां।

केलों का निर्यात

5552. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69, 1969-70 के दौरान विदेशों को कुल कितने मूल्य के केलों का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या विदेशों को किए जाने वाले केले के निर्यात में कमी रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केले के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इन वर्षों के दौरान केले के निर्यात मूल्य निम्नलिखित रहे हैं :

मूल्य रुपये में

1967-68	1968-69	1969-70
20,28,000	51,44,000	37,28,000

(ख) आयातक देशों की बाजार परिस्थितियों के अनुसार निर्यात घटते बढ़ते रहे हैं।

(ग) कुछ पत्तनों के आस पास केले की निर्यात करने योग्य किस्मों का उत्पादन बढ़ाने के लिए चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित केला फैकेज कार्यक्रम सम्बन्धी योजना की प्रस्थापना की गई है।

Outstanding Telephone Bills in Madhya Pradesh

5553. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the names of firms and companies in Madhya Pradesh against whom arrears of telephone charges for more than Rs. 1000 each are outstanding for the last two years ; and

(b) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b). A statement giving the names of the firms and companies in M. P. against whom arrears of telephone charges for more than Rs. 1000 each are outstanding for the last two years, is placed on the table of the House, together with the action taken in each case [*Placed in Library. See* No. L.T.—710/71] Necessary action is in hand to file suits for recovery, wherever necessary.

Government advertisements to Madhya Pradesh newspapers

5554. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by Government on their advertisements published in the newspapers of Madhya Pradesh ;

(b) the figures of circulation of these newspapers according to the final record of the Advertisement Bureau for September, 1970 ; and

(c) the names of prominent newspapers of Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) Though State-wise figures are not maintained in the normal course of business, it has been ascertained on the basis of information available that advertisements of the total value of Rs. 5,15,408/- were released by the Directorate of Advertising and Visual Publicity to newspapers in Madhya Pradesh during the year 1970-71.

This figure does not include the amount spent by Ministry of Railways, Department of Tourism and the majority of Public Sector Undertakings whose accounts are not being handled by D. A. V. P.

(b) and (c). Information regarding the names of prominent (and other) newspapers in Madhya Pradesh (and in other States) and their claimed circulation for the year 1970, is given in the 14th Annual Report of the Registrar of Newspapers for India which was laid on the Table of the House on 17.12.1970.

Hindi versions of various publications of Government

5555. **Shri Dhan Shah Pradhan** : : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether Hindi versions of all the publications published by the Governmet in English are not made available simultaneously ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Deptt. of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : Yes Sir. Under the existing administrative orders as well as provisions of law, it is not necessary to publish all Government publications in English and Hindi simultaneously.

विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को अतिरिक्त शक्तियां

5556. **श्री इराज्मुद संकैरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनमें केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक रूप से हित है या जिनका संचालन राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में कर रही हैं, अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). "केन्द्र-राज्य संबंधों" पर अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की थी ।

> "22. राज्यों को ऐसी परियोजनाओं के कार्य के सम्बन्ध में जिसमें केन्द्र का प्रत्यक्ष रूप से हित हो अथवा जिसका संचालन उनके द्वारा केन्द्रीय सरकार के एजेन्टों के रूप में किया जाता हो, अधिकतम सीमा तक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए।"

सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ।

Amount paid for Government Advertisements

5557. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total amount paid by the Central Government to the newspapers for the publication of Government advertisements of during the financial year 1970-71 ; and

(b) the amount paid to each newspaper for publishing the advertisement ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) A sum of Rs. 1,77,34,685/- was spent on Central Government advertisements released through the Directorate of Advertising and Visual Publicity to newspapers during 1970-71.

This amount includes some expenditure also on account of those public sector undertakings whose advertiements are released through the D. A. V. P. but excludes the Ministry of Railways, Department of Tourism and several public sector undertakings which have their own arrangements for releasing advertisements.

(b) Information regarding details of advertisements released to indvidual newspapers, which is done in accordance with a declared policy, which is non-discriminatory, and the amounts paid to them is treated as confidential.

रेलवे डाक सेवा की छंटाई की सूचियों का छापा जाना

5558. **श्री सी० चित्तिबाबू : क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डाक सेवा में डाक की छंटाई और छंटाई सम्बन्धी सूचियों के छापे जाने के बीच कितने समय का अन्तर होता है ;

(ख) इस पर कितना व्यय होता है ; और

(ग) प्रत्येक रेलवे डाक सेवा कार्यालय को डाक की छंटाई सम्बन्धी कितनी सूचियां दी जाती हैं और इस पर कितना खर्च होता है ?

संचार मन्त्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : (क) रेल डाक सेवा की छंटाई सूचियां तीन वर्षों में एक बार अद्यतन तैयार की जाती है और छाप कर सप्लाई की जाती हैं।

(ख) प्रति वर्ष लगभग 50,000/

(ग) किसी विशेष कार्यालय को सप्लाई की जाने वाली छंटाई सूचियों की संख्या उस कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करती है क्योंकि प्रत्येक सार्टर, सुपरवाइजरी कर्मचारी के लिए एक प्रति और रिकार्ड कार्यालय के लिए कुछ अतिरिक्त प्रतियां सप्लाई की जाती हैं। अतः प्रत्येक कार्यालय के लिए यह संख्या अलग अलग होती है और इन पर लागत भी अलग-अलग आती है। समूचे भारत में इन कार्यालयों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिये प्रत्येक कार्यालय के सम्बन्ध में यह सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं हो सका। फिर भी, कुछ

कार्यालयों के सम्बन्ध में एकत्रित की गई सूचना नीचे दी जाती है :

कार्यालय का नाम	सप्लाई की गई छटाई सूचियों की संख्या	इन पर किया गया खर्च
मद्रास छंटाई । 2	140 प्रतियां	रु० 324.30
लखनऊ रेल डाक सेवा । 2	125 प्रतियां	रु० 307.00
कानपुर रेल डाक सेवा	270 प्रतियां	रु० 521.00
काटपाडी रेल डाक सेवा	100 प्रतियां	रु० 178.00

वाल्टैक्स रोड, मद्रास स्थित छंटनी कार्यालय की इमारत पर रेलवे का दावा

5559. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाल्टैक्स रोड, मद्रास स्थिति एक इमारत पर, जिसमें छंटनी कार्यालय है, रेलवे विभाग ने दावा किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या डाक तार विभाग द्वारा उक्त इमारत को प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : जी हां ।

(ख) रेलवे विभाग ने सूचित किया है कि यह इमारत उन्हें अपने प्रयोग के लिए चाहिए ।

(ग) इसपर इससे पहले भी विचार किया गया था, लेकिन चूंकि रेलवे विभाग इसे देने के लिए तैयार नहीं था इसलिए इस विचार को छोड़ दिया गया ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास छंटाई डिवीजन

5560. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास स्थित छंटाई डिवीजन ने कब कार्य आरम्भ किया था, आरम्भ में इसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और इस समय इसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) मद्रास छंटाई कार्यालय को उस इमारत में रखने के लिए रेलवे को अब तक किराये के रूप में कितनी धनराशि दी गई ;

(ग) मद्रास छंटाई कार्यालय के कितने कितने यूनिट मुख्य कार्यालय के बाहर स्थित हैं ;

(घ) क्या इनमें से कोई कार्यालय अपनी इमारत में स्थित है और यदि हां, तो कौन सा कार्यालय ; और

(ङ) क्या इन कार्यालयों में कर्मचारियों को सब सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) (i) मद्रास छंटाई डिवीजन के आरम्भ होने की तारीख 1-9-1944

(ii) शुरू में कर्मचारियों की संख्या 319

(iii) इस समय कर्मचारियों की संख्या 177।

(ख) 3,34,878 रुपये (तीन लाख चौंतीस हजार आठ सौ अठत्तर मात्र)

(ग) सात, जिनके नाम हैं : मद्रास हवाई अड्डा छंटाई कार्यालय, मद्रास प्रैस छंटाई कार्यालय, उप-रेकार्ड कार्यालय मद्रास छंटाई, एग्मोर रेल डाक सेवा, एग्मोर ट्रांजिट डाक कार्यालय, मद्रास जी० पी० ओ० छंटाई, मांउट रोड़ छंटाई ।

(घ) जी हां । तीन, जिनके नाम हैं : मद्रास हवाई अड्डा छंटाई कार्यालय, मद्रास जी० पी० ओ० छंटाई, मांउट रोड़ छंटाई ।

(ङ) जी हां, जहां तक सम्भव हो ।

आकाशवाणी के लिये पूर्णकालिक जिला संवाददाता

5561. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी के लिए पूर्णकालिक जिला संवाददाताओं को नियुक्त करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब से ; और

(ग) उनके वेतन क्या होंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

केरल में पहाड़ी क्षेत्र का विकास

5562. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करने के उद्देश्य से एक पहाड़ी विकास परिषद कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिषद ने उन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कार्य किया है ; और

(ग) उक्त परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए केरल राज्य में चौथी योजना के दौरान आरम्भ किये जाने वाले प्रस्ताविक निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में काजू के कारखानों का सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना

5563. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार और केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों ने राज्य में कितने काजू कारखानों को अपने हाथ में ले लिया है और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) काजू के कितने कारखानों के बारे में जांच की जा रही है और उन कारखानों को कब तक पुनः खोला जायेगा ; और

(ग) केरल राज्य में काजू के और कारखानों को बन्द न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य अभिकरण अर्थात केरल राज्य काजू विकास निगम द्वारा अपने नियन्त्रण में लिए गये दस कारखानों के नाम निम्नोक्त हैं :

1. साउथ इण्डिया कारपोरेशन फैक्टरी, कोट्टायम ।
2. फैक्टरी आफ सी० एम० रोड्रिग्ज एंड कम्पनी, किलिकोल्लूर ।
3. मुसालियर इण्डस्ट्रीज फैक्टरी, नैड्वाथूर ।
4. हिन्दुस्तान केश्यु फैक्टरी, कृष्णापुरम ।
5. मिनर्वा केश्यु फैक्टरी, मिनागापल्ली ।
6. केश्यु एंड स्पाइसिज, अयाथिल ।
7. वाल्टर्स ट्रेडिंग कम्पनी, नूरानड ।
8. मिनर्वा केश्यु फैक्टरी, किलिमान्योर ।
9. हिन्दुस्तान केश्यु प्रोडक्ट्स, पुथूर ।
10. न्यूडील इण्डस्ट्री, लि०, इरिंजलाकुड ।

केन्द्रीय अभिकरण द्वारा कोई एकक अपने नियन्त्रण में नहीं लिया गया है ।

(ख) भारत सरकार की वित्तीय सहायता से केरल राज्य काजू विकास निगम द्वारा दस और कारखाने अपने नियत्रण में लिए जाने का विचार है । वित्तीय सहायता मिलने की तारीख से उन्हें एक महीने के भीतर चलाना संभव हो सकेगा । केरल राज्य काजू विकास निगम की ऐसी योजनाएं हैं कि वह अपनी निधि से पांच योजनायें और अपने नियन्त्रण में लेगा ।

(ग) कोई और कारखाना बन्द होने की कोई खबर नहीं मिली है ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से प्राप्त टेलीविजन केन्द्र

5564. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से उपहार के रूप में कितने टेलीविजन सेट प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को कितने टेलीविजन सेट दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) सरकार को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से उपहार के रूप में कोई टेलीविजन सेट प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, में संशोधन

5565. **श्री दलीप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम में नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के मामलों में आम ढील को ध्यान में रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम 195 से आवश्यक संशोधन करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव कब दिया गया था और सरकार द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने में दिल्ली नगर निगम की कठिनाइयों को ध्यान में रखने हुए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद दिल्ली नगर निगम अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों को संशोधित करते हुए एक विधेयक का प्रारूप लोक सभा में अगस्त 1966 में पुरःस्थापित किया गया था। किन्तु 1967 में सदन के भंग हो जाने के साथ-साथ विधेयक समाप्त हो गया।

इसके पश्चात प्राप्त हुई उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण तथा सघ राज्य क्षेत्रों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में कई परिवर्तन करने की सिफारिश की गई थी। वर्तमान विवाद का सम्बन्ध दिल्ली के प्रशासनिक ढाचे के पुनर्गठन के बड़े प्रश्न से जुड़ा है।

भर्ती करने वाली संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का पृथक साक्षात्कार किया जाना

5566. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा निर्णय किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग सहित केन्द्रीय सरकार की भर्ती करने वाली सभी संस्थाओं द्वारा आरक्षित पदों के लिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों का पृथक साक्षात्कार किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान। मंत्रालयों इत्यादि को 31 जुलाई, 1970 को अनुदेश जारी किये गये हैं

कि सरकार के अधीन आरक्षित रिक्तियों के पदों/सेवाओं में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किसी ऐसे दिन को अथवा ऐसी बैठक में लिया जाय जिसमें सामान्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार न हो, ताकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की जांच सामान्य उम्मीदवारों के लिए जाँच स्तर से न हो जाय, और साक्षात्कार लेने वाले प्राधिकारी/बोर्ड को मुख्यत: इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की जांच छूट दिये गये स्तर से करनी है। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की आरक्षित रिक्तियों के लिए की गई भर्ती के सम्बन्ध में, जहां केवल एक बैठक या एक दिन के लिए ऐसे उम्मीदवारों की संख्या काफी है उनका साक्षात्कार एक अलग दिन या साक्षात्कार बोर्ड की अलग बैठक में किया जाता है। अन्यथा के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार एक साथ साक्षात्कार शुरू होते ही किया जाता है। उनकी जांच सामान्य उम्मीदवारों के स्तर से न होकर निर्धारित छूट दिये गये स्तर से की जाती है।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में देशी शराब और आयातित शराब की बिक्री के लिये नये लाइसेंस जारी करना

5567. **श्री शशि भूषण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने गत तीन वर्षों में दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में देशी शराब और आयातित शराब बेचने के लिए कितने नये लाइसेंस जारी किये ;

(ख) दिल्ली प्रशासन ने उपर्युक्त अवधि में ऐसे कितने लाइसेंसों का नवीकरण किया ;

(ग) उन पार्टियों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है जिनको ऐसे नये लाइसेंस जारी किये गये अथवा जिनके लाइसेंसों का नवीकरण किया गया ;

(घ) शराब बेचने वाली कितनी दुकानों को अपना कार्यस्थान स्थानान्तरित करने की अनुमति दी गई तथा कितनी दुकानों को अपना स्थान स्थानान्तरित करने की अनुमति देने का विचार है ; और

(ङ) चालू वर्ष में कितने 'शराबखाने' दिल्ली में खोलने का विचार है और वे कहां-कहां खोले जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** सख्या एल० टी०—711/71]

(घ) एक दुकान को अपना कार्यस्थान स्थानान्तरित करने की अनुमति दी गई है और तीन दुकानों के मामले विचाराधीन हैं।

(ङ) कोई नहीं, श्रीमान्।

अचारों का निर्यात

5568. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों को राज्यवार किस-किस किस्म के अचार का निर्यात किया गया ; और

(ख) केन्द्र और विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा निर्यातकर्त्ता को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मीठे, हलके तेज, तेज तथा पंजाबी ढंग के विशिष्ठ अचार निर्यात किये जाते हैं। राज्य-वार जानकारी प्राप्य नहीं है।

(ख) निर्यातकों को निम्नोक्त सहायता उपलब्ध है :

(1) जहाज पर निःशुल्क मूल्य का 10% तक आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस।

(2) मीठी किस्मों के अचारों पर नकद सहायता, तथा

(3) चुने हुए निर्माताओं के सम्बन्ध में ब्रांड का प्रचार करने के लिए सहायता।

फूलों का निर्यात

5569. **श्री जी० भुवाराहन :**
श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से विदेशों को प्रति वर्ष किन-किन फूलों का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है ;

(ख) उक्त फूलों का निर्यात किन देशों को किया जाता है ;

(ग) क्या देश में फूल के बागों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा फूल उत्पादकों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली, जापान तथा ब्रिटेन।

(ग) केन्द्रीय सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(घ) कोई विशेष सहायता नहीं दी जा रही है।

हथकरघे और विद्युतचालित करघे से बने वस्त्रों का निर्यात

5570. **श्री जी० भुवाराहन : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में विदेशों को (हथकरघों और विद्युतचालित करघों से बने) वस्त्रों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) उक्त वस्त्रों का अधिकांश निर्यात किन मुख्य देशों को किया जाता है और आगे निर्यात करने के बारे में उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त निर्यात से गत दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). शक्तिचालित करघा वस्त्रों के निर्यात के सम्बन्ध में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक हथकरघा

वस्त्रों (सूती, रेशमी और ऊनी हथकरघा वस्त्र और उनसे निर्मित माल) का सम्बन्ध है, उनके निर्यात निम्नलिखित रहे :—

वर्ष	मूल्य (लाख रुपये में)
1968	1388.95
1969	2607.25
1970	2809.31

एक विवरण संलग्न है जिसमें उन देशों के नाम दिये गये हैं जिन्हें प्रमुखतः हथकरघा वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। जहां तक परम्परागत बाजारों को होने वाले हथकरघा माल के निर्यातों का सम्बन्ध है उनका परिमाण प्रायः एकसा ही रहता है। जहां तक अपरम्परागत बाजारों का सम्बन्ध है, उन्हें किये जाने वाले हमारे निर्यात बढ़ रहे हैं।

विवरण

उन मुख्य देशों के नाम निम्नलिखित हैं जिन्हें हथकरघा माल का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है :—

क्रमांक	देशों का नाम
	I. परम्परागत बाजार
1.	सिंगापुर
2.	मलयेशिया
3.	नेपाल
4.	सिअरा लिओन
5.	सूडान
6.	कुवैत
7.	कीनिया
8.	लाइबेरिया
9.	दाहोमी
10.	दक्षिण यमन
11.	जाम्बिया
12.	हांगकांग
13.	सऊदी अरब
14.	दुबाई
15.	टोगो

1	2
	II अपरम्परागत बाजार
	यूरोपीय साझा बाजार के देश
1.	पश्चिम जर्मनी
2.	फ्रांस
3.	नीदरलैंड्स
4.	इटली
5.	बेल्जियम
	अन्य
1.	स० रा० अमेरिका
2.	ब्रिटेन
3.	जापान
4.	स्वीडन
5.	डेनमार्क
6.	स्विटजरलैंड
7.	कनाडा
8.	आस्ट्रेलिया
9.	सोवियत संघ
10.	फिनलैंड
11.	आस्ट्रिया
12.	नार्वे

सरकारी विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि

5571. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1967-68 और 1968-69 और 1969-70 के दौरान दैनिक समाचारपत्रों को केन्द्रीय सरकारी विज्ञापनों के लिये कितनी-कितनी राशि दी गई ; और

(ख) तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). समाचारपत्रों को विज्ञापन राज्य के आधार पर नहीं दिए जाते। वे बहुत सी अन्य बातों जैसे खपत संख्या, पाठकों की श्रेणी आदि पर निर्भर करते हैं। अतएव, कार्य के सामान्य व्यव-

हार में राज्यवार आँकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, उन्हें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर एकत्र किया जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है तथा उन्हें यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

कलकत्ता टेलीफोन विभाग द्वारा एक टेलीफोन लाइन का काटा जाना

5572. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन विभाग कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में टेलीफोन लाइन को गलती से काटने के मामले में मुकदमा हार गया है ;

(ख) क्या टेलीफोन विभाग को यह निदेश दिया गया है कि वह टेलीफोन उपभोक्ता को तत्सम्बन्धी व्यय का भुगतान करे ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हाँ। दफ्तरी भूल के कारण टेलीफोन कनेक्शन काट दिया गया था। महाप्रबंधक, टेलीफोन को कहा गया है कि इसकी जिम्मेदारी ठहरायी जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इस तरह की कोई शिकायत नहीं होगी, उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

Telegrams in Devanagri Script

5573. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of Telegraph Offices in each State as on the 1st March, 1971 and the number out of them having facilities for sending and receiving telegrams in Devanagri script ;

(b) the number of Telegraph Offices out of them in which the telegrams booked in Hindi were transmitted in Roman script instead of the Devanagri script ; and

(c) the action taken gainst those Telegraph Offices which transmit Hindi telegrams in Roman script ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The number of telegraph offices as on 31-3-1971 Circle-wise is indicated in the statement attached. The number out of this with facilities for sending and receiving telegrams in Devnagri script as on 1st March, 1971 as being obtained from the Heads of P & T Circles and will be placed on the Table of the Lok Sabha as soon as this is completely obtained. It may, however, be stated that the position as on 31-3-1970 was that in the country as a whole 3437 offices were having facilities for handling Devnagri telegrams. These offices are naturally mostly in Hindi speaking areas. Efforts to popularise the use of Devnagri script even for languages other than Hindi are being made.

(b) and (c). Instructions exist prohibiting the transmission in Roman script of telegrams booked in Hindi. There may be rare occasions when, due to the non-availability or absence of a signaller knowing Hindi Morse, such a contingency may arise. These have not specifically come to the notice of the Directorate nor might the information be

available readily in the offices of the Heads of Circles. It would be useful if the Member could indicate any instances which have been brought to his notice.

STATEMENT

Circle-wise list of number of telegraph offices as on 31-3-1971.

Andhra	948
Assam	450
Bihar	940
Gujarat	490
Jammu & Kashmir	109
Kerala	681
Tamil Nadu	1,216
Maharashtra	1,013
Madhya Pradesh	698
Mysore	1,118
Orissa	544
Punjab	463
Rajasthan	692
Uttar Pradesh	1,146
West Bengal	552
Delhi	96
Total :-	11,156

फिल्म इन्स्टीट्यूट, पूना में वृत्त चित्रों और लघु रूपक चित्रों का निर्माण

5574. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म इन्स्टीच्यूट पूना के विद्यार्थियों ने इन्स्टीच्यूट में कुछ बहुत अच्छे वृत्त चित्रों और लघु रूपक चित्रों का निर्माण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन विद्यार्थियों को कोई प्रोत्साहन दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). जी, हां । प्रोत्साहन में विभिन्न दानियों द्वारा दान में दिए गए स्वर्ण पदक पुरस्कार, भारत तथा विदेशों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में इस प्रकार की फिल्मों को भेजना, स्वीकृत फिल्मों का फिल्म प्रभाग की मार्फत सिनेमाघरों में तथा दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के माध्यम से प्रदर्शन, विभिन्न फिल्म निर्माण केन्द्रों में ट्रेड-कम-प्रेस शो में विद्यार्थी फिल्मों का प्रदर्शन, आदि शामिल हैं । फिल्में बनाने के इच्छुक कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को फिल्म वित्त निगम द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है अथवा फिल्म प्रभाग की गैर-सरकारी निर्माताओं की सूची में उनका नाम शामिल किया जाता है ।

A. R. C's recommendations Re: posting of Administrative Officers continuously on one post

5575. **Kumari Kamla Kumari** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the Ministry-wise and Department-wise number of Administrative Officers who have been working on the same post continuously for ten years ;

(b) whether according to the recommendations made by the Administrative Reforms Commission, on Officer shonld be allowed to work on the same administrative post continuously for more than five years ; and

(c) if so, the steps being taken to implement the recommendations made by the A. R. C. ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The information is being ascertained from the Ministries/Departments and will be placed on the Table of the House.

(b) Whilst the Administrative Reforms Commission in its report on Personnel Administration has suggested certain general principles governing the transfer of officers and have also recommended certain periods of tenure for posts in the Secretariat at the Under Secretary and Deputy Secretary level, they have not made any such specific recommendation.

(c) Does not arise.

कलना रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म (पूर्वी रेलवे) पर भारतीय साम्यवाद (मार्क्सवादी) दल के नेता की हत्या

5576. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या 2 जुलाई, 1971 की रात्रि के 10.30 बजे कलना रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर एक गिरोह ने ड्यूटी पर खड़े सी० आर० पी० के कर्मचारियों की उपस्थिति में भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के नेता श्री महादेव बनर्जी की बेरहमी से हत्या कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने उस हत्या को रोकने के लिये क्या उपाय किये ; और

(ग) यदि सी० आर० पी० के कर्मचारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Activities of Liberation front in Kashmir

5577. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether there is a political organisation in Kashmir by the name of Liberation Front ;

(b) whether Maqbool Bhatt, who was sentenced to death and who had escaped from the Kashmir Jail, is the leader of the said organisation ;

(c) whether the infiltrators crossing over into Kashmir have got his backing ;

(d) the activities of this organisation ; and

(e) the steps taken by Government to check its activities.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The Government of Jammu and Kashmir have reported that no such organisation in the State has come to their notice.

However, there are reports that an organisation with the name "Kashmir National Liberation Front" under the leadership of Maqbool Butt is functioning in Pakistan-occupied Kashmir. The aim of the organisation is to subvert the lawful Government of Kashmir.

(c) Government have no such information.

(d) and (e). The Kashmir National Liberation Front has been unable to gain any influence in Jammu and Kashmir. However, both the Central and the State Governments are exercising the utmost vigilance to prevent any subversive activity in the State.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

प्रस्तावित कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिये रूसी मदद और सहायता उपलब्ध न होने का समाचार

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं रेलवे मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "प्रस्तावित कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिये रूसी मदद और सहायता उपलब्ध न होने का समाचार"

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : यह सही नहीं है कि प्रस्तावित "कलकत्ता सुरंग रेलवे" के लिए रूसी मदद और सहायता अनुपलब्ध हो गई है।

भारतीय रेलवे द्वारा 1969 के मध्य में कलकत्ता में स्थापित महानगर परिवहन परियोजना संगठन ने कलकत्ता महानगर के लिये एक "उपनगरीय विसर्जन लाइन" और एक "व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली" का अध्ययन किया था। महानगर परिवहन परियोजना, कलकत्ता को नवम्बर, 1970 के मध्य से दो महीने की अवधि के लिए एक रूसी सलाहकारों के दल की सेवायें उपलब्ध की गई थीं। रूसी सलाहकारों का विचार था कि "उपनगरीय विसर्जन लाइन" से कलकत्ता नगर की परिवहन सम्बन्धी समस्या का कोई कारगर हल नहीं निकल सकेगा। रूसी सलाहकारों ने दमदम से टालीगंज तक एक भूगत रेलवे के निर्माण की सिफारिश की।

रूसी सलाहकारों की रिपोर्ट की जाँच कर लेने के बाद "उपनगरीय विसर्जन लाइन" के प्रस्ताव को त्याग देने और भूगत रेलवे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने का विनिश्चय किया गया। महानगर परिवहन परियोजना संगठन से प्रस्तावित भूगत रेलवे के लिए अक्तूबर, 1971 तक एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया ताकि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा सके।

इस परियोजना के लिये परामर्श और सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से सोवियत सरकार से अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अभी विचार-विमर्श हो रहा है और मुझे आशा है कि हम किसी सन्तोषजनक हल पर पहुँच सकेंगे।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : वर्ष 1946 से कलकत्ता की जनता को आश्वासन दिये जाते रहे हैं कि वृत्ताकार रेलवे, भूमिगत रेलवे अथवा इस प्रकार की कोई अन्य व्यवस्था की जायेगी। रेल मंत्रालय के भूतपूर्व राज्य मन्त्री, श्री परिमल घोष ने वर्ष 1969-70 के लिये रेल मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए इस सभा में आश्वासन दिया था कि कलकत्ता में वृत्ताकार परियोजना आरम्भ करने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है। परन्तु बाद में रेल मन्त्री नन्दा जी ने बताया कि कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेल की योजना को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वह भूमिगत रेलवे परियोजना आरम्भ करने के लिये सहमत हैं। इसके पश्चात श्री नन्दा ने कहा कि कुछ कठिनाइयों के कारण धन की मंजूरी नहीं दी जा रही है, अतः इस मामले की योजना आयोग के पास भेजा जाना चाहिये। अब श्री हनुमन्तैया ने भूमिगत रेलवे परियोजना प्रस्तुत की है और हमें आशा है कि वह रूसी विशेषज्ञों द्वारा इस कार्य को शीघ्र करवायेंगे। रूसी विशेषज्ञों ने कलकत्ता जाकर एक नक्शा तैयार किया। इससे पूर्व एक फर्म ने भी इस सम्बन्ध में एक नक्शा तैयार किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कलकत्ता स्थित एक फर्म में ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस परियोजना में सहायता दे सकते हैं और बड़ी आसानी से काम चला सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता था कि क्या रूसी सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में भी यह कार्य किया जायेगा ?

दूसरे, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि रूसी विशेषज्ञों की रिपोर्ट अक्तूबर 1971 में मिली तो क्या यह कार्य नवम्बर 1971 से आरम्भ कर दिया जायेगा और 6 वर्षों में पूरा हो जायेगा ? क्या सरकार को कलकता की जनता की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की जानकारी है ? जो वस्तुतः बिहार, आसाम और समस्त पूर्वी क्षेत्र से सम्बन्धित है ?

श्री हनुमन्तैया : जहां तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है, भारत में रेलवे विशेषज्ञ स्वयं महसूस करते हैं कि रूस से कुछ तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने मास्को और लेनिनग्राड में स्वयं देखा है कि वहां भूमिगत रेलवे का कार्यकरण बहुत संतोषजनक है। इस परियोजना के लिये हमें तकनीकी सहायता के साथ-साथ विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में रूस के साथ बातचीत चल रही है। यदि केवल हमने कार्य करना होता तो हम बता सकते थे कि यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा। अब प्रश्न यह है कि रूस हमारे साथ कब और कितना सहयोग कर सकेगा।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मन्त्री महोदय के वक्तव्य के पहले पैराग्राफ में लिखा है कि यह कहना ठीक नहीं है कि रूसी सहायता उपलब्ध नहीं होगी और अन्तिम पैराग्राफ में लिखा है कि यह मामला अभी विचाराधीन है। इस वर्ष प्रकाशित आर्थिक समीक्षा पर विचार करने से पता चलता है कि ऋण पर ब्याज आदि को छोड़कर रूसी सहायता नगण्य होगी। क्या कलकत्ता को खुलजियन्स और एटकिन्स नामक फर्मों ने रेलवे बोर्ड के साथ इस प्रस्ताव के बारे में बातचीत की थी और वह इस योजना को आरम्भ करने के लिए तैयार थे ? मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार इस कार्य को अपने लोगों को क्यों नहीं सौंपती ?

श्री हनुमन्तैया : जहां तक मेरे वक्तव्य के दो पैराग्राफ में परस्पर विरोध की बात है, उनमें कोई विरोध नहीं है। अनुपलब्धता का अर्थ प्रस्ताव का रद्द किया जाना नहीं है। जहां तक

उक्त फर्मों का सम्बन्ध है, मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है और न ही उन्होंने मेरे साथ कोई बातचीत की है।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : कलकत्ता की परिवहन समस्या बहुत गम्भीर है। हमें प्रसन्नता है कि भूमिगत रेलवे के बारे में कार्यवाही की जा रही है। परन्तु मन्त्री महोदय ने व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया। क्या इस योजना का परित्याग कर दिया गया है या इसे क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्री हनुमन्तैया : कलकत्ता की यातायात समस्या काफी जटिल है और इसीलिये हम भूमिगत रेल की व्यवस्था कर रहे हैं। रूसी विशेषज्ञों का परामर्श भूमि के ऊपर रेलवे की बजाय भूमिगत रेलवे बनाने का है। अतः हमने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : मुझे पता चला है कि रूस 'व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली' योजना के लिए तकनीकी तथा विशेषज्ञ सहायता देने को तैयार है परन्तु वह उसके लिये वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह योजना केवल रूस द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने पर निर्भर करती है या रूसी सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में हम इस योजना को चलाने के लिये विदेशी मुद्रा के लिये कोई अन्य व्यवस्था करेंगे ?

श्री हनुमन्तैया : इस योजना को गुणदोश के आधार पर आरम्भ किया जा रहा है। इसे स्वीकार कर लिया गया है और विदेशी मुद्रा तथा विदेशी विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता इस योजना को पूरा करने के लिये है। इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : कलकत्ता में यातायात की समस्या समाज में तनाव का मुख्य कारण है। यह बात रूस ने भी स्वीकार की है कि परामर्श के लिए भारत में काफी फर्में हैं। और उनकी सहायता से इस परियोजना को चलाया जा सकता है। मंत्री महोदय को कलकत्ता की यातायात समस्या का अध्ययन करना चाहिये। हाल ही के एक अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 1976 तक कलकत्ता की यातायात समस्या दुगुनी बढ़ जायेगी। मूल योजना यह थी कि एक "उपनगरीय विसर्जन लाइन" बनाई जायें और उसके साथ एक 'व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली' भी हो। 24 अप्रैल, 1970 को श्री नन्दा ने कहा था कि 'उपनगरीय विसर्जन लाइन' से समस्या हल नहीं होगी। इसका कोई और उपाय ढूंढना चाहिए। अब मन्त्री महोदय कलकत्ता के केवल उपनगरीय क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिये अन्तर्नगरीय यातायात समस्या पर विचार कर रहे हैं। भूमिगत रेलवे की व्यवस्था करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। परन्तु इसके साथ ही उन्हें वृत्ताकार रेलवे या उपनगरीय विसर्जन लाइन का विचार बिल्कुल त्याग नहीं देना चाहिए क्योंकि वे दोनों आवश्यक हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। क्या यह सच है कि कुछ रेलवे अधिकारी और विशेषज्ञ देश में उपलब्ध परामर्श का लाभ उठाने के पक्ष में नहीं हैं ? क्या कुछ रेलवे बोर्ड के सदस्यों में कुछ रेलवे अधिकारी कलकत्ता की यातायात समस्या हल करने के पक्ष में नहीं हैं और दो विशेषज्ञों के स्थानान्तरित भी किया गया है ; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री हनुमन्तैया : इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था करके यातायात समस्या हल की जानी चाहिये। परन्तु मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं कर सकता कि रेलवे बोर्ड इस समस्या को हल करने के पक्ष में नहीं है। रेलवे के जो अधिकारी कलकत्ता से स्थानान्तरित किये गये हैं, वे विशेषज्ञ नहीं हैं, वे केवल सिविल इंजीनियर हैं। वस्तुतः हमने इस प्रकार की भूमिगत रेलवे का निर्माण अब तक नहीं किया है और इसीलिये हमें अनुभवी लोगों के परामर्श की आवश्यकता है। मैं देश में किसी ऐसी कम्पनी का नाम नहीं जानता जिसने कभी इस प्रकार का काम किया हो। और जिसे इस प्रकार के काम का अनुभव हो।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सरकार राजस्व प्राप्तियाँ सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 के लिए केन्द्रीय सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या** एल० टी०—694/71]

———

दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रशासन प्रतिवेदन

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—695/71]

———

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पदों की संख्या का निर्धारण) बारहवां संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 946 में प्रकाशित हुए।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1971 का दसवां संशोधन जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 984 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पदों की संख्या का निर्धारण) ग्यारहवां

संशोधन विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 949 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—696/71]

मैसूर अग्निशामक बल (अनुशासन बनाये रखना तथा सेवा से हटाना) नियम

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहसिन) : श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से मैं निम्न-लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

( ) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 27 मार्च, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर अग्निशामक बल अधिनियम, 1964 की धारा 39 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मैसूर अग्निशामक बल (अनुशासन बनाये रखना तथा सेवा से हटाना) नियम, 1971 की एक प्रति जो मैसूर राजपत्र दिनांक, 1 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 203 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—697/71]

(2) उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—698/71]

बम्बई सिनेमा (गुजरात पहला संशोधन) नियम, मैसूर सिनेमा (विनियम तथा नियम) आदि

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूँ :

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनाँक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1953 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत बम्बई सिनेमा (गुजरात पहला संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 1 मई 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एच०/जी/63/बी/सी आर-3270/7291-ए में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—699/71]

(2) (एक) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 22 के अन्तर्गत मैसूर सिनेमा (विनियमन) नियम, 1971 की एक प्रति जो मैसूर राजपत्र दिनांक 10 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 72 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—700/71]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—702/71]

(तीन) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०— 701/71]

वस्त्र समिति आदि के प्रमाणित लेखे

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वस्त्र समिति के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेख (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—703/71]

(2) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1969-70 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखे का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—704/71]

(3) (एक) चाय बोर्ड के वर्ष 1968-69 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखे का विवरण। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—705/71]

(दो) उपर्युक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण स्पष्ट करने वाला तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—706/71]

अनुदानों की मांगे 1971-72—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1971-72—*Contd.*

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा अब स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय की मांग संख्या 36, 37 और 125 पर चर्चा करेगी। इसके लिये हमारे पास तीन घण्टे का समय है। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अपने **कटौती प्रस्ताव 15 मिनट के अन्दर भेज दें।

**निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तत समझे गए :—
3 से 20, 40 से 71, 82 से 96, 97 से 110, 111 से 129

वर्ष 1970-71 के लिये स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
36	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय	*149,81,000
37	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	18,59,07,000
125	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	*21,87,54,000

***डा० सरदीश राय** (बोलपुर) : हमारे ऊपर जबरदस्ती हिन्दी थोपी जा रही है। किसी भी अन्य वार्षिक प्रतिवेदन में मन्त्रालय का नाम हिन्दी में नहीं गया है। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के प्रतिवेदन के प्रथम पृष्ठ पर यह उल्लेख किया गया है कि श्री के० के० शाह स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री हैं। यह फिर कहा गया है कि श्री बी० एस० मूर्ति और श्री परिमल घोष राज्य मन्त्री हैं। क्या ये लोग वाद-विवाद का उत्तर देंगे?

मैं निर्माण और आवास मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता यदि उक्त मन्त्रालय ने देश के अन्य भाग में भी नगरीय विकास का वैसा ही कार्यक्रम बनाया होता जैसे दिल्ली के लिये बनाया गया था। दिल्ली नगर के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार का धन बड़ी मात्रा में खर्च किया जा रहा है। यह दुःख की बात है कि दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास नहीं किया गया है।

कलकत्ता बस्ती क्षेत्र को गिराया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में बड़ी बस्तियों का निर्माण किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उस बस्ती में रहने वाले निवासियों के रहने के लिये कोई स्थान नहीं है। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिए 150 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। लेकिन उक्त प्राधिकरण के लिए मंजूर की गई राशि का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : क्या दोनों मन्त्रालयों पर एक साथ चर्चा की जा सकती है?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सूची में दोनों मन्त्रालयों की मांगों पर एक साथ चर्चा करने का उल्लेख किया गया था और हमने अपने वक्ताओं का उसी प्रकार निर्णय किया है। (अन्तर्बाधायें)

*मूल बंगाली के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

Translated from English translation of the speech delivered in Bengali

अध्यक्ष महोदय : साथ-साथ का यह अभिप्राय नहीं कि एक ही समय में दोनों मन्त्रालय का मांगों पर चर्चा की जायेगी।

डा० सरदीश राय : हमारे देश को स्वतन्त्र हुए 23 वर्ष हो गये हैं लेकिन हैजे तथा चेचक जैसे खतरनाक रोगों पर अभी भी नियंत्रण नहीं कर पाया जा सका है। अन्य देशों ने उक्त रोगों को जड़ से उखाड़ फेंका है। गत वर्ष 1800 व्यक्तियों की हैजे से मृत्यु हुई। यह दुःख की बात है कि सरकार ने इस बारे में कोई विशेष उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की है।

सरकार ने मलेरिया और फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया है लेकिन अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में अधिक उत्साह नहीं दिखाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकारियों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गये हैं प्रतिवेदन में यही उल्लेख किया गया है कि केवल नगरों में ही फाइलेरिया पर नियंत्रण करने का उल्लेख किया गया है। इसमें गांवों में फाइलेरिया पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

सरकार ने फाइलेरिया रोग की रोक थाम के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में कोई कार्यवाही नहीं की है। यद्यपि तपेदिक रोग के लिये आवश्यक दवाई की कीमत कम है तथापि वह सस्ती दवाई भी रोगियों को उपलब्ध नहीं है। कुछ रोगियों को भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि एक अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 670 है जबकि कर्मचारियों की संख्या 1150 है। एक अन्य अस्पताल के बारे में कहा गया है कि उसमें बिस्तरों की संख्या 1270 है लेकिन उस अस्पताल में कर्मचारियों की संख्या 65? है। यदि भारत के सब अस्पतालों में ऐसी स्थिति हो तो इस मन्त्रालय की मांगों को स्वीकार करने का आधार बनता है। बंगाल में अधिकांश अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर नहीं हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में 540 सामुदायिक विकास खंड है। उन्हीं सामुदायिक विकास खंडों के लिए 280 अस्पतालों की स्थापना की गई। लेकिन इन अस्पतालों में पर्याप्त सख्या में डाक्टर नहीं हैं। अनेक अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं।

अस्पतालों में उचित प्रबन्ध की व्यवस्था नहीं है। अनेक अस्पतालों के अपने 'जैनरेटर' नहीं है। इस कारण बिजली फेल हो जाने पर अनेक बार आपरेशन नहीं किये जाते।

देश में लाखों लोग कैंसर से पीड़ित हैं। लेकिन कलकत्ता स्थित चितरंजन कैंसर अनुसंधान संस्थान के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

गांवों में अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डाक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है। देश में चिकित्सा कालेजों में केवल 1200 विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा पास करने की प्रतिशतता दिन प्रति दिन घटती जा रही है। चिकित्सा कालेजों में डाक्टरों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। कालेजों में प्रवेश के लिये अवैध तरीके अपनाये जाते हैं। देश में और अधिक चिकित्सा कालेजों की स्थापना की जानी चाहिये।

गांवों को पीने के पानी की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पंचवर्षीय योजना में गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी कारण गांव के लोग अधिकतर हैजे जैसी महामारी के शिकार होते हैं।

लोगों में पौष्टिकता की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने पौष्टिक गोलियां सप्लाई करने की व्यवस्था की है। लेकिन ये गोलियां लोगों को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जानी चाहिएं, अथवा उनके न सप्लाई किये जाने से अधिकांशतया बच्चे प्रभावित होंगे। विटामिन की कमी से बच्चों को आंखों के रोग घेर लेंगे।

स्टोरों में अधिकतर दवाइयों की कमी रहती है। इसका एक मात्र कारण यह है कि स्टोरों के इंचार्ज को दवाइयां खरीदने के अधिकार नहीं हैं।

सरकार ने दवाई निर्माताओं को कुछ प्रकार की दवाइयों का निर्माण न करने के निदेश दिये हैं। इससे जनता को बहुत कठिनाई हो रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में 'ग्रेड एक' और 'ग्रेड दो' डाक्टर होते हैं। 'ग्रेड दो' डाक्टर 5 वर्ष बाद पदोन्नति के अधिकारी हैं लेकिन उन्हें यथा समय पदोन्नति नहीं मिल रही है। इसके कारण वह सरकार से असंतुष्ट हैं।

सरकार ने चिकित्सा स्टोरों के संघों को मान्यता नहीं दी है। सरकार को उन्हें मान्यता देनी चाहिये। रेलवे और डाक-तार विभाग में कर्मचारियों के हितों की देखभाल के लिये कुछ विशेष अधिकारी हैं। चिकित्सा विभागों के लिए भी इसी प्रकार विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
				रुपये
36	3	**श्री रामावतार शास्त्री :**	गैर-सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता।	100
	4	,,	पटना चिकित्सा महाविद्यालय को पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाने की अनुमति देने की आवश्यकता।	,,
	5	,,	पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय को सरकार द्वारा चलाये जाने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
36	6	**श्री रामावतार शास्त्री** :	सरोजिनी नगर, नेताजी नगर और नौरोजी नगर, नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में डाक्टरों द्वारा निर्देशित औषधियां उपलब्ध न होने की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता ।	„
	7	„	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय, लोधी रोड को ब्लाक नं० 23 से बदल कर ब्लाक नं० 9 के निकट किसी स्थान पर लाने की आवश्यकता ।	„
	8	„	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में 24 घण्टे चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता ।	„
	9	„	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में, विशेषकर नौरोजी नगर, नेताजी नगर और सरोजिनी नगर के औधालयों में औषध-वितरकों तथा अन्य कर्मचारियों के अवांछनीय व्यवहार को रोकने की आवश्यकता ।	„
	10	„	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में डाक्टरों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने सम्बन्धियों एवं मित्रों के साथ काफी समय तक गपशप करते रहने के कारण रोगियों के समय का अपव्यय होने को रोकने में असफलता ।	„
	11	„	न्यू राजेंद्र नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय के कार्य को सुधारने की आवश्यकता ।	„
	12	„	न्यू राजेंद्र नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में कुछ और डाक्टरों को नियुक्त करने की आवश्यकता ।	„
	13	„	न्यू राजेंद्र नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में कीमती दवाइयों की चोरी को रोकने की आवश्यकता ।	

1	2	3	4	5
				रुपये
36	14	**श्री रामावतार शास्त्री :**	न्यू राजेंद्र नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय के रोगियों के लिये उन दवाइयों को न्यूनतम समय में उपलब्ध कराने की आवश्यकता, जो वहां उपलब्ध नहीं हैं।	100
	15	,,	न्यू राजेंद्र नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में साधारण दवाइयां भी प्रायः उपलब्ध न होना।	
	16	,,	न्यू राजेंद्र नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में कम से कम एक और महिला डाक्टर नियुक्त करने की आवश्यकता।	,,
	17		न्यू राजेंद्र नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिये भी चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता, जैसाकि दक्षिण दिल्ली के कुछ केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में किया जा रहा है।	,,
	18	,,	न्यू राजेंद्र नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औधालय में चिकित्सा सुविधाओं को 24 घण्टे उपलब्ध कराने की आवश्यकता।	,,
	19		न्यू राजेंद्र नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय के कर्मचारियों की अकुशलता को रोकने की आवश्यकता।	,
	20	,,	सफदरजंग इंकलेव के बी-2 ब्लाक को नौरोजी नगर के केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से सम्बद्ध करने की योजना जैसाकि सफदरजंग इन्कलेव के बी-1 और बी-3 ब्लाक के सम्बंध में किया गया है।	,,
37	40	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे :**	पटेल नगर-2 में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में दवाइयां उपलब्ध न होना।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
37	41	श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे :	मोतीबाग-2 (नानकपुरा) में केंद्रीय सरकारी व स्वास्थ्य योजना औषधालय में दवाइयाँ उपलब्ध न होना।	100
	42	,,	पटेल नगर-2 में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिये अधिक स्थान की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
	43	,,	पटेल नगर-2 और मोतीबाग-2 (नानकपुरा) में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में 24 घण्टे की ड्यूटी करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
	44	,,	केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में अधिक डाक्टरों की नियुक्ति करने की आवश्यकता ताकि एक डाक्टर को प्रतिदिन 50 से अधिक रोगियों को न देखना पड़े।	,,
	45	,,	नौरोजी नगर और लोधी रोड के केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में स्वस्थ-बाल-निदानिकायें (क्लिनिक) खोलने की आवश्यकता।	,,
	46	,,	केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों से मधुमेह के रोगियों को तीन महीने की अवधि के उपरांत सामान्यतया रूप से दवाइयां सप्लाई करने की आवश्यकता।	,,
	47	,,	रामकृष्ण पुरम सेक्टर-2 और नौरोजी नगर के केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दवाइयां उपलब्ध न होना।	,,
	48	,,	मोतीबाग-1 में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में दवाइयां उपलब्ध न होना।	,,
	49	,,	विलिंगडन अस्पताल के एक्सरे कर्मचारियों द्वारा अपने मित्रों तथा सम्बंधियों को देखने तथा उनके साथ बातचीत करने के कारण रोगियों का समय नष्ट होने देने से रोकने में असफलता।	,,

1	2		3	4
				रुपये
37	50	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे :**	विलिंगडन अस्पताल के एक्सरे विभाग की कार्यक्षमता में सुधार लाने की आवश्यकता।	100
	51	,,	नौरोजी नगर, सरोजिनी नगर के एक भाग और सफदरजंग इंकलेव के निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौरोजी नगर के केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय की आपातकालीन सेवा के कार्यकाल को सामान्य कार्यकाल के बाद भी कायम रखने की आवश्य कता।	,,
	52	,,	लोदी रोड, सरोजिनी नगर, नौरोजी नगर और रामकृष्णपुरम के केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में पुरुष और महिला रोगियों के लिये अलग-अलग औषध-वितरक नियुक्त करने एवं अलग-अलग औषध-वितरण कांउटर बनाने की आवश्यकता।	,,
	53	,,	तिलक नगर के औषधालय में औषध वितरकों द्वारा सद्व्यवहार किये जाने की आवश्यकता।	,,
	54	,,	न्यू राजेंद्र नगर के केंद्रीय सरकारी स्यास्थ्य योजना औषधालय में पुरुष और महिला रोगियों के लिए अलग-अलग औषध वितरक नियुक्त करने एवं अलग-अलग कांउटरों की आवश्यकता।	,,
	55	,,	रोगियों की कठिनाइयों का स्वयं अनुभव करने के लिए निदेशालय के उच्च अधिकारियों द्वारा विभिन्न केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों की आकस्मिक जांच-पड़ताल की आवश्यकता।	,,
36	56	,	न्यू राजेन्द्र नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कर्मचारियों द्वारा अपने उन सम्बन्धियों की दवाइयां देने से रोकने की आवश्यकता, जो इन औषधालयों से लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
36	57	**डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे** :	दरियागंज के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली दवाइयों की चोरी, जो वे अपने उन सम्बन्धियों को देते हैं, जो इन औषधालयों से लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं, रोकने की आवश्यकता ।	100
	58	,,	दरियागंज के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में प्रायः साधारण दवाइयां भी उपलब्ध न होना ।	,,
	59	,,	दरियागंज के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में कम से कम एक और महिला डाक्टर नियुक्त करने की आवश्यकता ।	,,
	60	,,	दरियागंज के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में गैर-सरकारी कर्मचारियों को भी चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने की आवश्यकता, जैसा कि दक्षिण दिल्ली के कुछ केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में किया जा रहा है ।	,,
	61	,,	दरियागंज के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में कर्मचारियों की अकुशलता को रोकने की आवश्यकता ।	,,
	62	,,	यह सुनिश्चित करने के लिए, कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में रात को आपातकालीन सेवा के लिए नियुक्त डाक्टर वास्तव में वहां मौजूद रहते हैं, आकस्मिक जांच करने की आवश्यकता ।	,,
	63	,,	न्यू राजेन्द्र नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में औषध-वितरकों द्वारा सद्व्यवहार किये जाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
36	64	**डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** :	दरियागंज, दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में औषध-वितरकों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा सद्व्यवहार किये जाने की आवश्यकता।	100
	65	,,	दरियागंज के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय के कर्मचारियों की कार्यकुशलता को सुधारने की आवश्यकता।	,,
	66	,,	दरियागंज में रोगियों की भारी भीड़ को देखते हुए वहां अधिक डाक्टर नियुक्त करने की आवश्यकता।	,,
	67	,,	दरियागंज के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में कीमती दवाइयों की चोरी को रोकने की आवश्यकता।	,,
	68	,,	दरियागंज के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय में रोगियों के लिए उन दवाइयों को कम से कम समय में उपलब्ध कराने की आवश्यकता, जो इस समय वहां उपलब्ध नहीं हैं।	,,
	69	,,	तिलक नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय (संख्या 26) को 'डबल स्टोरी' से ब्लाक संख्या 20, तिलक नगर में ले जाने की आवश्यकता।	,,
	70	,,	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय को ब्लाक संख्या 8, जंगपुरा एक्सटेंशन से जंगपुरा (भोगल) में ले जाने की आवश्यकता।	,,
	71	,,	मेजर भूपेन्द्र नगर के निवासियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए धन की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
37	82	**डा० सरदीश राय** :	प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
7	83	डा० सरदीश राय :	जगह-जगह पर बहुत अधिक संख्या में मैडिकल कालेजों के खोले जाने को रोकने में असफलता।	100
	84	,,	चिकित्सा अनुसंधान के लिए उपर्युक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
	85	,,	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति गृहों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
	86	,,	कम से कम प्रत्येक सब-डिवीजन कस्बे में रक्त बैंक सम्बन्धी सुविधा देने की आवश्यकता।	,,
	87	,,	चितयरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कलकत्ता को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में असफलता।	,,
	88	,,	सारे देश भर में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को चालू रखने की आवश्यकता।	,,
	89	,,	कुष्ट रोग के निवारण के लिए पर्याप्त मात्रा में नि:शुल्क दवाई देने में असफलता।	,,
	90	,,	विशेषकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश में फीलपांव के रोग के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने में असफलता।	,,
	91	,,	क्षय रोग से पीड़ित निर्धन और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को अपेक्षित मात्रा में नि:शुल्क दवाइयों की व्यवस्था को रोकने में असफलता।	,,
	92	,,	खाद्य पदार्थ में मिलावट करने में असफलता।	,,
	93	,,	कुपोषण को रोकने में असफलता।	,,
	94	,,	दवाइयों में मिलावट को रोकने में असफलता।	,,
	95	,,	रैबिस रोग के निवारण के लिए समय पर पर्याप्त मात्रा में टीके की दवा सप्लाई करने में असफलता।	,,
	96	,,	पीने के पानी की विशेष रूप में गांवों में व्यवस्था करने में असफलता।	

1	2	3	4	5
36	97	प्रो० एस० एल० सक्सेना :	82 डाक्टरों/अधिकारियों के पदोन्नति सम्बन्धी मामले को दिल्ली से बाहर उनकी नियुक्ति के साथ जोड़ना जब कि दिल्ली में ही 80 स्थान खाली पड़े हैं ।	राशि घटा-कर । रु० कर दी जाये
	98	,,	82 डाक्टरों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण करने से पहले सरकार द्वारा उनके स्थानान्तरण के प्रश्न और विभिन्न भत्तों के मामलों को निपटाने में असफलता ।	
	99	,,	82 अधिकारियों को दिल्ली से बाहर के स्थानों पर स्थानान्तरण करते समय उनकी योग्यताओं तथा इस तथ्य को कि पहले भी उन्हें दिल्ली से बाहर नियुक्त किया जा चुका है, की ओर ध्यान न देने की नीति ।	,,
	100	,,	स्थानान्तरण प्रतिरूप समिति को उपयुक्त कारणों के आधार पर स्थानान्तरण के लिए विस्तार से कार्यक्रम तैयार करने के लिए, सरकार द्वारा अनुमति देने में असफलता ।	,,
	101	,,	भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री श्री के० के० शाह द्वारा एक स्थानान्तरण प्रतिरूप समिति को स्थानांतरण के मामलों पर विस्तार से विचार का एक फार्मूला तैयार करने सम्बन्धी सौंपे गये कार्यक्रम की उपेक्षा करके पदोन्नति किये गये 82 डाक्टरों का स्थानान्तरण करने के बारे में नीति ।	,,
	102	,,	स्थानांतरित डाक्टरों के लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ता और उनके परिवारों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था करने में असफलता ।	
	103	,,	दिल्ली में डाक्टरों की पदवृद्धि सम्बन्धी समिति की पिछले चार वर्षों में एक भी बैठक बुलाने में असफलता ।	
	104	,,	82 डाक्टरों को एक साथ स्थानान्तरित करने और उनकी पदोन्नति में चार वर्ष का बिलम्ब करने की नीति ।	,,

1	2	3	4	5
36	105	**प्रो० एस० एल० सक्सेना**	82 डाक्टरों का अन्यायपूर्ण ढंग से एक साथ दिल्ली से बाहर स्थानांतरण करना, जिससे उनमें असंतोष और बेचैनी फैली हुई है।	राशि घटा-कर 1 रु० कर दी जाए
	106	,,	गोरखपुर जिला अस्पताल और महाराजगंज क्षय-रोग अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण अस्पतालों में एक्सरे सम्बन्धी आधुनिकतम उपकरणों की व्यवस्था करने में असफलता।	
	107	,,	देश भर में विशेषकर गोरखपुर की महाराज-गंज तहसील में मच्छरों के फैलने के सम्बंध में कार्यवाही करने में ढील।	,,
	108	,,	गोरखपुर डिवीजन के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में जहां गन्डक, राप्ती, सरजू और अन्य सभी नदियों में भीषण बाढ़ आई हुई है ज्वर और हैज़ा जैसे रोगों क उपचार करने के लिए व्यवस्था करने में असफलता।	,,
	109	,,	लेखपालों और अन्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा जिन्हें बर्खास्तगी और अन्य दण्ड देने की धमकी देकर नसबन्दी के आपरेशनों का न्यूनतम कोटा पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है, गरीब भूमिहीन लोगों को भूमि देने के झूठे वायदे देकर तथा धोखे से और दबाव देकर नसबन्दी आपरेशनों का किया जाना।	,,
	110		आत्म-संयम द्वारा परिवार नियोजन करने के गांधीवादी तरीके से नहीं बल्कि असंयम के बाद गर्भ में ही शिशु को समाप्त करके परिवार नियोजन करना जिससे नैतिकता समाप्त हो रही है।	
36	111	**श्री रामावतार शास्त्री :**	पटना नगर में पेय जल की कमी दूर करने के लिए बिहार सरकार को विशेष सहायता लेने की आवश्यकता।	100 रुपये
	112	,,	गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये राज्य सर-कारों को पूरी राशियां देने की आवश्यकता।	

1	2	3	4	5
				रुपए
36	113	श्री रामावतार शास्त्री :	पटना नगर (टाउन) में भूमिगत नाली-व्यवस्था में दोष को दूर करने के लिये धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100
	114	,,	पटना नगर में वर्षा के पानी की निकासी के लिये एक उपयुक्त योजना बनाने के लिए धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
	115	,,	पटना नगर में गंदगी को दूर करने के लिए सहायता देने की आवश्यकता।	,,
	116		औषधियों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में असफलता	,,
	117	,,	औषध मूल्य नियंत्रण अधिनियम को लागू करने में ढिलाई।	,,
	118	,,	चिकित्सीय प्रतिनिधियों की मांगों को स्वीकार करने में असफलता।	,,
	119	,,	परिवार नियोजन योजना की असफलता।	,,
	120	,,	परिवार नियोजन के नाम पर करोड़ों रुपयों का अपव्यय।	,,
	121	,,	अस्पतालों में रोगियों को दवाइयां देने की आवश्यकता।	,,
	122	,,	अस्पतालों में सरकारी खर्च पर रोगियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
	123	,,	मलेरिया, हैजा तथा छूत की अन्य बीमारियों के पूर्ण रूप से उन्मूलन की आवश्यकता।	,,
	124	,,	पोलियो का इलाज करने के लिए प्रत्येक जिले में एक केन्द्र खोलने की आवश्यकता।	,,
	125		सरकारी डाक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने से रोकने में असफलता।	,,
	126	,,	प्रत्येक खण्ड में एक डाक्टर की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
				रुपए
36	127	श्री रामावतार शास्त्री :	स्वास्थ्य योजनाओं के विकास के किए राज्य सरकारों को अधिक अनुदान देने की आवश्यकता।	100
	128		अस्पतालों में दवाइयां देने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करने में असफलता।	
	129	,,	पटना नगर में पेय जल की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिये विशेष अनुदान देने की आवश्यकता।	,, ,,

Dr Kailas (Bombay South) : First of all. I want to congratulate Shri Dixit and Shri Chattopadhayaya for handling the affairs of Health Ministry so efficiently. Government had done well to eradicate Malaria but of take it has erupted again in the country due to influx of refugees from Ceylon, Burma and now from Bangla Desh. We have to be very careful in isolating such cases and preventing the disease for spreading. Much headway could not be made in the case of Smallpox due to wrong religious beliefs of the people Incidence of Cholera in catchment rural areas, particularly in Maharashtra is due to non-availability of potable water during rainy season. People have to drink river water which contains cholera germs. Government should, therefore, ensure that loans are given liberally through agencies like the Life Insurance Corporation so that people don't contract this deadly disease.

Although we can appreciate the inadequacy and import difficulties of anti-polio oral vaccine, but I want to stress that all efforts should be made to remove its shortage. Adequate supplies of A.T.S. and B.C.G. Vaccine injections should also be ensured.

Regarding control of Leprosy, I want to point out that the number of research laboratories is very inadequate.

It is regrettable to note that the Central Council of Indian Medicine and Homeopathy, as provided for in an Act passed by Parliament about one year back, has yet to constituted. The annual report of the Ministry is also silent about the work done in regard to standardisation of Ayurvedic medicines. I also want to know about the achievements and results obtained in clinical research in Ayurveda. Although I am my self a graduate in Allopathy, I have great faith in Ayurveda and, threfore, I want to know wnat progress has been made in printing the Ayurvedic books lying in manuscript form and what progress has been made in preparing 'Ayurvedic Bhishv Sanhita' and 'Siddha Bhishv Sanhita' which was taken in hand.

Regarding primary health centres at village level, I feel that the stipulation of posting M.B.B.S. doctors may be done away with as the villages continue to suffer from lack of primary medical help even now. Instead, Ayurvedic pyshicians and Homeopathic doctors may be posted in such centres. More mobile hospitals should function in areas falling under each Medical College—a very good scheme started by Shri K. K. Shah.

Proper attention is due towards controlling the venereal disease and Trachoma, The country needs Detection Centres for Cancer. Many Centres came up but they close down for lack of funds or doctors. I want the Health Ministry to take care of them. We should also make adequate use of equipment acquired through Colombo Plan.

The hon. Minister should personally ensure proper supply of rare and life-saving drugs like Insulin notwithstanding foreign exchange involved.

Full attention shouid be paid towards nutrition programme for children and expectant mothers as State Governments are not of much help despite CARE's valuable assistance. Anti-adulteration measures shoule he tightened so as to make them more effective.

Lastly, I would like the Hospitals run by E.S.I.S. to be taken over by the Ministry of Health for ensuring better care of Labour covered by the Scheme.

Shri Chandra Sekhar Singh (Jehanabad) : Sir, I want to draw the attention of the hon. Minister to drinking water scarcity in about 60,000 villages even now and absence of doctors in rural areas where 80 percent of the people live. It should be made compulsory for doctors to serve in villages for a specific period on graduation. The plight of primary health centres is really pathetic. There are no doctors and nurses. The medicines are either not available or are sub-standard or spurious. Many patients die due to lack of proper care in the verandas of hospitals. Last year, provision was made to supply nutritious food to 20 lakhs Adivasi Children but by March, 1971 only 6,50,000 children could derive same benefit. Moreover this scheme was not properly implemented.

Philaria is on increase in Bihar, U. P. and Orissa. It has become a common saying in Gaya that Philaria, mosquitos and Lawyers have become a menace there. I would request the hon. Minister to see to it personally.

Centres should be set up in every district for proper care of leprosy, T. B. and Cancer patients in the country. The bungling of funds in connection with staging musical stage shows for family planning campaign has now come to light, although this hoax was going on for a pretty long time. The guilty director should be removed immediat ely as promised by Shri S. N. Sinha.

Lastly, I want to draw the attention of the hon. Minister to the dilapidated condition and lack of facilities in Jehanabad Sub Div. Hospital.

***श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना)** : परिवार नियोजन को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलाने वाला भारत पहला देश है। इसके दो उद्देश्य हैं,—एक समाज की इकाई के रूप में परिवार का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकास करना और दो, जनसंख्या की दर को घटा कर आधा करना।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair.*)

परिवार नियोजन कार्यक्रम वास्तव में दूसरी योजना से आरम्भ हुआ और अब चौथी योजना में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के विभिन्न अंगों ने महत्वपूर्ण सेवायें की हैं। फिर भी खेद है कि जनसंख्या की दर में वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम को और तेज करने की आवश्यकता है, इसे अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है। हमें जनता का और गांव स्तर पर वहां के नेताओं का सहयोग करना होगा। जहां कहीं भी ऐसा किया गया है वहां बड़े उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। आर्थिक विकास परिवार नियोजन के बिना सम्भव नहीं है।

***श्री स्वामीनाथन (गोवीचेट्टिपलयम)** : खेद है कि लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये 24882 करोड़ रुपये की चौथी योजना में से मात्र 435 करोड़ रुपये ही रखे गये हैं। हमें सोचना

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।
Translated from English translation of speech delivered in Tamil.

होगा कि भारत की 80 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है और बहुत गरीब है उसके लिये यह केन्द्र एव उप-केन्द्र कहां तक उपयोगी होंगे ।

सरकारी अस्पतालों में रोगियों की इतनी दुर्दशा होती है कि दिल भर आता है । चिकित्सा स्नातक पर सरकार 30,000 रुपये और उसके माता-पिता 50,000 रुपये खर्च करते हैं । अतः स्नातक बनने के बाद उसे सन्यास लेकर गांव में जाकर अपना जीवन आरम्भ करने के लिये नहीं कहा जा सकता, जहां उसे पीने का पानी तक भी कभी कभी नहीं मिल पाता । छोटी-छोटी बीमारियों के लिये स्नातकों की आवश्यकता नहीं होती । वहां तो सिद्ध, होमोपेथी और युनानी जानने वाले को 250-300 रुपये मासिक वेतन देकर नियुक्त करके भी काम चल सकता है । मेरा यह सुझाव मन्त्री महोदय नोट करें ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में तमिलनाडु सर्वप्रथम है परन्तु इसी कारण हमारी दो लोक सभा सीटें कम हो गई हैं । इससे इस कार्यक्रम को धक्का लग सकता है ।

यदि गरीबों को वास्तव में हटाना है तो परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरी गम्भीरता से पूरा करना होगा । इसे विना साम्प्रदायिक भेदभाव के लागू किया जाना चाहिये । जब तक इसे अनिवार्य नहीं बनाया जायेगा, हमारी योजनायें पूरी नहीं हो सकेंगी ।

हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत लगभग 39 प्रतिशत है, इसमें इन्जीनियर, डाक्टर, अध्यापक जैसे तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हैं, सरकार देश में शिक्षित व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा सकी है, सरकार को चाहिये कि वह देश में परिवार नियोजन को अनिवार्य बना दे ।

श्री गोरखिडे (सांगली) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य अपमिश्रण निवारण विधेयक को पारित करने का उद्देश्य प्रशसनीय है परन्तु जिस रीति से इसको लागू किया जाता है उससे निःसन्देह छोटे पंसारियों और छोटे होटल मालिकों को अपना काम सुचारु रूप से चलाने में कठिनाई हो जाती है । इस अधिनियम के अधीन ऐसे नियम बनाने गए हैं जिनका उल्लघन करना अनिवार्य सा हो जाता है । इस अधिनियम को लागू करने वाले निरीक्षकों को छोटे दुकानदारों और होटल मालिकों द्वारा परेशान किया जाता है । मैं ऐसे मामलों को जानता हूं जिनका निपटान उनको बिना न्यायालय में ले जाये हो सकता था परन्तु उन पर मुकदमा चलाया गया था । मैं समाश्वासन का उल्लंघन करने से सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में कहूंगा, वास्तव में अपमिश्रण उन बड़े निर्माताओं द्वारा किया जाता है जो बम्बई तथा मद्रास जैसे बड़े नगरों में वस्तुओं का बड़ी मात्रा में निर्माण करते हैं । परन्तु जब छोटे दुकानदार समाश्वासन देकर उन वस्तुओं को बेचते हैं तो उसमें अपमिश्रण पाये जाने पर उसको ही इसके लिए दोषी ठहराया जाता है । अतएव इस प्रकार के प्रावधान बनाये जाने चाहिये जिसके अन्तर्गत इन छोटे दुकानदारों को अकारण परेशान न किया जा सके । निरीक्षकों को चाहिये कि वह छोटे दुकानदारों का मार्गदर्शन करे ।

महात्मा गांधी जन्म शताब्दी में सभी गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने का कार्यक्रम था परन्तु 3.2 प्रतिशत ग्रामीण जनता को ही शुद्ध पेय जल उपलब्ध है और शेष जनता को

कुओं के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है जो शुद्ध नहीं होता। क्या वे कम से कम उनके लिये शुद्ध पेय जल की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब राज्य मन्त्री इस वाद विवाद में हस्तक्षेप करेंगे।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डॉ० पी० चट्टोपाध्याय) : यद्यपि मैं सभी बातों का उत्तर नहीं दे सकूंगा फिर भी माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

माननीय सदस्यों ने मुख्य बात ग्राम्य स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उठाई है। यह महत्व-पूर्ण है और हम जानते हैं कि मांग की तुलना में ये सेवायें बहुत अपर्याप्त हैं। फिर भी हमने यथा सम्भव इन सेवाओं को उपलब्ध कराया है।

यह सच है कि सभी ग्राम खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवायें उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं हैं। हरन्तु फिर भी इनकी संख्या अधिक भयावह नहीं है। 31 दिसम्बर, 1970 को 5,237 खण्डों में से केवल 308 खण्डों में प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गए हैं।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की व्यवस्था नहीं है परन्तु ऐसे केन्द्रों की संख्या भी अधिक चिन्ताजनक नहीं है क्योंकि ऐसे केन्द्र केवल 280 हैं और वहां भी यथाशीघ्र डाक्टरों की व्यवस्था की जायेगी। परन्तु यह एक ऐसी समस्या है जिसे केवल सरकार ही नहीं सुलझा सकती है। लोकतान्त्रिक समाज में सभी व्यवसाय अपनी रुचि के होते हैं। ग्राम्य क्षेत्रों में डाक्टरों को लाने के लिए हम उनके लिए केवल सेवा की आकर्षक शर्तें ही पेश कर सकते हैं, प्राथमिक और सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की कुल संख्या आवश्यकता के अनुरूप नहीं है अतएक हमने सेवा शर्तों को उदार बनाया है, हम उन्हें अतिरिक्त भत्ते देने को तैयार हैं परन्तु यह सब संसाधनों के आवंटन पर निर्भर करता है।

माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि डाक्टरों को डिग्री देने से पूर्व उनके लिये ग्राम्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य बना दिया जाये, परन्तु ऐसा करना भी सम्भव नहीं हैं, हम केवल उनको ग्राम्य क्षेत्रों में सेवायें अर्पित करने को कह सकते हैं और आशा करते हैं कि वे बड़ी संख्या में वहां अपनी सेवायें दे सकेंगे, एक माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया कि ग्राम्य क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी दूर करने के लिए चलते-फिरते अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये, वस्तुतः इस संबंध में प्रयोगात्मक निर्णय लिया गया है और आशा है कि उसे चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया जायेगा, हमें आशा है कि चलते-फिरते अस्पतालों की संख्या बढ़ाने से उन ग्रामों में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध की जा सकेंगी जहां इस समय वे नहीं हैं, हमने यह भी विचार व्यक्त किया था कि इस योजना से मैडिकल स्नातक ग्रामीण जनता की दयनीय स्थिति को देख सकेंगे और डिग्री लेने के उपरान्त वे ग्राम्य क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों की सेवा करने के लिये प्रेरित हो सकेंगे।

मेरे विचार में यह एक सामाजिक समस्या है, डाक्टर गांवों में जाकर वहां चिकित्सा कार्य

नहीं करना चाहते हैं, जब तक वे गांवों में जाकर वहां चिकित्सा कार्य करने को प्रेरित नहीं होंगे तव तक सरकार के लिये उन्हें जबरदस्ती वहां भेजना बहुत कठिन होगा।

हमें आशा है कि डाक्टरी व्यवसाय को अपनाने वाले अधिकांश युवा डाक्टर गांवों में जाकर वहाँ की उस गरीब जनता को अपनी सेवाएं दे सकेंगे जिनको इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। उनको यह याद रखना चाहिये कि उनकी मैडिकल शिक्षा का 80 से 85 प्रतिशत व्यय जनता उठाती है। जब ऐसे लोगों को चिकित्सा संबंधी सेवायें उपलब्ध करने का प्रश्न आता है तो कई डाक्टर वहां जाने में हिचकते हैं।

मलेरिया, फाइलेरिया उन्मूलन आदि कार्यक्रमों की आलोचना की गई है, मैं कहना चाहूँगा कि इन समस्याओं को काफी सीमा तक सुलझाया जा चुका है। संभव है कि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट न हों परन्तु ऐसा कहना गलत है कि इस कार्यक्रम में प्रगति नहीं हुई है, यह सच है कि कतिपय दोनों में हम कार्यक्रम को लागू करने में पिछड़ गये हैं परन्तु ऐसा होना कोई नई बात नहीं है, हमने देखा है कि अन्य देशों में भी कार्यक्रम पिछड़ जाते हैं कई मामलों में सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है, जैसे कतिपय मच्छर किसी विशेष किस्म के कीटाणुनाशक औषधि से नहीं मर पाते हैं तो इस मामले में हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं, हम केवल उस कीटाणुनाशक औषधि के किस्म को बदल सकते हैं।

गांवों में मिट्टी पोतने की एक अजीब प्रथा है, यदि वहां मच्छर मारने के लिये छिड़काव किया जाए तो उन पर मिट्टी की पुताई होने से उसका प्रभाव जाता रहता है। इन तथ्यों के कारण कार्यक्रम में वांछित सफलता नहीं मिली है, ऐसा भी होता है कि कीटाणुनाशक औषधियां पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं, हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं ताकि हमारे पास विभिन्न किस्म की पर्याप्त मात्रा में कीटाणुनाशक औषधियाँ उपलब्ध हों, यह कार्यक्रम बहुत सीमा तक सफल रहा है क्योंकि मलेरिया के मामलों में कमी आई है।

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : Health of the people is the primary concern of the Government but keeping in view of the population, the same is not being given proper attention as required. The population has increased despite allocation of large sums of amount for family planning.

It has not been possible to control awful diseases like Malaria, Filaria, tuberculosis etc. in a required time. It was planned to control Malaria in 1967-68 but no achievement has been made. In the same way cases of Filaria, tuberculosis, tracoma, small pox have increased. About 50 lakhs persons are blind in India, Medicine like vaccine and serum for various diseases are not available. The condition of Primary Health Centres are not satisfactory. Doctors po not want to serve in villages which causes high mortality rate there. Dispensaries in Delhi are not working well. Admission in Medical Colleges has become a problem. No drinking water facility is available in villages. There has been no headway in providing Housing accommodation in villages. The Government should pay attention to the negelected Ayurvedic Medical Science. Patients have to face great hardships in getting themselves admitted in Udaipur Hospital. Special arrangements be made for Harijans and backward classes for admission in Hospital.

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधी नगर) : मैं समय कम होने के कारण स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के बारे में अपने विचार रखूंगा। मनुष्य को जीवन में तीन वस्तुओं तथा

स्वास्थ्य, रोटी और आवास की आवश्यकता होती है, जब तक इनकी व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक गरीबी का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है, स्वास्थ्य के लिये वायु जल और भोजन की आवश्यकता होती है यदि वायु, जल और भोजन दूषित अथवा संतोषजनक नहीं है तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य बनाए रखने के लिये औषधि, स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालों, सफाई, आदि भी अपेक्षित है, इस बारे में मेरा यह कहना है कि सरकार को जनता का अच्छा स्वास्थ्य बनाये रखने के लिये प्रभावी औषधियां, अस्पताल आदि की ओर ध्यान देना चाहिये। उसका यह भी दायित्व है कि देश में उन औषधियों का उत्पादन कराये जो यहां उपलब्ध नहीं हैं, हमें कतिपय औषधियां विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। उनका यहां उत्पादन करने के लिये काफी धन की आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय है और सरकार केवल परिवार नियोजन पर बड़ी मात्रा में धन व्यय कर रही है।

ऐसा कहा जाता है कि हमारा देश धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त का अनुयायी है परन्तु कई मामलों में हम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन दे रहे हैं, परिवार नियोजन केवल हिन्दुओं के लिये किया गया है परन्तु मुसलमानों के लिये चार-चार विवाह करना वैध है, परिवार नियोजन का कार्यक्रम हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि पर समान रूप से लागू करना चाहिये। हम केवल तभी कह सकेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम सभी के लिये बनाया गया है। यह राष्ट्रीय योजना है परन्तु यह केवल विशेष वर्ग तक ही सीमित है हम इस योजना पर काफी धन व्यय कर रहे हैं अतएव सरकार को देखना चाहिए कि यह भलि-भांति क्रियान्वित की जाये, हम गांवों में देखते हैं कि इन्सपैक्टर, प्रशिक्षित व्यक्ति केवल अपनी डायरियां ही भर रहे हैं और इसके अतिरिक्त वे कोई ठोस कार्य नहीं कर रहे हैं सरकार को यह देखना चाहिये कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में नियुक्त व्यक्ति भलि-भांति कार्य कर रहे हैं या खाली बैठे वेतन ले रहे हैं, यदि औषधालयों और अस्पतालों में अच्छी औषधियां उपलब्ध हैं और परिवार नियोजन का कार्यक्रम सही रीति से क्रियान्वित किया जा रहा है तो हम प्रगति कर सकते हैं।

हमारी जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उससे नई-नई बिमारियां पैदा हो रही हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक मजाक बनाया हुआ है। हम देखते हैं कि संसद में सदस्यगण इस पर केवल चर्चा करते हैं परन्तु उसे अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करते हैं, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करे।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Big fountains are coming up in Delhi for the last some years and lakhs of rupees have been spent on it. But on the other hand thousands of villages are without drinking water. At the time of Gandhi Centenary Year, it was said that drinking water will be made available to those villages who are suffering from lack of drinking water. But nothing has been done in this direction. There are thousands of such villages, particularly in Western Rajasthan, where 15 miles are covered to fetch drinking water. In some villages I found many families had gone far away in search of water. There are some such villages where women spend the whole night to get water from the earth. Of course the water is available beneath the earth and tubewells have been installed. But the problem is to take the water to the villages. I am talking about Western Rajasthan particularly. Schemes were formulated for the last many years but they remained on the paper and never took concrete shape. This year we are celebrating silver jublee of our independence but it is a matter of great shame that even today thousand of villages are in dire need of drinking water. This is a national problem and it

cannot be brushed aside by saying that it comes under State jurisdiction. The Central Government will have to look into it.

Today I want an assurance from the hon. Minister that every villages of Barmer and Jaiselmer will be provided drinking water within a year. This can be done by spending few crores of rupees which have been incurred on the construction of fountains in Delhi. If the Hon. Minister does not promise then I will break fountains of Delhi with a hammer. I cannot bear the fact that thousands of villages are without drinking water. The schemes are there and only it need a sense of urgency and fund. So I want a categorical assurance from the hon. Minister otherwise I may be compelled to take action.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : मनुष्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन नहीं है। मेरा चुनाव क्षेत्र महेन्द्रगढ़ तथा रिवाड़ी भी यहां उल्लेख की गई समस्याओं से पीड़ित हैं। गांवों में डाक्टरों का अभाव है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि डाक्टरों के प्रशिक्षण काल को पांच वर्ष से घटा कर तीन वर्ष कर दिया जाये तथा शेष दो वर्ष वरिष्ठ डाक्टरों के व्यवहारिक प्रशिक्षण में लगाये जायें। इस अवधि का उपयोग ग्रामीण चिकित्सालयों के लिये किया जा सकता है। संयुक्त अरब गणराज्य तथा पर्शिया में मुसलमानों के लिए एक पत्नी का विधान किया गया है। हमारे यहां भी 'एक पत्नी' के नियम को हर एक पर लागू किया जाना चाहिये। परिवार नियोजन के नियम भी सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिएं। इन कार्यों का खुले रूप में प्रचार नहीं किया जाना चाहिये। टेलीविजन पर परिवार नियोजन के उपक्रमों का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिये।

हरयाणा में हजारों गांव पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली भी इस समस्या से अछूती नहीं है। सहकारी गृह निर्माण समितियों की स्थापना द्वारा लोग थोड़े समय में धनी बन जाते हैं। ऐसे मामलों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : Our new Health Minister has a let of experience and greatest number of health schemes are likely to be undertaken new.

My place in Madhya Pradesh is a backward hilly area facing water problem. I request the hon. Minister to arrange for water supply there.

The family planning derive is going on in haphazerd way. These schemes should equally apply to all the communities. Our laws should apply to all the people.

Hindu girls are not appointed as nurses. In Kerala preference is given to christians in this matter.

Shri Uma Shanker Dixit : We recruit every one. There is scarcity of suitable persons in this profession.

Shrimati Sahodrabai Rai : It is said that Hindu girls do not perform the job perfectly.

Medicines are mis-appropriated in big Hospitals and poor people do not get admission while the big people are admitted at once. That should not happens.

The family planning drive is not properly going on. Crores of rupees are being wasted and thousands of men and women die due to carelessness. All these matters require special attention. Please take appropriate steps by which people may get complete benefit of the money being spent on health services.

श्री बक्शी नायक (फूलबनी) : फूलबनी क्षेत्र मुख्यतः आदिवासी और पूर्णतः अविकसित है और भारत सरकार उसकी इस स्थिति को स्वीकार करती है। औद्योगिक मामले में सरकार ने कुछ सुविधाओं की घोषणा की थी परन्तु वहां की समस्या को देखते हुये वे सुविधायें अप्रयाप्त हैं। अनेक अभावों के कारण बहुत सी कठिनाइयां हैं। स्वास्थ्य और सफाई की गम्भीर समस्यायें हैं।

केन्द्रीय सरकार को वहां पर कुछ अस्पताल विकसित करने चाहियें और कुछ चलते फिरते चिकित्सालय स्थापित करने चाहियें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ईसाई मिशनरी एक अस्पताल चला रहे हैं जिसके कर्मचारी तो अच्छे हैं परन्तु आर्थिक दशा बिगड़ी हुई है। यदि सरकार उन्हें सहायता दे तो चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो सकता है।

फूलबनी जिले में एक बूटी उत्पन्न होती है जिसका परिवार नियोजन के लिए शर्तिया उपयोग होता है। सरकार इस बारे में अनुसन्धान कराये तथा उससे उचित उपयोग ले। निरोध के बारे में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं सरकार उनकी जांच करवाये। परिवार नियोजन के कार्य शरणार्थियों के आने से व्यर्थ हो गये हैं।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua) : The problem of water is vital of all other problems. Equally important is the problem of public latrines. In Baster Jhabua and Mundla etc. water is not available in areas spread in dozens of miles. Due to that people have to suffer a number of diseases. The D.D.T. is not being sprayed on the spots where it ought to be done. But it is indiscriminately wasted. As a result Malaria is again spreading in the countury. We ought to be cautions about it.

The peasants while cultivating during rains are affected by 'Naru'. Through investigations may be made to central this by whatever means it may be possible.

I agree that our family planning policy should be uniform for all. The sectors which oppose this national programme are not sincere the country. I suggest that more facilities may be given to those who produce less children.

The talented students fail to get admission in the Medical colleges due to prevailing corruption. As a result thereof inferior persons become Doctors who are not able to treat the patients properly.

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : ग्रामीण क्षेत्रों, सीमा सुरक्षा बल एवं सीमा सड़क संगठन में डाक्टरों का अत्यन्त अभाव है। प्रत्येक डाक्टर के प्रशिक्षण पर 40-50 हजार रुपया व्यय होता है। अच्छे डाक्टर बनने पर भी वे बहुत पैसा पैदा करते हैं। मैं समझती हूं कि प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात उनके लिए 3 वर्ष की अनिवार्य सेवा की योजना होनी चाहिए।

देश में एक व्यापक स्वास्थ्य योजना का अभाव है। इस समस्या का मूल्यांकन करने के लिए हमें एक शक्ति सम्पन्न समिति शीघ्र ही गठित करनी चाहिए जिससे कि एक केन्द्रीय स्वास्थ्य अधिनियम बनाया जा सके।

दवाइयों का व्यापार बन्द हो। निर्धन व्यक्तियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की अवस्था दयनीय है। एक एक्सरे के लिये अस्पताल 16 रुपये गरीब लोगों से ले लेते हैं।

स्वास्थ्य सेवा में विभिन्न अधिकरण कार्य कर रहे हैं। उनमें एकरूपता रहनी चाहिए। परिवार नियोजन पर पुरुषों को अधिक ध्यान देना चाहिए।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : इस मन्त्रालय का सम्बन्ध दो विभागों से है परन्तु यह विषय संसद सदस्यों एवं आम जनता के लिये महत्वपूर्ण हैं। इस मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में किये गये कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई है।

स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। अतएव अधिकांश आलोचना जो जहां पर की गई है उसका मुख्य उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर नहीं है। राज्य सरकार की योजना में अपनी प्राथमिकतायें होती हैं। पहले पृथक-पृथक योजनायें होती थीं परन्तु अब राज्यों को एक मुश्त अनुदान दे दिये जाते हैं जिन्हें उपयोग करने की उन्हें स्वतन्त्रता रहती है। कुछ राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं के लिए हम पृथक धन देते हैं।

दूसरा उपाय, जो केन्द्र द्वारा स्वीकार किया गया है, यह है कि केन्द्र द्वारा समर्थित योजनायें अलग से चालू की जाती है। उनका पूरा व्यय और उत्तरदायित्व हम संभालते हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम ने काफी प्रगति की है। यह एक जटिल समस्या है। इससे होने वाले लाभ आयु के लम्बा होने से शक्य रह गये हैं।

मैं यह नहीं मानता कि परिवार नियोजन को खाद्य तथा पानी से भी अधिक महत्व मिलना चाहिए। परन्तु यह बात सच है कि यदि हम अपनी जन्म दर नहीं घटाते तो हमारे सभी विकास कार्य व्यर्थ हो जायेंगे और हमारे देश का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का यह कथन कि वे निरोध को बच्चों की मिठाई समझते रहे, विचित्र बात है।

पहला चरण अर्थात् परिवार नियोजन की आवश्यकता के सम्बन्ध में आगरूकता दूरस्थ ग्रामों तक पहुँच चुकी है। एक विदेशी ने अपने एक भारतीय मित्र को बताया कि उसने सारे भारत का भ्रमण किया है और सारे भारत में उसने दो बातों का व्यापक प्रसार देखा है। उनमें से एक है लाटरी तथा दूसरी परिवार नियोजन।

परन्तु इसके विपरीत कुछ व्यक्ति साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को लेकर परिवार नियोजन के विरुद्ध प्रचार करके अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने की बातें फैलाते हैं। आज की आर्थिक परिस्थितियों में इससे लाभ की अपेक्षा कठिनाइयाँ ही सामने आयेंगी। अतः परिवार नियोजन का विरोध करने वाला कोई भी समुदाय देश में आर्थिक प्रगति में पिछड़ा ही रहेगा। परिवार नियोजन की भावना धर्म के विरुद्ध नहीं है। पाकिस्तान में मुल्लाओं ने फतवा जारी किया है कि परिवार नियोजन की बात धर्म के विरुद्ध नहीं है। इसी प्रकार एक अन्य मुस्लिम देश में परिवार नियोजन का व्यापक प्रसार है। यहीं बातें हम अपने देश में लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि समय के साथ इस प्रकार का देश के सभी समुदायों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

परिवार नियोजन के कई नए उपाय भी जानकारी में आए हैं। इनमें से एक तरीका

गोली का है, दूसरा सेन्ट एक्वेयर का तथा तीसरा कापर टी' का है। ये तरीके सस्ते हैं तथा पहले के तरीकों से अधिक प्रभावी है एवं उनके दोषों से भी मुक्त हैं। एक अन्य बात यह भी है कि इनमें से एक तरीके को छोड़कर उपयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुओं का निर्माण भारत में हो सकेगा। इससे विदेशों पर हमारी निर्भरता भी काफी मात्रा तक समाप्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में आयुर्वेदिक औषधियों के भी प्रयोग किये जा रहे हैं।

देश में पाँच-छः चलते-फिरते अस्पताल भी चालू किये गये हैं। ? बहुत अधिक सफल रहे हैं। कुछ समय पूर्व एर्नाकुलम में एक शिविर लगाया गया था। जिसमें एक महीने में 15,000 नसबन्दी आपरेशन हुए। वर्तमान शिविर के लिये जुलाई मास में .0,000 आपरेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया परन्तु उस मास की 13 तारीख तक ही वह लक्ष्य प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में परिवार नियोजन के भविष्य के प्रति हम आशा रख सकते हैं।

जहां तक ग्रामीण जल प्रदाय का सम्बन्ध है देश में इस समस्या के समुचित हल के लिए हमें कम से कम 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में इस कार्य के लिए धनराशि का नियतन बढ़ाते आ रहे हैं। सन 1951 से 1969 तक की अवधि में ग्रामीण जल प्रदाय के विभिन्न कार्यक्रमों पर 19 करोड़ रुपये व्यय किये गये। चौथी योजना में ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए 125 करोड़ रुपए की राशि नियत है। हमें आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक 46,000 ग्रामों में जल प्रदाय की व्यवस्था की जा सकेगी।

राजस्थान में स्थिति विशेष रूप से खराब है। 1970-71 वर्ष में राजस्थान ने ग्रामीण जल प्रदाय पर दो करोड़ रुपये व्यय किये। अन्य राज्यों की तुलना में यह व्यय पर्याप्त है। इस बारे में कुछ अन्य राज्यों के आँकड़े इस प्रकार हैं: आन्ध्र प्रदेश 1.61 करोड़ रुपये, बिहार 62 लाख रुपये, गुजरात 1.61 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश 1.61 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश 1.52 करोड़ रुपये तथा उड़ीसा 46 लाख रुपये। इस समस्या पर योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय के साथ हाल ही में विचार हुआ था और यह तय हुआ है कि यदि कोई विशेष राज्य सरकार अधिक धन का इस्तेमाल करने की स्थिति में हैं तो धन की कमी के कारण उसको किसी योजना को अवरुद्ध नहीं होने दिया जायेगा। यदि कोई राज्य सरकार नल-जल तथा नलकूप जल की अतिरिक्त सप्लाई के लिए अभियान व जोरदार कार्यक्रम बनाती है तो केन्द्रीय सरकार उस राज्य सरकार की सहायता करेगी।

हमारे देश में यह परम्परा रही है कि लोक सेवा की भावना वाले परिवार एवं व्यक्ति कुएं खुदवाते रहे हैं। मेरा विचार है कि समाज का सम्पन्न वर्ग यदि इस दिशा में समुचित ध्यान दे तो इसकी आवश्यकता को समझ कर वह वर्ग गांव में कम से कम एक अथवा राज्य व जिले में कुछ निश्चित संख्या में कुएं एव नलकूप खुदवाने में सहायक हो सकता है।

बड़ी-गड़ी बीमारियों की भी बात की गई है। इसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि देश में भारी संख्या में लोगों को पीड़ित करने वाले मुख्य रोगों अर्थात मलेरिया, हैजा आदि पर नियंत्रण कर लिया गया है। अन्य रोगों के सम्बन्ध में निश्चय ही कुछ कमी रह गई है, परंतु हमारा विभाग इस ओर पर्याप्त रूप से सतर्क है। हमारे देश में चेचक पर नियंत्रण करने के

सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति हुई है। देश में पिछले वर्ष की चेचक की घटनायें भारत के इतिहास में अभी तक सबसे कम हैं। मलेरिया की घटनाओं की संख्या जहां देश में पहले साढ़े 7 करोड़ तक होती थी वहां इस रोग की घटनाओं की संख्या पिछले वर्ष 5 लाख थी। कुछ क्षेत्रों में अवश्य ही इस रोग ने संक्रामक रूप धारण किया है परन्तु स्थिति पर पर्याप्त नजर रखी जा रही है तथा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कुष्ठरोग, कैन्सर आदि के बारे में भी उपचारी कार्यवाही की जा रही है। देश में तथा विदेशों में ज्यों-ज्यों इस दिशा में अनुसंधान होंगे हम उनके परिणामों के आधार पर समुचित कार्यवाही करेंगे। हम इन बिमारियों को रोकने के लिए न केवल सतर्क ही हैं अपितु पर्याप्त सचेष्ट भी हैं।

देश में आयुर्वेद के लिए केन्द्रीय परिषद का गठन किया जा रहा है। पहली परिषद नाम निर्देशित की जायेगी तथा शीघ्र ही भारतीय औषधियों, योग आदि के लिए केन्द्रीय परिषद के गठन की घोषणा की जायेगी।

देश में अस्पतालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस समय इनकी संख्या 95 है। हाल ही में यह भी निर्णय किया गया है कि देश के 5 चलते फिरते अस्पतालों की संख्या को 95 तक बढ़ाया जाए। इस प्रकार प्रत्येक अस्पताल के साथ एक चलता-फिरता अस्पताल सम्बद्ध होगा।

जहां तक बंगला देश के शरणार्थियों का प्रश्न है, यह बात स्पष्ट है कि यह स्थिति हमारे ऊपर थोपी गई है। प्रारंभिक संकेतों के बावजूद, स्थिति की गम्भीरता से अनुमान नहीं लग सकते थे। फिर भी हमने अग्रिम तैयारी की। इस सब का ही यह परिणाम था कि हैजे जैसी किसी बिमारी पर नियन्त्रण किया जा सका। यह आशका सत्य थी कि यह रोग शरणार्थी शिविरों से स्थानीय जनसंख्या में फैल जायेगा परन्तु ऐसा नहीं होने दिया गया। इस रोग के आक्रमण में मृत्यु की सामान्य प्रतिशतता 20 होती है, परन्तु शरणार्थी शिविरों में यह प्रतिशतता 14 थी। थोड़े ही समय में 50 लाख लोगों को हैजे के टीके लगाये गये। यह टीके न केवल शरणार्थी शिविरों में लगाये गये अपितु आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी लगाये, जिससे कि इस रोग के फैलने की आशंका न रहे। कुछ क्षेत्रों में इस रोग के फिर से फैलने की खबरें हैं परन्तु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह घटनायें पुराने लोगों में हैं या नए आने वाले लोगों में हैं। यदि यह नए आने वाले लोगों में है तो यह चिन्ता की बात है। परन्तु हम पहले से भी अधिक सतर्क रहेंगे। हम समस्या की गम्भीरता के प्रति जागरूक हैं। यह केवल शरणार्थियों की ही बात नहीं इसके साथ सारे देश का सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिए रखता हूँ।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए)

(All the cut motions were put and negatived)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands in respect of the Ministry of Health and famly planning were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
36	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय	1,49,81,000
125	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	21,87,54,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गई तथा स्वोकृत हुई :

The following demand in respect of the ministry of Health and Family planning was put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
37	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	18,59,07,000

निर्माण और आवास मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब निर्माण और आवास मन्त्रालय की 85 से 87 तथा 140 से 142 तक की माँगों पर विचार करने तथा मतदान के लिए लेंगे।

जो सदस्य कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें वे 15 मिनट के भीतर उनकी सूची पटल पर रख दें तथा उन प्रस्तावों को पेश किया माना जायेगा।

निर्माण और आवास मन्त्रालय की वर्ष 1971-72 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
85	निर्माण और आवास मन्त्रालय	2,61,15,000
86	लोकनिर्माण कार्य	30,39,37,000
87	लेखन सामग्री और छपाई	10,90,88,000
140	लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	7,03,33,000
141	दिल्ली पूंजी परिव्यय	4,46,66,000
142	निर्माण और आवास मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,01,51,000

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : मन्त्रालय के प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए एकीकृत राजसहाय्यित आवास योजना के अन्तर्गत 2,24,000 मकानों के लिए अनुमति दी गई थी परन्तु केवल 1.72,000 मकानों का निर्माण हुआ है। निम्न आय समूह आवासन योजना के अन्तर्गत 1,72,100 मकानों के लिए मंजूरी दी गई थी परन्तु केवल 1,33,700 मकानों का ही निर्माण हुआ है।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the chair]

बागान श्रमिकों के लिए राजसहाय्यित योजना के अन्तर्गत केवल 1767 मकानों का निर्माण हुआ है। सरकार एक ओर तो "गरीबी हटाओ" की बात करती है परन्तु वास्तव में भूमिहीन कृषि मजदूरों के आवास के लिए केवल 1913 गृह स्थान मंजूर किये गये और समूचे देश में 8 लाख रुपये की लागत से केवल 1583 मकान बने। इससे स्पष्ट है कि समाज के निर्धन वर्ग की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

प्रतिवेदन में किसी योजना का उल्लेख नहीं है। केवल यही उल्लेख किया गया है कि बिहार में भूमिहीन मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण के लिए 10 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। भविष्य के लिए किसी अन्य योजना का उल्लेख नहीं है।

दिल्ली में बड़े-बड़े अधिकारियों को सस्ती दरों पर जमीन दी जाती है और जल, विद्युत, सड़कों आदि की पूरी सुविधायें उन्हें दी जाती हैं, परन्तु सरकारी कर्मचारियों के निर्धन वर्ग को दूर-दूर के स्थानों पर भूमि दी जाती है। गरीबी हटाओ के स्थान पर उन निर्धन लोगों को दिल्ली के केन्द्र से दूर हटाया जा रहा है। इसके साथ ही यह बड़े-बड़े अधिकारी अपने मकानों में स्वय न रह कर उन्हें किराये पर उठाये रखते हैं और स्वयं सरकारी मकानों में रहते हैं जहां उन्हें कम किराया देना पड़ता है। क्या समाजवाद और गरीबी हटाओ का यही अर्थ है?

सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण लेने के लिए आवास मन्त्रालय के पास जाना पड़ता है। अच्छा होता यदि सरकार के विभिन्न विभागों को धन नियत किया जाए।

सरकार का देश के विभिन्न भागों में 15 मुद्रणालयों पर नियन्त्रण है परंतु फिर भी सरकारी कागजों को गैर-सरकारी प्रेसों में छपवाने पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च किये जाते हैं। दूसरी ओर इन सरकारी मुद्रणालयों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा। पांच-छह वर्ष पूर्व केरल में कोरट्टी स्थान पर एक मुद्रणालय स्थापित किया गया था। पहले कहा गया था कि लगभग 600 व्यक्तियों को वहां पर रोजगार मिलेगा परन्तु अब केवल 168 व्यक्तियों को ही काम दिया गया है। यहां की यूनियन की मांग है कि यहां पर दो पार्टियां होनी चाहियें। इस बारे में आश्वासन भी दिया गया था परंतु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रेस में कार्य न होने का कारण कागज की कमी है।

नगरीय विकास कार्य से भी इस मंत्रालय का संबंध है। कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है। दिल्ली को छोड़ कर देश के लगभग सभी

शहरी भागों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों की दशा भी बड़ी शोचनीय है। पीने के लिए पानी नहीं, बिजली नहीं।

कलकत्ता में सुधार कार्य पर ध्यान देने के लिए कलकत्ता महानगर प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसके कार्य के लिए कुछ करोड़ रुपयों का आबंटन किया जा चुका है। परंतु हमारा विचार है कि इस संस्था ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है।

प्रतिवेदन में उल्लेख है कि कार्य-भारतीय कर्मचारियों के रूप में 17,270 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक तदर्थ समिति बनाई गई थी जिसने सिफारिश की थी कि इन कार्य-भारित कार्मचारियों में से 12,513 कर्मचारियों को सेवा में खपा लिया जाये परन्तु अब तब केवल 10,60: कर्मचारियों को खपाया गया है। कार्य-प्रभारित कर्मचारी पद्धति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और सभी कर्मचारियों को अपने विभाग में स्थायी कर्मचारियों के रूप में खपा लिया जाना चाहिये। 'समाजवाद' तथा 'गरीबी हटाओ' की बातों के साथ भी यह मेल नहीं खाती।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
				रुपये
86	1	श्री **रामावतार शास्त्री** :	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों को वार्षिक मरम्मत तथा अनुरक्षण का काम देने से सम्बन्धित नीति।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।
	2	"	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रशासनिक तथा गैर-तकनीकी पदों के लिए इंजीनियरों को नियुक्त करने से संबन्धित नीति।	"
	6	"	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'जी' डिवीजन के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन-वृद्धि देने की आवश्यकता।	100 रुपये
	7	"	मई और जून, 1971 में, अन्य डिवीजनों में स्थानान्तरित किए गए मजदूरों के संचित निधि लेखे सेंट्रल स्टोर्स डिवीजन 'नम्बर, 2 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संबधित डिवीजनों को भेजे जाने की आवश्यकता।	"

1	2	3	4	5
				रुपये
86	8	**श्री रामावतार शास्त्री :**	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी के पश्चिम डिवीजन निदेशालय में पात्र मालियों को स्थायी करने की आवश्यकता ।	100
	9	”	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'बी' डिवीजन में बेलदारों की गैर-कानूनी ढंग से चौकीदारों के रूप में नियुक्ति करना ।	”
	10	”	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'बी' डिवीजन के जिन बेलदारों को चौकीदारों के रूप में नियुक्त किया गया है उन्हें समयोपरि मजदूरी देने की आवश्यकता ।	”
	11	”	प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर प्लंबर का काम करने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 'बी' डिवीजन द्वारा सहायक-प्लंबर अथवा प्लंबर नियुक्त करने की आवश्यकता ।	”
	12	”	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीकल डिवीजन नं० 6 के दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को वर्दी देने की आवश्यकता ।	”
	13	”	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'एफ' डिवीजन के सब-डिवीजन नम्बर 4 के पेंटरों और प्लंबरों को धुलाई भत्ता देने की आवश्यकता ।	
	14	”	निर्माण कार्य के साथ-साथ जिन मजदूरों को स्थानान्तरित किया गया है, उनके संचित निधि लेखे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'बी' डिवीजन द्वारा 'एन' डिवीजन को भेजने की आवश्यकता ।	”
	15	”	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 'बी' डिवीजन के बेलदारों को वार्षिक वेतन-वृद्धि देने की आवश्यकता ।	”

1	2	3	4	5
				रुपये
6	16	श्री रामावतार शास्त्री :	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली के इलेक्ट्रिकल डिवीजन नं० 5 के सहायक फिटरों के वेतन समुचित रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता ।	100
	17		केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, के 'के' डिवीजन के देवनगर पूछताछ कार्यालय के प्लंबरों को छुट्टी के वेतन की बकाया राशि देने की आवश्यकता ।	"
	18	"	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के गोहाटी इलेक्ट्रिकल डिवीजन नं० 1 और 2 (मार्टम सब-डिवीजन को छोड़ कर) में काम करने वाले दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की संयुक्त वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	"
	19	"	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली सेंट्रल सर्किल नं० 1 के दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की पुनरीक्षित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	"
	20	"	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी निदेशालय के दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की पुनरीक्षित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	"
	21	"	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली के एयर कंडीशनिंग डिवीजनों के ई० एण्ड एम० अधीक्षकों की, जो 5 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, स्थानान्तरित करने की आवश्यकता ।	"
	22	"	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'एफ' डिवीजन में काम करने वाले फराशों को स्थायी करने की आवश्यकता ।	"
	23	"	दिल्ली प्रशासन में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, प्रभाग संख्या 4 के सीवरमैनों के पदों को स्थाई बनाने की आवश्यकता ।	"

1	2	3	4	5
				रुपये
86	24	श्री रामावतार शास्त्री :	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पटना केंद्रीय विद्युत प्रभाग को कलकत्ता केंद्रीय विद्युत सर्किल 1 अथवा 2 के क्षेत्राधिकार में लाने की आवश्यकता।	100
	25	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कोयम्बतूर केन्द्रीय विद्युत प्रभाग के सहायक अभियन्ताओं के सावधि स्थानांतरण की आवश्यकता।	,,
	26	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मीटर रीडरों के वेतनमानों के संशोधन की आवश्यकता।	,,
	27	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के फायरमैनों के वेतनमानों के पुनरीक्षण की आवश्यकता।	,,
	28	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के नेफा सर्किलों के दैनिक मजदूरी पानें वाले कर्मचारियों के लिए स्थायी पदों के निर्माण की आवश्यकता।	,,
	29	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के नेफा सर्किलों के दैनिक मजूरी पाने वाले कर्मचारियों के काम के घंटे नियत करने की आवश्यकता।	,,
	30	,,	सभी हवाई अड्डों पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों के काम के लिए क्वार्टरों के निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
	31	,,	दिल्ली प्रशासन में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रभाग संख्या एक के भिश्तियों, सहायक रंग-रोगनकारों और रोगनकारों को वर्दियां देने की आवश्यकता।	,,
	32	,,	दिल्ली प्रशासन में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रभाग संख्या एक के उन बैलदारों को, जिन्होंने एक वर्ष का सेवा कार्यकाल पूरा कर लिया है केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के कार्ड देने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
86	33	**श्री रामावतार शास्त्री :**	दिल्ली प्रशासन में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रभाग संख्या 1 के पात्र सहायक रंग-रोगनकारों को स्थायी करने की आवश्यकता।	100
	34	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली प्रशासन प्रभाग सख्या 1 के चौकीदारों को ग्रीष्मकालीन वर्दियाँ देने की आवश्यकता।	,,
	35	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली प्रशासन प्रभाग संख्या 1 के पात्र बेलदारों और भिश्तियों को स्थाई करने की आवश्यकता।	,,
	36	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के गौहाटी विद्युत प्रभाग 2 में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को मार्च, 1970 को समाप्त होनें वाले वर्ष के लिए भविष्य निधि के लेखे बताने की आवश्यकता।	,,
	37	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गौहाटी विद्युत प्रभाग 2 के पात्र कर्मचारियों के पदों को स्थायी करने की आवश्यकता।	,,
	38	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गौहाटी विद्युत प्रभाग 2 के पात्र कर्मचारियों को वर्दी देने की आवश्यकता।	,,
	39	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पटना केन्द्रीय विद्युत प्रभाग में रिक्त पदों के लिए कर्मचारियों को पदोन्नति करने की आवश्यकता।	,,
	40	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पटना केन्द्रीय विद्युत प्रभाग के कर्मचारियों को मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में भविष्य निधि के लेखे बताने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
86	41	**श्री रामावतार शास्त्री** :	पटना केन्द्रीय विद्युत प्रभाग में स्थानांतरित होकर आने वाले कर्मचारियों को यात्रा-भत्ता देने की आवश्यकता ।	100
	42	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पटना केन्द्रीय विद्युत प्रभाग के अन्तर्गत बर्नपुर के कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
	43	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पटना केन्द्रीय विद्युत प्रभाग के दैनिक मजूरी पाने वाले कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	,,
	44	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पटना केन्द्रीय विद्युत प्रभाग के अन्तर्गत नेपाल में नियुक्त बिजली के मिस्त्रियों के बारी-बारी से स्थानान्तरण की आवश्यकता ।	,,
	45	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ए० पृथक एम० एण्ड टी० सब-डिविजन, दमदम, को बन्द करने की आवश्यकता ।	,,
	46	,,	कलकत्ता डाक तार प्रभाग के उन कर्मचारियों को जिन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वापिस आने के लिये कहा है, वापस भेजने की आवश्यकता ।	,,
	47	,,	फरीदाबाद की वातानुकूलन निर्माण शाला प्रभाग 2 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के फरीदाबाद केन्द्रीय विद्युत प्रभाग के क्षेत्राधिकार में लाने की आवश्यकता ।	,,
	48	,,	वातानुकूलन प्रभाग 2 के अन्तर्गत इज्जत नगर के वातानुकूलन कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके उन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कानपुर केन्द्रीय विद्युत प्रभाग के क्षेत्राधिकार में लाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
86	49	श्री रामावतार शास्त्री :	वातानुकूलन प्रभाग 2 के अन्तर्गत हिन्डन की वातानुकूलन निर्माण शाला को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद केन्द्रीय विद्युत प्रभाग के क्षेत्राधिकार में लाने की आवश्यकता।	100
	50	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कलकत्ता केन्द्रीय विद्युत सर्किल 2 के दैनिक मज़ूरी पाने वाले कर्मचारियों की पुनरीक्षित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	51	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कलकत्ता केन्द्रीय विद्युत सर्किल 1 के दैनिक मज़ूरी पाने वाले कर्मचारियों की पुनरीक्षित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	52	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कलकत्ता केन्द्रीय विद्युत सर्किल तीन के दैनिक मज़ूरी पाने वाले कर्मचारियों की पुनरीक्षित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	53	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कलकत्ता केन्द्रीय प्रभाग संख्या 5 के पात्र निम्न श्रेणी लिपिकों को स्थायी करने की आवश्यकता।	,,
	54	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नागपुर केन्द्रीय सर्किल के दैनिक मज़ूरी पाने वाले कर्मचारियों की पुनरीक्षित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	55	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बम्बई केन्द्रीय सर्किल के दैनिक मज़ूरी पाने वाले कर्मचारियों की पुनरीक्षित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	56	,,	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बी-प्रभाग के कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए कुशक मार्ग पूछताछ कार्यालय में उपयुक्त कमरे की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
				रुपए
86	57	**श्री रामावतार शास्त्री :**	संसद् निर्माण कार्य प्रभाग 2 (पार्लियामेंट वर्क्स डिवीजन 2), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए योजना भवन पूछताछ कार्यालय में उपयुक्त मनोरंजन कक्ष की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100
	58	,,	विद्युत प्रभाग 10, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली, का क्षेत्र की संलग्नता के आधार पर पुनर्गठन करने की आवश्यकता ।	,,
	59	,	रामकृष्णपुरम्, सेक्टर 13, में लिफ्टों का अनुरक्षण कार्य, विद्युत प्रभाग 9, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को ठेके पर दिया जाना ।	,,
	60	,,	नागपुर केन्द्रीय मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं, संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	,,
	61	,,	बम्बई केन्द्रीय मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	,,
	62	,,	दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभीक्षकों (केयरटेकर) के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को दूसरे शनिवार का अवकाश देने के बारे में समान नियमों की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
86	63	**श्री रामावतार शास्त्री :**	दिल्ली में केन्द्रीय लोक निमांण विभाग के विभिन्न प्रभागों में कार्य करने वाले लिफ्ट कर्मचारियों को दूसरे शनिवार का अवकाश देने के बारे में समान नियमों की आवश्यकता।	100
	64	,,	नेताजी नगर, नई दिल्ली में अमरीकी भाण्डागार में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कैण्टीन की हालत को सुधारने की आवश्यकता।	,,
	65	,,	इंद्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की कैण्टीन की हालत को सुधारने की आवश्यकता।	,,
	66	,,	कलकत्ता केंद्रीय मंडल 1, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	67	,,	कलकत्ता केन्द्रीय मंडल 2, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं, वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	68	,,	कलकत्ता केन्द्रीय मंडल 3, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आए हैं, वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
86	69	**श्री रामावतार शास्त्री :**	मद्रास केन्द्रीय मंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणा में आये हैं, संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	100
	70	,,	मद्रास केंद्रीय विद्युत् मण्डल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	,,
	71	,,	बम्बई केंद्रीय विद्युत् मण्डल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	,,
	72	,,	दिल्ली केंद्रीय विद्युत् मंडल 4 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	,,
	73	,,	बागवानी निदेशालय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	,,
	74	,,	दिल्ली प्रशासन मण्डल 1 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के उन चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
86	75	**श्री रामावतार शास्त्री :**	दिल्ली प्रशासन मण्डल 3 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों में आये हैं संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	100
	76	,,	दिल्ली केंद्रीय विद्युत मंडल 3, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	77	,,	कलकत्ता केंद्रीय विद्युत मण्डल 1, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं, संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	78	,,	दिल्ली केंद्रीत विद्युत मण्डल 2, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं, संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	79	,,	कलकत्ता केंद्रीय विद्युत मण्डल 2, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक बेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं, संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	80	,,	दिल्ली केंद्रीय विद्युत मण्डल 5, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं, संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
86	81	श्री रामावतार शास्त्री :	आसाम केंद्रीय मण्डल गोहाटी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं, संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	100
	82	,,	खाद्य संग्रहण विद्युत मण्डल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं, संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	83	,,	आगरा केंद्रीय मण्डल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	84	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में नक्शानवीसों का नेपाल से स्थानांतरण करने की आवश्यकता, जिन्हों ने वहां 3 साल का सेवा-कार्य पूरा कर लिया है।	,,
	85	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में नक्शानवीस, श्रेणी 1, के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता।	,,
	86	,,	विद्युत प्रभाग संख्या 5, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय को इन्द्रप्रस्थ भवन से रामकृष्णपुरम में स्थापित करने आवश्यकता।	,,
	87	,,	प्रभाव छः, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय को इन्द्रप्रस्थ भवन से रामकृष्ण-पुरम में स्थानांतरित करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
86	88	**श्री रामावतार शास्त्री :**	दिल्ली केंद्रीय मण्डल 1, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं, संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	100
	89	,,	दिल्ली केन्द्रीय मण्डल 2, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की, जो दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में आये हैं, संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	90	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली केंद्रीय विद्युत मण्डल 3 के दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	91	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली केंद्रीय विद्युत मण्डल 3 के दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	92	,,	कलकत्ता केंद्रीय विद्युत मण्डल 2, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, के दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	94	,,	दिल्ली प्रशासन विद्युत प्रभाग 3, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से सेवा-निवृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत करने में विलम्ब।	,,
	93	,,	आसाम केंद्रीय मण्डल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
				रुपये
86	95	श्री रामावतार शास्त्री :	आसाम विमानन निर्माण प्रभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के गोहाटी को छोड़ कर अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को वेतन का वितरण करने में विलम्ब।	100
	96	,,	प्रभाग-क, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के उन कर्मचारियों के, जो अन्य प्रभागों से इस प्रभाग में स्थानांतरित हुए हैं, भविष्य निधि लेखे भेजने की आवश्यकता।	,,
	97	,,	मद्रास केंद्रीय मण्डल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	98	,,	मद्रास केंद्रीय विद्युत मण्डल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिजलीघरों में मेज और कुर्सियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
	99	,,	मद्रास केंद्रीय विद्युत मण्डल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संशोधित वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता।	,,
	100	,,	मद्रास केंद्रीय विद्युत मण्डल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में समय नोट करने के लिए बिजलीघरों में दीवार-घड़ियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
	101	,,	मद्रास केंद्रीय मण्डल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चौकीदारों (नियमित) का श्रमिक संघों के सदस्य बनने के कारण शोषण किया जाना।	,,
	102	,,	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों का राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में प्रति-नियुक्ति पर नियोजन।	,,
142	103	,,	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा उन ठेकों पर अथवा छोटे ठेकों पर काम दिया जाना।	

1	2	3	4	5
				रुपये
85	104	श्री रामावतार शास्त्री :	बागवानी विभाग द्वारा सरकारी बस्तियों में विशेषकर सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में घास के उद्यानों के अनुरक्षण में असफलता।	100
	105	„	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूछताछ कार्यालय, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली, में काम करने वाले कर्मचारियों के कठोर बर्ताव को रोकने में असफलता।	„
	106	„	सरकारी बस्तियों में, विशेषकर सरोजिनी नगर, नई दिल्ली, में सरकारी क्वार्टरों के असन्तोषजनक, अनुरक्षण को रोकने की आवश्यकता।	„
	107	„	नई दिल्ली के टाइप-2 और टाइप-3 के सरकारी क्वार्टरों में हाथ मुंह धोने के कुण्ड की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	„
	108	„	अलाटियों की शिकायतों को शीघ्र निपटाने में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूछताछ कार्यालय, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली, के कर्मचारियों की असफलता।	„
	109	„	टेलीफोन पर अलाटियों द्वारा की गई शिकायतों को दर्ज करने में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूछताछ कार्यालय, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली, के कर्मचारियों की असफलता।	„
	110	„	अलाटियों द्वारा बार-बार की जा रही मांग के बावजूद लोधी कालोनी के टाइप-3 के सरकारी क्वार्टरों में हाथ मुंह धोने के कुण्ड की व्यवस्था करने में असफलता।	„
	111	„	रामकृष्णपुरम में नवनिर्मित क्वार्टरों की तरह लोधी कालोनी के टाइप-3 और टाइप-4 के सरकारी क्वार्टरों में स्कूटर गैराजों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	„
86	112	„	सफरदजंग एनक्लेव, नई दिल्ली के 'ए' और 'बी' ब्लाक में उद्यानों का विकास करने में असफलता।	„

1	2	3	4	5
				रुपये
86	113	**श्री रामावतार शास्त्री :**	नई दिल्ली में एम एवन्यू से रामकृष्णपुरम तक मुख्य सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करने में असफलता ।	100
	114	,,	राजनगर से कमल सिनेमा, नई दिल्ली, तक मुख्य सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
141	115	,,	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेचे गये भूखण्डों को पूर्ण स्वामित्व वाले भूखण्ड ('फ्री होल्ड') घोषित करने में असफलता ।	,,
	1 6	,,	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बेचे गये भूखण्डों का भूमि-किराये कम करने में असफलता ।	,,
86	128	**डा० सरदीश राय :**	दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को नियमित करने में असफलता ।	,,
87	129	,,	कोरट्टि मुद्रणालय (केरल) में दूसरी पारी शुरू करने में असफलता ।	,,
	130	,,	कोरट्टि (केरल) में सरकारी मुद्रणालय में बेकार क्षमता का उपयोग करने में असफलता ।	,,
	131	,,	भारत सरकार मुद्रणालय श्रमिक संघ, कोरट्टि, केरल को पुनर्गठित करने की आवश्यकता ।	,,
	132	,,	कोरट्टि स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय में प्रबन्धकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा ज्यादतियों के आरोपों की जांच करने की आवश्यकता ।	,,
140	133	,,	निर्धन तथा मध्यमवर्गीय परिवारों को आवास-सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	,,
85	148	**श्री रामावतार शास्त्री :**	पटना नगर के विकास के लिये वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
	155	,,	गन्दी बस्तियों की सफाई संबंधी योजनाओं के लिये राज्यों को शत प्रतिशत अनुदान देने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	
85	156	श्री रामावतार शास्त्री :	सरकारी कार्यालयों पर किराए के रूप में खर्च होने वाली करोड़ों रुपये की राशि को कम करने के लिए सरकारी भवनों के निर्माण पर बल देने की आवश्यकता।	100 रुपये
	157	,,	किराया नियन्त्रण अधिनियम को सफलता-पूर्वक लागू करने में असफलता।	,,
	158	,,	भवन-निर्माण सामग्री की चोरी तथा घोटाले को रोकने में असफलता।	,,
	159	,,	ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जिनके पास अपने मकान हैं सरकारी क्वार्टर आवटित करने के नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता।	,,
	160	,,	सरकारी ठेकों के ठेकेदारों को अधिक लाभ कमाने से रोकने में असफलता।	,,
	161	,,	पटना नगर के विकास के लिये विशेष अनुदान देने की आवश्यकता।	,,
	162	,,	पटना नगर में सड़कों और गलियों की दशा सुधारने तथा वहां के नागरिकों को गंदगी से बचाने के लिए विशेष अनुदान देने की आवश्यकता।	,,
	163	,,	निर्माण कार्य के लिए अर्जित की गई भूमि के लिये उचित बाजार मूल्य देने की आवश्यकता।	,,
	164	,,	किसी व्यक्ति विशेष के लिए मकानों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता।	,,
	165	,,	झुग्गी झोंपड़ियों को गिराने की नीति छोड़ देने की आवश्यकता।	,,
	166	,,	झुग्गी निवासियों को रहने के लिए प्लाट और निर्माण सामग्री देने की आवश्यकता।	,,
	167	,,	झुग्गी निवासियों के लिए पेय जल बिजली तथा अन्य नागरिक सुविधायें प्रदान करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
85	168	श्री रामावतार शास्त्री :	अनधिकृत बस्तियों को अधिकृत घोषित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
	169	"	संसद सदस्यों को आवास के लिए भूमि अलाट करने सम्बन्धी निर्णय को रद्द करने की आवश्यकता ।	"
	170	"	हरिजनों को मकान देने के लिए राज्य सरकारों को विशेष अनुदान देने की आवश्यकता ।	"
	171	"	हरिजनों और भूमिहीन लोगों को आवास के लिए भूमि देने में असफलता ।	"
	172	"	मकानों को अलाट करने के बारे में एक सही नीति बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	"
	173	"	प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को आवास सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता ।	"
	174	"	बिहार में मकान अलाट करने के मामले में हुई धांधली की जांच करने की आवश्यकता ।	"

Shri Dalip Singh (Quter Delhi) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Works and Housing and I would like to congratulate this Ministry which has done good work in tackling various housing problems. It is hoped that due attention will be paid to the solution of the remaining problems.

In Delhi the land of about 120 villages has been completely acquired and this work still continuing. Not even an inch of land has been left with the villages which can be utilized for housing purposes when the population is rapidly increasing. I would like to bring to the notice of the Government that there is no sewerage in those villages. In some of the villages there is no proper arrangement of water. The latrines are dry and there is dirt everywhere. From the time the Jan Sangh has come to power in the Corporation, no attention towards cleanliness in those villages is being paid. The Government should give due attention for the development of those villages.

The other thing which I would like to submit is about the deplorable condition of the J. J. Colonies. There are dry latrines in those colonies. Night soil is not removed for days together. Proper attention should be paid to this matter.

A number of unauthorised colonies are springing up in Delhi. Even the land which was proposed to be used as green land in the Master Plan has also been developed into colonies. The Master Plan should be modified keeping in view all this or these areas are thickly populated and most of the students there are very poor.

In J. J. Colonies people have been given the plots of 25 square yards of land while originally it was proposed to give them plots meanting 80 square yards of land. At least the people should be given ownership of those plots.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Mr. Charman, Sir, tne housing problem in our country is very serious and the strange thing is that Government has not adopted a firm Policy to tackle this

There are certain government officers who reside in Delhi and who have built their own houses but live in Government bungalows and rent out their own houses at high rents. There should be proper check on such practices.

Under the Chairmanship of Ashoka Sen a committee was appointed to consider the slum clearance problem. That Committee submitted its report but the Government paid no heed to the recommendations of the Committee. What steps the Government is going to take about the recommendations of the Ashoka Sen Committee and how much money is proposed to be allocated during the Fourth Five Year Plan for slum clearance ?

In Uttar Pradesh about 7000 class III & IV Government employees are living in governvent quarters and Shri Jag Jiwan Ram himself had assured them that they would not be asked to vacate the government quarters but now the U. P. Government has served notice to employees to vacate the quarters as they are to be allotted to the textile mill employees.

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : In which city . . .

Shri Sarjoo Pandey : In Kanpur. If the U. P. Government gets those quarters vacated, law and order problem will arise.

The Government should ask the U. P. Government not to get those quarters vacated and separate quarters for the textile mill employees should be built.

To provide housing facilities to Harijans is a big problem in our country. In this regard neither the Central Government nor the State Governments have taken any step. The Government should acquire land near Harijan colonies at its own level and distribute that land free of cost among Harijans.

It is a matter of pleasure that the Government has allocated a sum of Rs. $1\frac{1}{2}$ crores for Calcutta Corporation. We have no contention with it. But the Government should also pay attention to the needs of other cities like Banaras, Agra, and Patna. If the Government wants to tackle the housing problem, they should pay more and more attention to it.

Shri Satpal Kapur (Patiala) : Mr. Chairman, Sir, the Government is not paying serious attention to the housing problem which is very grave. In big cities as well as in rural areas, the housing problem is acute. Teo Government has not paid proper attention to the scheduled castes and scheduled Tribes in this regard. The Government should formulate a crash programme for providing small houses, "A" and "B" Class Municipal Committees should be given loans to establish colonies for the government, and municipal employees in their repective cities.

I have seen in Madhya Pradesh, Orissa and Bihar that there is much land which is not being used. Stone is also available there. The Government should give loan worth Rs. 500 to each family belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes to enable them to erect their own pucca houses.

In this Budget some measures have been taken in an indirect way towards imposing a ceiling on urban property. This matter is to be considered seriously. Ceiling on property should be imposed.

There is black money in our country. A small & housing corporation should be set up and open sale of shares should be allowed and those shares must not be transferable.

Those people who purchase shares should not be asked to disclose the source of their money. This black money may be utilized in this way.

The staff of Lok Sabha Secretariat is not getting government accommodation. There is lot of discrimination in the matter of allotment of government quarters in Delhi. Only those persons who have influence can get accommodation while others suffer.

***श्री सामिनाथन्** (गोबीचेट्टिपलयम) : सभापति महोदय, मुझे निर्माण और आवास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का जो अवसर दिया गया है, उसका मैं आभारी हूं।

दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की सफाई और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिये जो धनराशि आवंटित की गई थी उसमें से 50 प्रतिशत भी उपयोग में नहीं लाई गई है। इससे इस समस्या की गम्भीरता का पता चलता है कि सरकार देश की मूलभूत समस्याओं का हल करने में कितना प्रयास कर रही है।

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड की स्थापना की है और केवल तमिलनाडु सरकार ने ही बढ़ती हुई गदी बस्तियों की समस्या का समाधान करने के लिये यह रचनात्मक कार्य किया है। वहां के मुख्य मन्त्री ने गरीब जनता के कल्याणार्थ गंदी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिये 40 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक सात वर्षीय योजना बनाई है। इस वर्ष के बजट में इस प्रयोजन के लिए 4.50 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। मद्रास नगर में बहुत से मकान बहुत-बहुत जल्दी बनाये गये हैं और गंदी बस्तियों में रहने वाले बहुत से लोगों को पहले ही अन्य मकान दिये गये हैं। तमिलनाडु गंदी बस्ती सफाई बोर्ड ने इस महान कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मंत्री महोदय को इस बोर्ड को वित्तीय सहायता देने के लिये मार्गोपाय ढूंढ़ने चाहिये जिसमें इस बोर्ड को 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता और 50 प्रतिशत ऋण दिया जाये ताकि बोर्ड की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

चौथी योजना में भी 24882 करोड़ रुपये के कुल पूंजी परिव्यय में से 237.03 करोड़ रुपये की लघु राशि इस प्रयोजन के लिये निर्धारित की गई है। यदि सरकार अपने दिये गये बचनों से जनता को सतुष्ट करना चाहती है तो इस राशि को दुगुना कर दिया जाना चाहिये।

चौथी योजना में तमिलनाडु में एन्नोर में सेल्यूलर कन्क्रीट संयंत्र की स्थापना के लिए 2.6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। चूंकि तमिलनाडु सरकार को भवन निर्माण सामग्री की भारी कमी के कारण गंदी बस्तियों के सफाई कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. सरकार को सेल्यूलर कंक्रीट संयंत्र की शीघ्र स्थापना करनी चाहिये और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सलेम इस्पात सयंत्र शीघ्र ही स्थापित किया जाये।

जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों को राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देनी चाहिये ताकि वे भी गंदी बस्ती सफाई के लिए तमिलनाडु बोर्ड की भांति अपने राज्यों में गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड बना सकें। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम को बहुमंजिले मकान बनाने की बजाय हजार डेढ़ हजार रुपये की लागत वाले सस्ते मकान बनाने चाहिये।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version of english translation of speech delivered in Tamil.

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 23 वर्षों के बाद भी देहाती क्षेत्रों में सरकार शुद्ध पेय जल की व्यवस्था नहीं कर पाई है। तमिलनाडु सरकार ने इस प्रयोजन के लिये जल तथा मल निस्सारण बोर्ड की स्थापना की है।

तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने गंदी बस्ती सफाई बोर्ड और जल बोर्ड की स्थापना की है तथा उन भिखारियों के पुनर्वास के लिये एक योजना भी आरम्भ की है जो संक्रामक तथा अचिकित्सीय रोगों से पीड़ित हैं। केंद्रीय सरकार को इसमें प्रोत्साहन देना चाहिये।

अब मैं कोयम्बट्टूर के निकट पेरिया-नायकनपलयम में भारत सरकार के मुद्रणालय के बारे में उल्लेख करता हूं। उस मुद्रणालय में दूसरी पारी करने की मंजूरी दो वर्ष पहले दी गई थी जिससे उस क्षेत्र के 400 लोगों को रोजगार मिल सकता था परन्तु उसे अभी तक चालू नहीं किया गया है। वहां पर प्रबन्धक और मजदूरों के बीच अशोभनीय विवाद भी छिड़ा हुआ है। इस विवाद को मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें और दूसरी पारी आरम्भ की जानी चाहिये।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The Central Government and the D. D. A. have done a lot to ease the housing problem in Delhi. Paucity of financial resources stand in the way of tackling this problem. At least 50,000 more houses are to be constructed in Delhi to solve the houssing problem. The Central Government should give a sum of Rs. 25 crores to it. Then it will be possible to solve the housing problem in Delhi. Since financial assistance is given to the D. D. A. the representation of the Central Government and Parliament should be there.

The Government emyloyees should be given accommodation near the places of their duty. For example, policemen should be given housing accommodation near the police stations. Similarly the employees of Parliament Secretariats should be given by government accommodation near Parliament House as they have to work till late hours. They have to go to far off places late at night and it does not look nice. The Government should provide better accommodation to class IV employees. Steps should also be taken to provide low cost houses to teachers. L. I. C. and other such bodies should help the DDA in building more and more houses.

The Ministers and high government officials live in very big bungalows. The Government should reduce the size of big bungalows and build flats for them and utilize the surplus land for others. There is huge area under the control of Delhi Cantonment. The Government should take away the surplus land from them.

There are big Clubs in Delhi which are means of entertainment for richer sections of society. Those Clubs should be shifted to places for away from the city. The land, thus acquired, should be utilized for providing good cultural centres.

It has been our policy not to sell land to foreign cultural centres or missions. But Ford Foundation has been given land worth crores of rupees. This institution is working against the country's interests. Why has that land been given to them ?

The Government has done a right thing in acquiring Birla House. There are also other buildings nearby. Those building sshould also be acquired.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Sir, my friend, Shri Shashi Bhushan has lashed out at the big business trycoons living in palatial buildings and grandeur but he kept mum at pompous living of Ministers.

Regarding J. J. Colonies in Delhi, I may point out that the Housing Ministry is

responsible for lack of civil amenites and insufficient space-area. Tall promises were dished out & these poor people but now no one has gone to see their plight.

The flats for MPs are sub-standard and entirely unsuitable for them. In Grovernment Colonies in Delhi, like Lodi Colony, water supply remains suspended for 8 days. Promises have proved mere election stunts. This is condemnable.

श्री सोमचन्द्र सोलंकी (गांधीनगर) : मैं इस समय इस मंत्रालय के नगरीय विकास, गन्दी बस्तियां हटाने की योजनाएं, आवास योजनाएं, भूमिहीन श्रमिकों और पीड़ित वर्गों का उल्लेख करूंगा।

अहमदाबाद में पुनर्वास मार्केट में हरिजनों को कोई दुकान क्यों अलाट नहीं की गई। खेद है कि गंदी-बस्ती हटाने की योजनाओं का प्रयोग चुनाव जीतने में किया जाता है। साफ-सुथरे घर प्राप्त करना श्रमिकों का अधिकार है।

लोक-निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। यह बन्द होना चाहिये। अहमदाबाद में हरिजनों के लिए 100 से अधिक आवास समितियां बन्द हो गई हैं। सरकार उदारता से इनकी सहायता करके हरिजनों को राहत पहुंचाए। यदी ऐसी योजनाएं सफल हो जायें तो गंदी बस्तियां अपने आप समाप्त हो सकती हैं। गांवों में हरिजनों को मकान तक बनाने के लिए भूमि नहीं मिलती। सरकार को उनकी भी सहायता करनी चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, flats for MPs are ill-suited to the needs of us, Indians and we do not get adequate air and light as they were built by Britishers before indepedence.

Hon. Shri Dixit and Shri Shashi Bhushan would recall that according to Gandhiji, the Rashtrapati Bhawan is a white elephant and should, therefore, be coverted into a civil hospital for Delhi-walas.

On the one hand the development in Delhi is highlighted by palatial mansions all-around and on the other, villages in India have no basic amenities like hospitals, approach roads, drinking water and drainage. If such wide disparities continue to grow, we can never check naxalite activities.

If we cannot provide smallar and more modest residence for our Ministers and bureaucrats in 22 years, all talk of socialism is hoax.

Shri V. Tulsiram (Peddapalli) : Sir. Harijans and Girijans, who occupy a very important place in India, have all along been fed with false promises.

All high officers, Ministers and MPs etc. manage to get houses allotted whereas low-salaried employees and poor people are denied such allotment although they have put in 20-25 years' service. Delhi Development Authority is also catering to the needs of moneyed people only. I, therefore, request Government to implement housing Schemes to benefit poor people, particularly the Harijans and Girijans.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : बम्बई जैसे औद्योगिक नगरों में औद्योगीकरण कार्यक्रम, निर्माण, औद्योगिक विकास और परिवहन मंत्रालयों में समन्वय के अभाव के कारण सफल नहीं हो रहा। श्रमिकों को 30-35 मील दूर से काम कर आना पड़ता है और उनके लिए आवास की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है यद्यपि यह कार्य राज्य सरकारों का है, फिर भी केन्द्रीय सरकार न तो उन्हें नेतृत्व दे रही है और न ही वित्त मंत्रालय द्वारा कोई उनको

कोई सहायता दी जा रही है, जिनके पास श्रमिकों की भविष्य निधि का धन जमा है। औद्योगिक विकास के हित में यह अनिवार्य है। आवास न केवल प्रत्येक परिवार की आवश्यकता है अपितु सामाजिक न्याय का अंग है। अतः समाज के सभी वर्गों की आवासीय आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहियें।

Shri M. C. Daga (Pali) : The slogan of socialism is reduced to mockery when not even one civic body in the entire country has framed or implemented cheap housing schemes for Harijans and poorer sections of society. We have been simply toying with housing problem. That is why houses are built but no latrines are provided even 17 years afterwards, neither there is water-supply.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I would like to give some suggestion regarding the Housing problem in the country. We have high hopes of Shri Dixit who has risen to this position from below and who realises the difficulties of the poor. First, two Corporations should be set up-All-India Rural Housing Corporation as in Singapore and the other, All-India Urban Slum Clearance Corporation. In my opinion we should make it compulsory on every house-builder to purchase bonds of a certain percentage of the amount invested by him on house building.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपनी बात कानपुर में रह रहे 7000 केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की समस्या तक ही सीमित रखूंगा। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से उत्तर प्रदेश में 35,000 क्वार्टर बने थे जिनमें से 30,000 कानपुर में बने। उनमें से अधिकतर क्वार्टरों में सूती वस्त्र उद्योग के कर्मचारी रह रहे हैं तथा 4500 रक्षा कर्मचारी। यह एक स्थायी आवंटन था पर अब उन्हें खाली करने के नोटिस दिये गये हैं। रक्षा मन्त्री ने अपने दौरे के समय उनसे मकान खाली न करवाये जाने का आश्वासन दिया था। मैं अब पुनः मंत्री महोदय से साफ शब्दों में यह आश्वासन चाहता हूं कि उन्हें निकाला नहीं जायेगा, अन्यथा 15 अगस्त, 1971 के बाद वहाँ कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जायेगी और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो।

गंदी बस्तियों की सफाई के लिये कानपुर निगम ने 50 करोड़ रुपये की मांग की है। तत्सम्बंधी योजना बना कर भी सरकार को भेज दी गई है। मैं आशा करता हूँ कि इस पर विचार किया जायेगा और शीघ्रातिशीघ्र उसे यह राशि दी जायेगी ताकि गंदी बस्तियों की सफाई की जा सके।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : माननीय प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि नगरों को सुन्दर बनाने का अर्थ है नगरों की गरीबी दूर करना। पर हम प्रति वर्ष देखते हैं कि जाड़े के मौसम में सर्दी से पटरियों पर रहने वाले अनेकों लोगों की मौतें हो जाती हैं। इस सम्बन्ध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना भी दी थी। इस समस्या का उचित समाधान नहीं किया गया है। सरकार उन लोगों के लिए जो काम समाप्त करने पर शाम को अपने-अपने गांव नहीं जा सकते, क्या कर रही है ?

कर्मचारियों के लिये मकान उनके काम के स्थान के पास बनाये जायें। निम्न आय वर्ग के लोगों की आवास कालोनियों में आम मांग की गई कि उन्हें मकान उनके नाम में दिये जायें। ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिये।

शान्ति वन और राजघाट का रखरखाव ठीक प्रकार किया जाना चाहिये। हरिजनों के लिये पृथक रखे गये मकानों में अन्य जाति के लोगों को भी बसाया जाये। अन्य जगहों की तुलना में मंत्रियो के मकान बहुत बड़े नहीं हैं।

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : हमारे देश में आवास समस्या इतनी विशाल तथा गम्भीर है कि इसे हल करने की कल्पना मात्र से ही हम कांप उठते हैं। लगाये गये अनुमान के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 119 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 718 लाख अर्थात लगभग 8 करोड़ मकानों की कमी है। शहरों में यह कमी प्रतिवर्ष 10 लाख बढ़ रही है। उपलब्ध मकानों में से भी अधिकतर में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या को हल करने के लिये हमें 35000 करोड़ रुपया चाहिये, जो कि खर्च करना असम्भव है। चौथी योजना में हमने इस मद के लिये 24 करोड़ रुपये रखे हैं। इसके अतिरिक्त, बीमा निगम 48 करोड़ रुपये आवास सहायता के रूप में तथा 10 करोड़ आवास बोर्डों में लगा रहा है। परन्तु 260 करोड़ रुपया लगाने पर भी समस्या में कुछ सुधार होगा यह कह पाना बड़ा कठिन है। राज्यों को समुचित अनुदान दिए जाने पर भी इस समस्या पर उस सीमा तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है जहां तक कि दिया जाना चाहिये।

केन्द्र केवल बागान श्रमिकों की आवास योजना से सीधा सम्बंधित है। हम उसमें कुछ धन लगा रहे हैं। उसमें से कुछ राशि राज सहायता के रूप में और कुछ ऋण के रूप में राज्यों में लगाई जायेगी। बागान मालिकों से कुल 12½ प्रतिशत लागत ली जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास समस्या का प्रश्न हमारे सामने है। यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक झोंपड़ी के हिसाब से 500 रुपये दे दिये जायें। पर ऐसा करने मात्र से ही समस्या हल नहीं होती। इसके लिए 35000 करोड़ रुपया चाहिए। इसके अतिरिक्त, गांवों में समस्या रुपये की इतनी है जितनी की जगह की। मकान अधिकांशतः उन्हीं लोगों के पास नहीं हैं जो भूमिहीन हैं। अब समस्या यह है कि वह झोंपड़ी बनाएं कहां ? अतः हम इस समस्या पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और राज्य सरकारों से ऐसे कानून बनाने को कह रहे हैं जिससे कि यह समस्या आसानी से हल हो जाये। इन भूमिहीन लोगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने की समस्या हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता दे रही हैं और शीघ्र ही इस दिशा में कुछ न कुछ होगा। ज्यों ही राज्य सरकारें भूमिहीनों के लिए भूमि प्राप्त करने में सफल हो जायेंगी, उनके लिए गांवों का पुनर्नियोजन करना सरल हो जाएगा और इस प्रकार गांवों में विद्यमान हरिजन गन्दी बस्तियों का कुछ सीमा तक जीर्णोद्धार हो जायेगा। इस समस्या को दो भागों में बांटा जा सकता है। भूमि के लिए धन की व्यवस्था करना तथा उस पर मकान बनाने के लिए धन की व्यवस्था करना। यदि उन्हें जगह मिल जाये तो वे कम से कम अपने आप को कुछ सुरक्षित समझेंगे। उसके पश्चात् हम उन्हें मकान बनाने के लिए रुपया दे सकते हैं।

आवास समस्या के बाद जो बड़ी समस्या देश के सभी बड़े नगरों की है वह है गन्दी बस्तियों की। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार जून, 1971 के अन्त तक, इस समस्या के हल के लिए मंजूर किये गये 1,32,869 आवास एककों में से 81,903 एककों का निर्माण

पूरा हो गया है। इस कार्य के लिए 3 मार्च, 1969 तक 5..10 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई जिसमें से राज्यों ने 34.31 करोड़ रुपया लिया। मद्रास और कलकत्ता में इस दिशा में अच्छा काम हुआ है। बस्तियों के सुधार के लिए 1970-71 में हमने 15 लाख रुपये दिये और अब यह राशि 80 लाख रुपये हैं।

इस समस्या को राज्यों और केन्द्र दोनों को मिलकर हल करना है। यह सोचना कि सारा रुपया केन्द्र ही दे गलत होगा और इससे समस्या हल नहीं होगी। यह बड़े ही खेद की बात है कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राज्यों में गंदी बस्तियों का भी उतना ही बाहुल्य है। इसलिए यदि हम वास्तव में गन्दी बस्तियों को सुधारना चाहते हैं तो उद्योगपतियों को भी आगे आना चाहिये और इस प्रकार इन नगरों अथवा राज्यों को अन्य राज्यों के सम्मुख उदाहरण पेश करना चाहिये। अतः आशा है बम्बई इस सम्बन्ध में आगे आयेगा और एक आदर्श सामने रखेगा।

दिल्ली में इस समय लगभग दो लाख मकानों की कमी है और यह संख्या नगरीकरण के साथ-साथ बढ़ रही है। यह समस्या बड़े नगरों में तब तक बनी रहेगी जब तक हम उद्योगों का अन्य छोटे नगरों में विकेन्द्रीकरण नहीं करते। पर उसके लिए भी हमें कस्बों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करना होगा।

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। अब तक उसने 5600 मकान बनाए हैं तथा इस वर्ष के अन्त तक 0,000 मकान और बन जायेंगे। अगले वर्ष 24000 और मकान बनाने की योजना बनाई गई है। प्राधिकरण द्वारा 5,000 आवासीय भूखण्डों का विकास किया गया है तथा 7,000 भूखण्ड सहकारी समितियों के माध्यम से लोगों को दिए गये हैं। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए 6,000 भूखण्डों को विकसित किया गया है। अभी और भी काम किया जाना है शेष है। इस सम्बन्ध में संसद में शीघ्र ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक विधेयक लाया जायेगा और मुझे आशा है कि उस सीमा तक दिल्ली की समस्या हल हो जायेगी। जब हमने झुग्गी-झोपड़ी समस्या को हाथ में लिया था तब लगभग 30,000 झुग्गी-झोपड़ी निवासी थे उनमें से हम 15,000 को बसा चुके हैं। पर फिर भी अभी समस्या शेष है। और वह बढ़ती जा रही है तथा इस समय उनकी संख्या लगभग एक लाख है। उनके काम की जगहों के पास ही उनके लिए मकान आदि बनाने की योजना की जांच की जा रही है। हम झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को सम्पत्ति का अधिकार नहीं दे रहे हैं क्योंकि अक्सर बेईमान लोग उनसे जमीन खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा पैसे की आवश्यकता रहती है और इस प्रकार वह गलत लोगों के हाथ में चली जाती हैं। हम उन्हें आवास देना चाहते हैं सम्पत्ति नहीं।

आवास और नगरीय विकास निगम की स्थापना की जा चुकी है और इसके सम्बन्ध में विस्तार से मेरे वरिष्ठ साथी आपको बताएंगे।

बिड़ला भवन के लिये 55,48,647 रुपये 35 पैसे का मुआवजा देना तय किया गया है। यह धन दे दिया गया है तथा आशा है दो सप्ताहों में भवन का कब्जा ले लिया जायेगा।

दिल्ली की नगर सीमा के अंतर्गत 102 गाव आते हैं तथा उनकी देखभाल का भार

नगर निगम पर है, जो उनसे कर वसूल करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 54 गांवों के विकास का काम अपने हाथ में लिया है। इसके लिए प्राधिकरण ने अब तक 20 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं।

कानपुर में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए 8,000 मकान बनाये गये हैं इन्हें औद्योगिक कर्मचारी आवास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। इन मकानों को उपयुक्त व्यक्तियों को दिया जाये या अन्य व्यक्तियों को उनसे निकाला जाये यह तय करना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है।

श्री एस० एम० बनर्जी : पर हमें सभा में यह आश्वासन दिया गया है कि किसी को उनमें से नहीं निकाला जायेगा।

श्री आई० के० गुजराल : ऐसा एक सुझाव रक्षा मन्त्रालय को दिया गया था। वे उन मकानों को खरीद लें और वे उन्हीं के पास रहने दिये जायें, जिससे कि उन्हें पूल से बाहर निकाला जा सके।

श्री एस० एम० बनर्जी : इससे 7000 व्यक्ति प्रभावित होंगे अतएव हमें इस बारे में अभी निर्णय करना चाहिए।

श्री आई० के० गुजराल : इसका फैसला उत्तर प्रदेश सरकार को करना है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूँ कि सरकार इस सुझाव के प्रति पूरी सहानुभूति बरतेगी।

श्री शशि भूषण : फोर्ड फाउन्डेशन की भूमि के बारे में क्या स्थिति है? वह भूमि विदेशी मिशन को क्यों दी गई?

श्री आई० के० गुजराल : मैं इसकी जांच करूंगा। कोयम्बतूर प्रेस तथा केरल प्रेस में दूसरी पारी की स्वीकृति दे दी गई है, परन्तु कागज की कमी के कारण कठिनाई विद्यमान है।

श्री दण्डपाणि : दिल्ली में दूसरी पारी आरम्भ की गई है और प्रेस पिछले वर्ष खुल चुका है।

श्री आई० के० गुजराल : कागज की कमी के बावजूद कुछ प्राथमिकतायें निश्चित करनी होती है। कोयम्बतूर तथा केरल प्रेसों में डाक तार के फार्म छपते हैं जबकि दिल्ली प्रेस में संसदीय पत्र छापे जाते हैं, जिन्हें प्राथमिकता देनी होती है।

श्री दण्डपाणि : कोयम्बतूर प्रेस में दूसरी पारी का कार्यक्रम कब शुरू किया जायेगा? कागज की कमी तमिलनाडु की फैक्टरियों से पूरी की जा सकती है।

श्री आई० के० गुजराल : तीनों प्रेसों में दोहरी पारी के आदेश इस वर्ष 29 जून को जारी किए गए थे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रचारित कर्मचारियों को कुछ सुविधायें स्थायी

कर्मचारियों से भी अधिक दी जा रही है। उन्हें स्थायी बनाने के लिए 11280 स्थायी पद बनाए गये हैं जो कि उनकी कुल संख्या 17,500 का 70 प्रतिशत है।

दिल्ली का विकास कुछ इस प्रकार हुआ है कि यह चिरकाल से एक उद्यान नगरी बनी हुई है जिसे बनाये रखने में ही नगर का हित है। इसी उद्देश्य से हम एक तकनीकी विभाग बना रहे हैं जो यह सुनिश्चित करेगा कि नई दिल्ली मध्य, का विकास इस तरह हो कि यहां जनसंख्या तो बढ़े परन्तु इसका आधारभूत स्वरूप न बदले।

श्री शशि भूषण : चेम्सफोर्ड तथा जिमखाना कलबों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री आई० के० गुजराल : इन कलबों में अधिकांश क्षेत्र खुले हैं। जो हम हर स्थान पर भवन नहीं बना सकते। भवन योजनाबद्ध तरीके से बनाये जाने हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में संसद सदस्यों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रस्ताव पर मैं विचार करूंगा।

नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का एक उद्देश्य गुप्त धन का पता लगाना है। इस बारे में एक पत्र मुख्य मंत्रियों को लिखा गया है। आशा है शीघ्र ही निर्णय किया जा सकेगा।

श्री अमृत नाहाटा : क्या यह उच्चतम सीमा भ्रामक होगी।

श्री आई० के० गुजराल : इसका भय तो सदा ही रहता है। संसद सदस्यों के निवास स्थानों में शौचालय उनकी इच्छानुसार बनाने का ध्यान रखा जाएगा।

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : हमारे समक्ष मुख्य समस्या यह रही है कि धन अपर्याप्त उपलब्ध होता है और उसका भी पूरा भाग औद्योगिक कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों पर और गन्दी बस्तियां हटाने पर नहीं लग पाता। इसी समस्या को हल करने के लिए एक निगम बनाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। अब नगरीय आवास निगम में नये प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति कर दी गई है। दो करोड़ की पूंजी से इसे चालू कर दिया गया है। अब सात करोड़ रुपया वित्त मन्त्रालय ने मंजूर किया है और 11 करोड़ रुपए राज्यों में आवास स्थानों के लिए मंजूर किये गये हैं। उक्त निगम ने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडू राज्य सरकारों की योजनायें स्वीकार कर दी है। सान्ताक्रूज हवाई अड्डे के मार्ग में कुछ गन्दी बस्तियां हैं, परन्तु इस भूमि का कुछ मार्ग रक्षा मन्त्रालय का है और कुछ रेलवे मन्त्रालय का है इसलिये यह मामला उलझा हुआ है। पहले यह योजना थी कि निगम निर्माण-कार्यों को अपने हाथ में लेगा, परन्तु धनाभाव के कारण विभिन्न राज्यों के बोर्डों को धन आवंटित किया जाता है। कलकत्ता में हमारा 1000 मकान बनाने का विचार है और आर० के० पुरम में भी निर्माण-कार्य करने की योजना है। हमें आशा है कि निगम द्वारा सक्रिय रूप से कार्य करने से आवास सम्बन्धी स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा।

(सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए)

(All the cut motions were put and negatived)

सभापति महोदय द्वारा निर्माण और आवास मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

The Following Demands in respect of the Ministry of Works and Housing were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
85	निर्माण और आवास मन्त्रालय	2,61,15,000
142	निर्माण और आवास मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,01,51,000

सभापति महोदय द्वारा निर्माण और आवास मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :

The Following Demands in respect of the ministry of Works and Housing were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपए
86	लोक निर्माण कार्य	30,39,37,000
87	लेखन सामग्री और छपाई	10,90,88,000
140	लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	7,03,33,000
141	दिल्ली पूंजी परिव्यय	4,46,66,000

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय की वर्ष 1971-72 की अनुदानों की निम्नलिखित माँगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपए
73	नौवहन और परिवहन मन्त्रालय	1,05,91,000
74	सड़कें	16,26,77,000

1	2	3
75	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	3,52,29,000
76	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	93,53,000
77	नौवहन और परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,09,01,000
134	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	47,11,45,000
135	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	7,30,80,000
136	नौवहन और परिवहन मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	10,53,27,000

नौवहन और परिवहन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
				रुपये
73	1	**श्री रोबिन सेन** :	दिल्ली प्रशासन राज्य क्षेत्र में माल बुकिंग तथा प्रेषण संस्थाओं के संबंध में नियम बनाने में असफलता।	100
	2	,,	पत्तनों और गोदियों के विकास के लिए विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने में असफलता।	,,
	3	,,	नौवहन और सड़क परिवहन में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने में असफलता।	,,
	4	,,	परिवहन कर्मचारियों को आवश्यकता के आधार पर मजदूरी देने में असफलता।	,,
74	6	**श्री दीनेन भट्टाचार्य** :	कलकत्ता-बम्बई मुख्य मार्ग को, जोकि बाली विवेकानन्द पुल से प्रारम्भ होती है, पूरा करने की आवश्यकता।	,,
77	7	**श्री रोबिन सेन** :	बहुत बुरी तरह से खराब हुये जी० टी० रोड़, एन० 434 तथा अन्य राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के रख-रखाव में असफलता।	,,

1		2	3
			रुपये
77	श्री रोबिन सेन :	कलकत्ता पत्तन तथा अन्य पतनों पर नौभरक प्रणाली को समाप्त करने में असफलता।	100
9	,,	नाविक संघ, कलकत्ता को मान्यता प्रदान करने में असफलता।	,,
10	,,	कलकत्ता में नाविकों की भर्ती में होने वाली कमी को दूर करने में असफलता।	,,
11	,,	गुप्त मतदान द्वारा संघ को मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
12	,,	नाविकों के संघ के सदस्य बनाने के संबंध में किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करने में असफलता।	,,

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं कुछ तथ्य सभा के समक्ष रखना चाहता हूं।

श्री रोबिन सेन (आसनसोल) : गोदी तथा पत्तन कर्मचारियों के एक वर्ग के लिये न तो सेवा की सुरक्षा है और न ही निश्चित वेतन की गारंटी है। क्या सरकार इस पद्धति को समाप्त करेगी। और इन श्रमिकों को गोदी तथा श्रम बोर्ड के अन्तर्गत लायेगी ?

श्री राज बहादुर : मैं कुछ घोषणायें करना चाहूंगा। इस मंत्रालय के अधीन सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजपथ तथा नौवहन आदि सेवायें हैं। पिछले 25 वर्ष में राष्ट्रीय राजपथों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 1200 करोड़ रुपया व्यय किया गया है और फलस्वरूप देश में 600,000 किलोमीटर सड़कों की वृद्धि हुई है। वर्ष 1969 में क्षेत्र और जन संख्या के हिसाब से सड़कें प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन 30 किलोमीटर तथा प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए औसतन 180 किलोमीटर थीं।

पहले हमने अपने राजपथों को 13,800 मील से बढ़ा कर 15000 मील किया था। इस समय राष्ट्रीय राज्यपथों में 20,000 मील की वृद्धि करने की माँगे विचाराधीन हैं। पिछले कुछ सप्ताह में हमने 761 मील की वृद्धि की है।

पांच अन्य योजनाएं हमारे विचाराधीन हैं। त्रिपुरा, गोवा, मनाली, पाराद्वीप आदि क्षेत्रों में अब राष्ट्रीय राजपथ बन जायेंगे।

श्री चन्द्रूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : मध्य प्रदेश की पूर्णतः उपेक्षा की गई है।

श्री राज बहादुर : मध्य प्रदेश से हर एक महत्वपूर्ण राजपथ गुजरता है। हमारा राजपथों पर 353 मील सड़कों एवं 68 बड़े पुलों के निर्माण की 17.46 करोड़ रुपये की लागत का एक

नया कार्यक्रम है। तमिलनाडु में पूर्वी तटीय सड़क के विकास के लिये 2.61 करोड़ रुपया सौराष्ट्र तटीय सड़क के लिये सौराष्ट्र को 1.43 करोड़ रुपये का ऋण दिया जायेगा। बिहार में बरौनी-फूलबेरिया सड़क, कोसी पुल से अलावा सभी पुलों सहित, नौ मास में निर्मित हुई थी।

राजस्थान में कई कमियां हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की मांगों का मैं विशेष ध्यान रखूंगा।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सड़कों के निर्माण तथा सड़क परिवहन से कई व्यक्तियों को रोजगार मिलते हैं। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई आदि नगरों में सड़कों के विस्तार एवं सड़क परिवहन से रोजगार के साधन बहुत अधिक बढ़ते हैं।

समय कम होने के कारण मैं केवल हाल के वर्षों में नौवहन के क्षेत्र में हुई प्रगति का चित्र पेश करूंगा। यह प्रगति तीन चरणों में हुई है, पहला चरण 1947 से, जबकि हमारे पास टन भार क्षमता लगभग 200,000 जी० आर० टी० थी 1956 तक का है जब यह बढ़कर 418,000 हो गई थी, उस समय से हमने कुछ उपाय कर के अत्यधिक प्रगति की है और 1 अप्रैल 1961 को हम 172 जहाज और 8.57 लाख की कुल टन भार क्षमता प्राप्त कर सके हैं। 1 जुलाई, 1971 को जहाजों की कुल संख्या 249 थी और कुल टन भार क्षमता 24.43 लाख जी० आर० टी० थी। हमारी चौथी योजना में 40 लाख जी० आर० टी० का लक्ष्य है जिसमें से कार्य चालक टन भार क्षमता पहले ही 24 लाख है, मुझे विश्वास है कि चौथी योजना के पूरा होने तक हम यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं पांचवी योजना में हमारा लक्ष्य 50 लाख या 60 लाख टन का है।

आज हम कई क्षेत्रों में अपने भाग का माल लदान 55 प्रतिशत तक कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में यह 48 प्रतिशत है। निश्चय ही अधिक टन भार वाले माल के लदान में हम पिछड़े हुये हैं। हम इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और बड़े जहाजों के निर्माण में हमने अच्छी प्रगति की है। 1 अप्रैल 1961 को हमारे पास एक भी बड़ा जहाज अथवा तेल वाहक जहाज नहीं था, अगले 10 वर्षों के दौरान भारतीय बेड़े में 5.12 लाख जी० आर० टी० के 22 बड़े जहाज और 2.72 लाख जी० आर० टी० के 10 तेल-वाहक जहाज शामिल किये गये। 1 अप्रैल 1971 को हमारे पास 7.84 लाख जी० आर० टी० के 32 जहाज थे, परन्तु हमें अभी भी इनकी संख्या बढ़ानी है ताकि हम पूर्ण अशोधित तेल को लाने में समर्थ हो सकें।

जहां तक संसाधनों को जुटाने का सम्बन्ध है, चौथी योजना में 125 करोड़ की व्यवस्था की गई है। हमें प्रारम्भ में 70 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है, जिसके बारे में हमने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को अपना अभ्यावेदन भेजा हुआ है। मुझे विश्वास है कि इससे और विश्व बैंक की सहायता से हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।

मैं अब सड़क यातायात के वाहनों में हुई प्रगति के बारे में कहूंगा। 1957-58 में सामान ढोने वाले वाहनों की संख्या 1,36,111 थी जो 1968-69 में बढ़कर 3,00,922 हो गई। इसी

ग्रवधि में स्टेज वाहनों की संख्या 35,595 से बढ़कर 85,490 हो गई। 1957-58 में सड़क यातायात से प्राप्त होने वाली ग्राय 430 करोड़ रुपये थी जो 1968-69 में बढ़कर 540 करोड़ रुपये हो गई। उसी ग्रवधि में सड़कों पर व्यय 165.9 करोड़ रुपयों से बढ़कर 186 करोड़ रुपये हो गया है सड़कों के लिए और ग्रधिक धन की व्यवस्था करना न्यायोचित है क्योंकि इससे ग्राय की प्राप्ति हती है।

बन्दरगाहों का कार्य संतोषजनक रहा है। एक समय ऐसा था जब बन्दरगाहों में बड़ी भीड़-भाड़ रहती थी ग्रौर आने वाले जहाजों को स्थान की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, परन्तु अब स्थिति यह है कि कलकत्ता के बन्दरगाहों में स्थान को जहाजों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बम्बई के बन्दरगाह की स्थिति में सुधार हुग्रा है चोरी की घटनाग्रों में कमी हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स यूनियन ग्रौर बन्दरगाह न्यास के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हैं। नौभरकों की यूनियन के राष्ट्रीकरण का प्रश्न बार-बार उठाया जाता रहा है। इस बारे में यह विचार किया जाना है कि यह कार्य किस एजेंसी को सौंपा जाये। इस बारे में कई सुझाव ग्राये हैं। मैं इस बारे में वचन केवल उस समय दे सकता हूं जब बन्दरगाहों में माल लादने ग्रादि का प्रबन्ध सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था हो।

गोदी कर्मचारी बोर्ड श्रम मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है जबकि पत्तन परिवहन मन्त्रालय के अन्तर्गत ग्राता है। इससे बड़ी असुविधा होती है। यहां इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं श्रम मन्त्री से सम्पर्क बनाए हुए हूं ग्रौर उनको यह विश्वास दिला सकता हूं कि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार परेशान नहीं किया जा रहा है ग्रौर न उनके प्रति भेदभाव बरता जा रहा है। यदि वे नौभरकों ग्रौर उसी शहर के कुलियों के वेतनों की तुलना करेंगे तो उनको पता चलेगा कि नौभरकों का वेतन उनसे कितना अधिक है। मैं उनको विश्वास दिला दूं कि नौभरकों की स्थिति बहुत ही ग्रच्छी है।

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) : हम सेतुसमुद्रम परियोजना के लिए काफी समय से कह रहे हैं। यह न केवल नौवहन तथा परिवहन अपितु प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर कार्य कब ग्रारम्भ होगा ?

तूतीकोरिन गहरा समुद्र बन्दरगाह परियोजना के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने रामनाड जिले के वेलीनोकु में नमक विकास सर्वेक्षण करने के बारे में सरकार से ग्रनुरोध किया हुआ है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। मुझे ग्राशा है कि ग्रन्तर-राज्यीय नदी परिवहन विकास के लिए बकिंघम नहर को ग्रन्य नदियों से मिलाया जायेगा।

श्री राजबहादुर : सेतुसमुद्रम परियोजना के सम्बन्ध में हमारी रुचि के बारे में माननीय सदस्य ग्रवगत होंगे, हमने एक समिति नियुक्त की थी जिसका प्रतिवेदन हमें प्राप्त हो गया है। यह एक व्यवसाय परियोजना है। ग्रतएव हमें यह देखना पड़ेगा कि इस परियोजना को पहले हाथ में लिया जाये ग्रथवा तूतीकोरिन परियोजना को पहले लिया जाये। नमक के बारे में वे सम्बन्धित मन्त्रालय से कहें। जहां तक बकिंघम नहर का सम्बन्ध है, हम ग्रन्तर-राज्यीय जल

परिवहन का विकास करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वह कर रहे हैं। परन्तु इसमें एक कठिनाई है कि इसे कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा।

श्रीमती लक्ष्मी कातम्मा (खम्मम) : मैं मध्यस्थ और छोटे बन्दरगाहों के बारे में पूछना चाहती हूं। क्या मछलीपटनम, काकीनाना और विशाखापत्तनम बन्दरगाहों के विकास के लिए कोई योजना है ?

श्री राजबहादुर : मध्यस्थ और छोटे बन्दरगाहों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं कि इन बन्दरगाहों के विकास के लिए राज्य सरकारों की यथा-सम्भव सहायता की जायेगी।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : गंगा पर हावड़ा का दूसरा पुल कब बनेगा ?

श्री राजबहादुर : यह राज्य सरकार के विचाराधीन है, यहां भी प्रश्न संसाधन तथा प्राथमिकता का है।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण राज्यों के लोक निर्माण विभागों द्वारा किया जाता है, जबकि केंद्र इसके लिए केवल धन देता है, इसका परिणाम यह होता है कि सड़कों का निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाता है। मेरा अनुरोध है कि मन्त्रालय का एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो इस निर्माण कार्य का निरीक्षण करे।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : केन्द्र द्वारा निर्मित सीमावर्ती सड़कों की अब उपेक्षा की जा रही है।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) केन्द्र ने सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया है, परन्तु उनकी अब देखभाल नहीं हो रही है।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : आपको आने वाले और जाने वाले माल पर मालभाड़ा कम करने करने पर विचार करना चाहिए।

श्री राजबहादुर : जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का सम्बन्ध है, हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाये और रखरखाव कार्य में भी सुधार लाया जाये।

सविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, परन्तु उनका निर्माण करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। वस्तुतः यह प्रस्ताव किया गया था कि इसके लिए एक केन्द्रीय एजेंसी होनी चाहिए। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं, इसके साथ-साथ केंद्र राज्य सम्बन्ध भी महत्वपूर्ण है। हमें इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श करना पड़ता है। राजस्थान के सीमावर्ती सड़कों का निर्माण सीमा सड़क विभाग द्वारा किया गया है। वहां के मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि उन सड़कों के रखरखाव का खर्च उठाना उनके लिए सम्भव नहीं है, अब यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या सीमावर्ती सड़कों का रख-रखाव सीमा सड़क विभाग या केन्द्रीय सरकार या रक्षा मन्त्रालय को उठाना चाहिए या नहीं। हम सभा को इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय सूचित करेंगे।

माल भाड़े की दरों के बारे में पहले भी प्रश्न उठाया गया है। बन्दरगाह भाड़े में वृद्धि तभी होती है जब कर्मचारियों का मंजूरी बिल बढ़ता है। मजूरी बिल के बढ़ने से बन्दरगाह भाड़े में वृद्धि होती है। इस प्रकार तेल आदि के मूल्य में वृद्धि होने से माल भाड़े के दर में भी वृद्धि होती है। माल भाड़े में वृद्धि हानिकर सिद्ध होती है और हमारी निर्यात क्षमता को कम करती है। हमें इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए)

(All the cut motions were put and negatived)

अध्यक्ष महोदय द्वारा नौवहन और परिवहन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands in respect of the Ministry of Shipping and Transport were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
73	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1,05,91,000
74	सड़कें	16,26,77,000
75	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	3,5[illegible],29,000
76	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	93,53,000
77	नौवहन और परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,09,01,000
134	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	47,11,45,000
135	बन्दगाहों पर पूंजी परिव्यय	7,30,80,000
136	नौवहन और परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	10,53,27,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त मन्त्रालय की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands in respect of the Ministry of Finance were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
13	वित्त मंत्रालय	12,58,15,000
14	सीमा शुल्क	6,36,01,000
15	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	12,72,61,000

1	2	3
16	निगम कर आदि सहित आय संबंधी कर	13,37,40,000
17	स्टाम्प	3,25,10,000
18	लेखा-परीक्षा	21,20,00,000
19	मुद्रा और सिक्का ढलाई	11,06,81,000
20	टकसाल	3,04,03,000
21	कोलार की सोने की खानें	5,43,78,000
22	पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्त लाभ	5,15,63,000
23	अफीम कारखाने और एलकोलायड के कारखाने	67,46,000
24	वित्त मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	16,08,90,000
25	राज्य और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	4,51,36,97,000
26	केन्द्रीय तथा राज्य और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	36,69,000
27	विभाजन पूर्व की अदायगियां	36,000
114	इंडिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	42,05,000
115	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	7,10,85,000
116	टकसालों पर पूंजी परिव्यय	19,21,000
117	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय	91,09,000
118	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	7,67,47,000
119	वित्त मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	74,61,000
120	विकास के लिये राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	19,87,35,000
121	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम	3,42,89,66,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधि और न्याय मन्त्रालय की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demand in respect of the Ministry of Law and justice was put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
69	विधि और न्याय मन्त्रालय	1,65,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा योजना मन्त्रालय की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The follewing Demand in respect of the Ministry of Planning was put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
72क	योजना आयोग	1,09,02,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands in respect of the Department of Atomic Energy were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
88	परमाणु ऊर्जा विभाग	23,99,000
89	परमाणु ऊर्जा विभाग का अन्य राजस्व व्यय	36,15,39,000
143	परमाणु ऊर्जा विभाग का पूंजी परिव्यय	29,63,43,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा कम्पनी कार्य विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :

The following Demand in respect of the Department of Company Affairs were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
95	कम्पनी कार्य विभाग	22,99,000
96	कम्पनी कार्य विभाग का अन्य राजस्व व्यय	56,15,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demand in respect of the Department of Electronics was put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
97	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग	85,55,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा संसदीय कार्य विभाग की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

The following Demand in respect of the Department of Parliamentary Affairs was put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
101	संसदीय कार्य विभाग	7,45,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

The following Demand in respect of the Department of Science and Technology was put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
103	भारतीय सर्वेक्षण	4,17,67,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्ति विभाग की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

The following Demand in repect of the Department of Supply was put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
106	पूर्ति और निपटान	3,14,75,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक-सभा की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

The following Demand in respect of Lok Sabha was put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
108	लोक-सभा	1,83,65,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य सभा की निम्नलिखित माँग मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

The following Demand in respect of Rajya Sabha was put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
109	राज्य सभा	75,63,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपराष्ट्रपति के सचिवालय की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

The following Demand in respect of the Secretariat of the Vice-President was put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
110	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	2,31,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधि और न्याय मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands in respect of the Ministry of Law and justice were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
68	विधि और न्याय मंत्रालय	1,02,90,000
70	विधि और न्याय मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,54,18,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा योजना मन्त्रालय की निम्नलिखित माँग मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

Tbe following Demand in respect of the Ministry of Planning was put adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
72	योजना मन्त्रालय	4,00 000

अध्यक्ष महोदय द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की निम्नलिखित माँगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands in respect of the Department of Science and Technology were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
102	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1, 6,87,000
104	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान	23,21,21,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्ति विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands in respect of the Department of Supply were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
105	पूर्ति विभाग	1,18,37,000
107	पूर्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय	46,51,000

अध्यक्ष महोदय : सभी मांगें आदि पारित हो गयी हैं।

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971

APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1971

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पहले इस बात पर सहमति हुई थी कि विभिन्न मंत्रालयों के नाम केवल अंग्रेजी में दिये जायेंगे और उनका हिन्दी अनुवाद देव नागरी लिपि में दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि यहां जो आश्वासन दिया गया था उसे क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है ?

श्री राजबहादुर : सरकार को दिए गए आश्वासन को पूरा न करने का इरादा नहीं है। अभी मुद्रणालय नई व्यवस्था के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें अभी अंग्रेजी और देवनागरी लिपि के ब्लाक आदि तैयार करने हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से

कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1 to 3, the Schedule, Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 22 जुलाई 1971/31 आषाढ़, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 22nd July 1971/ 31st Asada, 1893 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6